CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XXIV, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka) No. 24, Wednesday, April 05, 2017/Chaitra 15, 1939 (Saka)

S U B J E C T	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Congratulation regarding the cooperation extended by all in processing and passing of Budget 2017 before 1 st April, 2017	10-11
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 441 to 448	15-96
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 449 to 460	97-130
Unstarred Question Nos. 5061 to 5290	131-716

 $^{^{*}}$ The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAP	ERS LAID ON THE TABLE	717-724
GOV	VERNMENT BILLS - Introduced	725-731
	(i) National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017	725
	(ii) Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017	730
	(iii) National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017	731
SUB	MISSIONS BY MEMBERS (i) Re: Pakistan's unilateral attempt to declare Gilgit-Baltistan as its fifth province and the need for Government to take strict action without delay (ii) Re: Scathing indictment of Government by Heads of African Mission on inadequate action against guilty persons seriously denting the image of the country globally	732-734 736-740
	(iii) Re: Situation arising out of Government admission of leakage of Aadhaar Card details	757-759
MAT	TTERS UNDER RULE 377	762-787
(i)	Regarding making National Highways tollfree for vehicles originating from adjoining areas	
	Shri D. S. Rathod	763
(ii)	Need to provide Rajasthan its full share of water of Ravi and Beas Rivers as per agreement	
	Shri Rahul Kaswan	764
(iii)	Regarding relaxing eligibility norms for availing free power connection in Rajasthan	
	Shri Manshankar Ninama	765

(iv)	Need to set up Aanganwadi centres in Jalore and Sirohi districts of Rajasthan	
	Shri Devji M. Patel	766
(v)	Need to expedite construction of hospital in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand	
	Shri Bidyut Baran Mahato	767
(vi)	Need to accord approval to the proposal for widening and maintenance of remaining stretch of MDR 56 in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan	
	Shri Subhash Chandra Baheria	768
(vii)	Need to grant environmental clearance for construction relating to providing basic civic amenities in Bhaniya village in Khambha Taluka of Amreli district, Gujarat	
	Shri Naranbhai Kachhadia	769
(viii)	Need to address the problem of shortage of drinking water in border districts of Jammu Parliamentary Constituency, Jammu and Kashmir	
	Shri Jugal Kishore	770
(ix)	Need to set up branches of banks in Udaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan	
	Shri Arjun Lal Meena	771
(x)	Need to supply water of Bisalpur dam to districts of Rajasthan for drinking and irrigation purpose	
	Shri Sukhbir Singh Jaunapuria	772
(xi)	Need to protect the animals of Orang National Park in Assam	
	Shri Ramen Deka	773

(xii)	Need to address the problem of shortage of drinking water in Bihar particularly in Buxar Parliamentary Constituency	
	Shri Ashwini Kumar Choubey	774-776
(xiii)	Need to address the problems of fishermen in the country	
	Shri Mullappally Ramachandran	777
(xiv)	Need to provide funds for fodder and water in Nilgiri Biosphere Reserve	
	Shri M. I. Shanavas	778
(xv)	Need to set up a PSU oil Depot at Kesinga or Bhawanipatna in Odisha	
	Shri Arka Keshari Deo	779
(xvi)	Need to protect the interests of stall/trolley/kiosk vendors at railway stations and provide them adequate facilities in accordance with the railway catering policy	
	Shri Shrirang Appa Barne	780
(xvii)	Regarding credit interest on inoperative Provident Fund Accounts	
	Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi)	781
(xviii)	Need to review the decision to withdraw subsidy on sugar under Public Distribution System	
	Shri Jitendra Chaudhury	782
(xix)	Regarding problems faced by salt farmers	
	Shri Y. V. Subba Reddy	783

(xx)	Need to accord sanction for six desalination plants in Lakshadweep	
	Mohammed Faizal	784
(xxi)	Need to set up a permanent CRPF camp at Rishi Kund Patam and Dharhara in Munger district, Bihar and also to provide adequate funds for modernisation of police force and communication system in the State	
	Shri Jai Prakash Narayan Yadav	785
(xxii)	Need to repair the old and dilapidated river bridges on N.H 82 and to construct an over bridge at Bihar Sharif railway station in Nalanda Parliamentary Constituency, Bihar	
	Shri Kaushalendra Kumar	786
(xxiii)	Need to provide adequate funds under Border Area Development Programme for drinking water projects in Kokrajhar Parliamentary Constituency, Assam	
	Shri Naba Kumar Sarania	787
	OYEE'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL, 2016 endments made by Rajya Sabha)	788-790
	Motion to Consider	788
	Motion to Pass	790
	Amendments agreed to	790

FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT	
INSTITUTE BILL, 2017	791-868
Shri Dhananjay Mahadik	791-794
Dr. Bhartiben D. Shyal	795-798
Shri Anandrao Adsul	799-803
Shri Balabhadra Majhi	804-807
Shri Konda Vishweshwar Reddy	808-812
Shri Thota Narasimham	813-816
Shri Rattan Lal Kataria	817-818
Shri Mohammad Salim	819-824
Shri Sher Singh Ghubaya	825-826
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	827-828
Shri Kaushalendra Kumar	829-830
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	831-834
Shri Hariom Singh Rathore	835-837
Prof. Saugata Roy	838-839
Shrimati Anju Bala	840-841
Shri M.K. Raghavan	842-844
Shri Rahul Shewale	845-847
Shrimati Nirmala Sitharaman	848-856
Clauses 2 to 39 and 1	856-867
Motion to Pass	868
DISCUSSION UNDER RULE 193	
Sustainable Development Goals - Way forward for health and wellbeing for all	
Shrimati Bhavana Gawali (Patil)	869-873
Dr. Sanjay Jaiswal	874-884
Shri Gaurav Gogoi	885-892

Shri Rattan Lal Kataria	893-895
Dr. Ravindra Babu	896-900
Shri Jitendra Chaudhury	901-905
Shrimati Supriya Sule	906-913
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	914
Member-wise Index to Unstarred Questions	915-920
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	921
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	922-923

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, April 05, 2017/Chaitra 15, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

माननीय अध्यक्ष : आज एक शुभ काम पहले कर देती हूँ।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): अध्यक्ष जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए।

11.01 hours

REFERENCE BY THE SPEAKER

Congratulation regarding the cooperation extended by all in processing and passing of Budget 2017 before 1st April, 2017

माननीय अध्यक्ष : रंजीता जी, एक मिनट रुक जाइए।

माननीय सदस्यगण, आज मैं सदन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी के सहयोग से इस वर्ष वित्तीय प्रबंधन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण परम्परा की शरुआत हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार 1 अप्रैल से पहले बजट से जुड़ी सारी प्रक्रियाओं, वे चाहे खर्च से जुड़ी हों या टैक्स से जुड़ी हों, को पूरा कर लिया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी परम्परा की शुरुआत हुई है। इसलिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है।

बीते कई दशकों से बजट कभी अप्रैल में, कभी मार्च में और बीते कुछ वर्षों में फरवरी के आखिरी दिनों में पेश किया जाता रहा है। बजट आबंटन में चार-पाँच महीने की देरी प्रक्रिया का हिस्सा बन गयी थी। इस बार बजट से जुड़ी सारी प्रक्रियाएँ 31 मार्च से पहले पूरी होने का अर्थ है कि विभागों को आबंटित राशि पहली अप्रैल से ही उपलब्ध हो होगी और उनके पास पुरानी और साथ ही, नयी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पूरा साल होगा।

इससे राज्य सरकारों को भी अपने बजट को तैयार करने में मदद मिलेगी। यह कार्य सभी सदस्यों के सहयोग से, सभी दलों के सहयोग से ही संभव हो सका है। मैं विशेषकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, जो आज उपस्थित नहीं है, जिन्होंने इसकी कल्पना की थी, उनको भी बधाई देती हूँ। सभी मंत्रियों ने भी इसमें मेहनत की थी, इसलिए पूरे मंत्रिमंडल को भी, जिन्होंने इसमें साथ दिया, बधाई देती हूँ। सबसे ज्यादा संसदीय कार्य मंत्री, जिन्होंने सतत संज्ञान लेते हुए सबसे बातचीत करते हुए, इस विचार के कार्यान्वयन को पूरा किया है। साथ ही, सभी सदस्यों को, जिन्होंने सजग एवं सार्थक जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाते हुए देर रात तक सदन की कार्यवाही में भाग लेकर यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। मैं आप सभी को इस उपलब्धि में सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ।

हमारा लोक सभा सचिवालय, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्रालय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। यह एक बहुत बड़ा काम है। एक नयी शुरुआत हम लोगों ने की है, जो प्रजा के हित में है, उसे करना शुरू किया है। इसके आप सभी को बधाई।

धन्यवाद।

कई माननीय सदस्य: आपको भी धन्यवाद।

श्रीमती रंजीत रंजन: मैडम, मैं एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रखना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बिल्कुल अलाऊ करूँगी, लेकिन प्रश्नकाल के बाद।

Now, Question Hour. Q. No. 441. Dr. Thokchom Meinya.

... (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, kindly allow me also to speak. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you also afterwards.

... (Interruptions)

SHRIMATI RANJEET RANJAN: What is going on in Bihar? ... (Interruptions) मैडम, यह एक अपमानित करने वाली बात है, इसलिए मैं अभी अपनी बात रखना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : रंजीता, मैं आपका दर्द समझ रही हूँ।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I know about it.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इसके लिए प्रिविलेज मोशन देना पड़ेगा। मैंने बात की है। ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रंजीता, आप अपनी बात कह दें, लेकिन आगे से ऐसा न करें।

श्रीमती रंजीत रंजन: मैडम, मैंने 28 तारीख को भी कहा था। पप्पू यादव जी, विधान सभा का घेराव कर रहे थे। उनको बिहार सरकार से कुछ ऑब्जेक्शंस थे, वहाँ पेपर लीक हुआ था, बिजली के बिल और बेनामी सम्पत्ति आदि मुद्दों को लेकर ये लोग धरना दे रहे थे। इन्होंने विधान सभा का घेराव किया था।

मैंने उस दिन भी कहा था कि पुलिस ने पाँच घंटे तक अनावश्यक रूप से घर को घेर कर रखा, उनको एक अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। उन्होंने आपको भी कॉल किया। आपको सूचना दी गई कि वह भाग रहा है, जो सरासर असत्य है। उसकी पूरी फुटेज मौजूद है। आठ बजे ये लोग उन्हें सी.जे.एम. के घर लेकर गए, उन्होंने जमानत नहीं दी, क्योंकि रात में लेकर गए। सुबह उन्होंने कहा कि यह बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, ऊपर से प्रैशर है, उन्होंने जमानत नहीं दी और अभी तक नहीं हुई है। अब 6 तारीख की डेट है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने जो विधान सभा का घेराव किया, वह उस दिन उसके लिए अरैस्ट नहीं हुए थे, बल्कि 24 जनवरी के दिन गवर्नर हाउस के घेराव के लिए उन्होंने अरैस्ट किया

गया था। इसमें उनकी मंशा दर्शाती है कि उनका मकसद इन्हें सिर्फ अरैस्ट करके हेरास करना था। जब मैं आपके पास प्रिविलेज मोशन लेकर आई तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलिये तीन-चार दिन सत्ता पक्ष इस तरह से करता है, अब उनकी बेल हो जायेगी, कोई प्रावधान नहीं होगा।

मैडम, एक तारीख को जेल से कोर्ट में पेश करना था, 27 तारीख के विधान सभा के आंदोलन के खिलाफ उन्होंने उन्हें हथकड़ी लगाई, हैंडकिंफंग के साथ पुलिस लेकर गई, जब इन्होंने पूछा तो उनकी एक मंशा थी कि यह विरोध करें, उसके बाद इनको क्रिमिनल घोषित करते। इसी तरह से एक एम.पी. को बदनाम किया जाता है। यह सिर झुकाकर चल दिये। जब पुलिस से पूछा गया तो कहते हैं कि सर हमारी गलती नहीं है, ऊपर से यही इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि बेइज्जत करो। कोर्ट में भरी भीड़ में हैंडकफ लगाकर रस्सी से पकड़कर पुलिस लेकर गई है। ...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि क्या ह्यूमैन राइट्स का कोई कानून हमारे देश में नहीं है, क्या हम यह मान लें कि जब भी किसी की सत्ता होगी तो विपक्ष को आंदोलन करने पर घोर अपमानित होना पड़ेगा। अगर सांसद का कोई प्रिविलेज है, कोई ह्यूमैन राइट्स है और आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती हैं तो करें, अन्यथा ... *

माननीय अध्यक्ष: आप ऐसा मत बोलिये। This is not being recorded.

श्रीमती रंजीत रंजन: यह कानून लाना चाहिए कि किसी की भी सत्ता होगी तो किसी को भी अगेन्स्ट में कुछ नहीं करना है। मैडम, मैं बहुत उम्मीद से आई हूं कि यह एक सांसद का प्रिविलेज है, अगर एक सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो ये लोग आम आदमी के साथ क्या व्यवहार करते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक केस पढ़कर सुनाती हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप इतना सब मत पढ़िये।

SHRIMATI RANJEET RANJAN: "The Supreme Court in the following cases has declared handcuffing unconstitutional. It should not be used as a matter of routine from jail to court." There are cases like Prem Shankar Shukla v/s Delhi Administration AIR-1980 SC 1535 and Sunil Gupta & others v/s State of M.P.(1990) 3 SCC 119. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: रंजीता, प्लीज आप बैठिये।

...(व्यवधान)

_

^{*} Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: मैं इस बात का संज्ञान ले रही हूं।

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष जी, अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे लिए बहुत दुखद है और मुझे सोचना पड़ेगा कि राजनीति में रहना चाहिए कि नहीं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई, अब आप ऐसा मत कीजिए, आप बैठिये। खड़गे जी, मैं संज्ञान ले रही हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर सब बोलेंगे तो यह अच्छा नहीं है।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, श्रीमती रंजीता रंजन ने जो मामला उठाया है, यह बहुत इम्पार्टेंट सब्जैक्ट है। आपकी कोई भी शिकायत हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से उन्हें ट्रीटमैन्ट दिया जा रहा है या जिस ढंग से उन्हें लाया गया, इसे हमें कंडेम करना चाहिए। वह संसद के एक माननीय सदस्य हैं। ठीक है, कानून है...(व्यवधान) कानून अपना काम करे, लेकिन आपको इल ट्रीटमैन्ट करने का हक किसने दिया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बात स्नियं, प्लीज आप बैठियं, हर एक को नहीं बोलना चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप लोग बैठिये। मेरे पास नोटिस आया है, प्रिविलेज का नोटिस भी आया है। 29 मार्च को जब यह बात आई थी, तब हमने वहां अथॉरिटीज से बात भी की थी कि जो ज्यादती हुई है, पुलिस का जो मिसबिहेवियर हुआ है, इन सबकी हमने बात की थी और मैंने एक फैक्चुअल नोट मंगाया हुआ है। वह सब आने के बाद डेफिनिटली हम इस पर कार्रवाई के बारे मे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। We have taken a note. अगर हैंडकफ की बात है तो वह भी गलत है, वह भी हम देख लेंगे। प्लीज, अब आप बैठिये।

11.07 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Question No. 441. Dr. Thokchom Meinya.

(Q. 441)

DR. THOKCHOM MEINYA: Madam, you may kindly note that the 'community radio stations' is a third model of broadcasting in addition to commercial and public broadcasting. Commercial radio serves geographic communities and communities of interest. They are generally non-profit and provide mechanism for enabling people to tell their stories and to share experience to become creators in the world of media. We all know that India lives in villages. आज यहां प्रधान मंत्री आए हैं, और अब बाहर जा रहे हैं। प्रधान मंत्री रेडियो पर मन की बात या काम की बात, आप जैसे चाहे करते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपना प्रश्न तो पृछिए।

...(व्यवधान)

डॉ. थोकचोम मेन्या : मैडम, rightly or wrongly देश के हर कोने में रहने वाले बहुत से देशवासी प्रधान मंत्री को सुनना चाहते हैं। वह भी अपने-अपने डायलैक्ट में सुनना चाहते हैं। Madam, I come from the State of Manipur. It has as many as 30 ethnic communities speaking almost equal number of different dialects. Each community settled in difficult hilly terrains. They are in bad need of Community Radio Stations. The situation is same in all eight States of the North Eastern India and in some other parts of the country as well.

My first supplementary to the hon. Minister is: what specific and special steps are proposed by the Ministry for the establishment of more Community Radio Services in the ethnic-based, dialect-based community pockets in these far flung corners of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): Madam, the hon. Member has a very valid point. In fact, it is for this very reason that the establishment of Community Radio is needed. The hon. Member would be very happy to know that our Cabinet Minister has taken a decision this very year, for the North East especially, about the extension of grant, which has now been extended from 75 per cent to 90 per cent. Therefore, we will cover the costs with an upper cap of Rs. 7.5 lakh. The hon. Member is absolutely welcome to give us applications.

We have also taken more steps to make the Community Radio more sustainable. We have allowed All India Radio news from 2017 January onwards on Community Radio so that people can come to know what is happening in the country. To make it sustainable, we have also allowed the advertisements to be aired – earlier it was five minutes, now we have allowed it for seven minutes. We have also allowed sponsored programmes on Community Radio from the Central and the State Governments. So, our Ministry has been taking steps.

We have eased the process of licensing as well. If there is any application from a Central or a State institution, it does not even need to go to the MHA and to the other Ministries. We have an Inter-Ministerial Committee which will take a decision and grant the license as soon as possible. Even otherwise, if there is an application from a private organization, an NGO, within three months, we will issue a license or respond to the query.

DR. THOKCHOM MEINYA: It is, indeed, very interesting to see Hon. young Minister explaining the things very well. You may remember the last devastating, great earthquake in Nepal. It has a huge presence of Community Radio Stations. As a result of which, Government of Nepal could handle the situation in a more competent and effective manner. These Community Radio Stations could disseminate the information of damage caused, progress of rehabilitation activities

even in the farthest corners of the country, thereby enabling the Community Radio Service to serve the people and to save their lives and property.

From the reply of the hon. Minister, we can see that the number of Community Radio Stations available in the country is very, very less in consideration to the size and diversity of our country. We have 206 Community Radio Stations only, very small as compared to many other countries.

My second supplementary to the hon. Minister is: when and how will the Ministry sanction enough number of such Community Radio Centres in the country to meet the actual needs and requirements of its diverse population, over and above what the hon. Minister has mentioned in his reply?

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.): Again, the Member of Parliament has a very valid point. As of now, we have 206 working Community Radio Stations. But we have issued Letters of Intent to 564 Community Radio Stations. Two things need to be understood. One is that if you compare a Community Radio to a normal FM station, (i) it is only for non-profit purpose and, therefore, that becomes one of the basic differences between a private FM Station and a Community Radio Station. So, there are two ways in which we will broadly improve the quantity of Community Radio Stations within the country. One is by simplifying the process of licensing and creating workshops, regional *sammelans*, and national *sammelans* so that it becomes easier for people to understand as to how to apply for a Community Radio and what are the processes in getting a Community Radio Station.

Secondly, as I said right at the beginning it is a non-profit entity. Therefore, we have to make it sustainable and that is why, we have increased the grants for setting up of the station. We have also made it simpler to get more advertisements so that community railway station can survive.

श्री ओम बिरला: महोदया, 'ट्राई' की वर्ष 2014 की सिफारिशों एवं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का संज्ञान लिया गया है, जिसमें ऑल इन्डिया रेडियो के अपने मूल प्राप्त समाचार को स्थानीय भाषा में अनुवाद करने की अनुमित सामुदायिक रेडियो स्टेशन को दी गई है। रेडियो स्टेशन के संचालन की अनुमित के लिए एक

बार में पाँच वर्ष का लाइसेंस देने का सरकार का क्या कोई विचार है, क्योंकि जब से माननीय प्रधान मंत्री जी ने मन की बात की है, इस देश में रेडियो का महत्व बढ़ा है? हम चाहते हैं कि देश में अलग-अलग भाषायें हैं और उन भाषाओं में प्रधान मंत्री जी की मन की बात का अनुवाद हो। अगर इस बारे में सरकार ने कोई फैसला किया है तो मंत्री जी वह बताने का कष्ट करें।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): महोदया, ऑल इन्डिया रेडियो की जो खबरें हैं, वे जनवरी 2017 से अब कम्यूनिटी रेडियो के ऊपर चलायी जा सकती हैं। पहले पाँच साल तक की परमीशन दी जाती थी, अब हमने उसको और सिम्प्लिफाई किया है। पाँच साल के बाद पहला एक्स्टेंशन एक एप्लिकेशन के ऊपर प्राप्त होगा और उसके बाद दस साल तक अगर कोई कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन लगातार चलता रहेगा तो इस आधार पर उसे आवेदन करने पर 5 वर्ष की एक्सटेंशन सुगमता से मिल सकती है।

श्री चन्द्रकांत खेरे: महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि मंत्री जी के उत्तर बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मेरे सम्भाजी नगर औरंगाबाद क्षेत्र में आकाशवाणी केन्द्र पर अलग-अलग विविध भारती की स्वतंत्र और पूर्णकालिक सेवा शुरू करने की डिमांड मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। उसके लिए 10 या 20 किलोवाट का एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने की बात हुई थी। मैंने एक क्वेश्चन भी रेज किया था, तो बोला गया था कि ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि 10 या 20 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने की बात है।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न कम्यूनिटी रेडियो सेन्टर से सम्बन्धित है। आप बताइए, मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दें।

श्री चन्द्रकांत खेरे: क्या आपकी कोई ऐसी योजना है? इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि पहले एक रेडियो सीलोन था। उस पर बहुत बढ़िया गीत-संगीत सुनाया जाता था। वह भी बन्द कर दिया गया। आप उसका प्रसारण कब चालू करेंगे? यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): महोदया, हालाँकि आपने भी फरमाया है कि यह प्रश्न इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। हमारे मंत्रालय का यह विचार है कि आज तकरीबन 40 प्रतिशत भारत एफ.एम. से कवर्ड है। FM is a better quality radio. उसमें क्लेरिटी ज्यादा होती है और आप उसे अपने मोबाइल फोन पर भी सुन सकते हैं। हमारा यह प्रण है कि तकरीबन 65 प्रतिशत भारत को जल्द से जल्द कवर किया जायेगा। उसके लिए हम कुछ एक रिले स्टेशंस लगा रहे हैं। अपने आप के अन्दर एक कान्टेन्ट तैयार करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन रिले करना आसान

रहता है। जिस तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम के बारे में सांसद साहब पूछ रहे हैं, वे रिले स्टेशन से हो पायेंगे और उसे जल्द से जल्द आपके जो स्टेशंस हैं, उन पर करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री चन्द्रकांत खेरे: पूरे 24 घंटे तक कीजिए।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): हमारी कोशिश यह रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा करें।

माननीय अध्यक्ष: कोशिश ही होती है।

(Q. 442)

SHRIMATI HEMAMALINI: Thank you so much, Madam. I have a question to the hon. Minister of Railways. I would like to know whether Indian Railways has any plan to launch a clean drive and create a monitoring authority in every Zone in order to restrict unauthorized vendors from entering railway stations and trains in an organized conduct. If local people are allowed to run the railways stations, then only licensed vendors should be allowed to enter the platform. There are many unauthorized vendors who enter the platforms and in trains to sell food, food items and other products. This is quite dangerous for the safety of passengers, specially women and children. Some of these vendors are part of the organized human trafficking nexus and they also indulge in child kidnapping. We hear that the Railway Police had caught and punished them also but this is not the solution. There needs to have an organised system to make Indian Railways free from such nexus. I would like to know about the answer.

SHRI SURESH PRABHU: Madam, actually, Shrimati Hemamaliniji has, of course, millions of followers. She is a very popular Member of Parliament. The question actually pertains to halt stations. Typically, a halt station is designed in a manner so that the train only can stop there and there is nothing else there. The train just stops there and goes away. But the question that she is asking is a little different one. It is about the vendors. I fully agree with that. In fact, this is something which is completely discouraged. Of course, the local connivance is always possible. So, we keep conducting raids and try to find out how the hawkers, who are un-authorizedly hawking, are not able to enter the premises. But, it is always a case of social issue. Many people come out and say that we must have social consideration. Human rights issues come in. But, we will definitely make sure that this remains an ongoing drive to make sure that it happens.

As far as local people are concerned, I would like to inform the House that we have just announced a New Catering Policy. We have said that most of the local stalls will be allotted to the local people. The domicile of a person will be

05.04.2017 21

given weightage for getting a stall. In addition to that, we have started a programme and you will be interested to know about it. If the self-Help Groups make some products, they will be able to link it to the e-catering programme. We have already launched this programme. I am very happy to say that in Sawantwadi, Maharashtra, we have already launched this programme. So, for people to get hygienic food made by the Self-Help Groups, it is made available to the passenger on his seat. This is something which we are doing. But, the point is well taken. We will definitely take a note of this. We will continue to work against unauthorized people entering the platform.

SHRIMATI HEMAMALINI: Madam, I would like to know whether the facelift redevelopment project of the 400 railway stations with the partnership of private players is in progress as per the plan. In how many railway stations, the facelift redevelopment project has been completed? क्या आपका ऐसा कोई विचार है, जिससे यात्रियों के लिए यह जर्नी हमेशा एक यादगार बनी रहे? देश के ऐसे कुछ हिस्टॉरिक सिटीज़ और उनके स्टेशंस हैं, जैसे आगरा, मथुरा, बनारस, भोपाल इत्यादि बहुत सारी हिस्टॉरिक सिटीज़ हैं, जिनका महत्व वहां के स्टेशंस पर बहुत ही ख़ूबसूरती से नज़र आए, जैसे लोकल कल्चर, लोकल फुड, वहां का पहनावा, लोकल म्यूज़िक, ये सब वहां के रेलवे स्टेशंस आते ही नज़र आए, which will make beautification of stations as a part of facelift programme. Do you have any plan to do that?

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, स्टेशन रिडेवलपमेंट के बारे में, और आज ही प्रायॉरिटी नं. 6 पर, मैंने इस क्वैश्चन का विस्तृत तरीके से जवाब दिया है। लेकिन, जैसा कि माननीय सदस्या पूछ रही हैं, यह बिल्कुल सही है, यह सरकार का कार्यक्रम है और यह चल रहा है। हाल ही में 23 नए रेलवे स्टेशंस के रिडेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने टेंडर्स भी इश्यू किए हैं। लोकल इथिनक और लोकल कल्चर, लोकल इथॉस को लेते हुए स्टेशन को रिडेवलप किया जाए, इसके लिए हमारी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनके साथ हमने समझौता किया है। कुछ स्टेशंस के डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं। उनको रिडेवलप करने की शुरूआत भी हुई है।

लेकिन, माननीय सदस्या ने जैसा पूछा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, क्योंकि इनका प्रश्न हॉल्ट स्टेशंस के बारे में था, तो इसके लिए मैं हॉल्ट पर हॉल्ट कर रहा हूं और आपको कहता हूं कि इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी।

DR. ANUPAM HAZRA: Madam, as you have noticed, in the last week, an incident took place in the Sealdah Rajdhani Express as far as providing of quality food in the train is concerned. When our hon. C.M. Kumari Mamata Banerjee was the Railway Minister, she had opened an Open Forum where people could lodge their complaints or grievances regarding any service in regard to railway catering. I would like to ask, through you, to the hon. Minister whether any initiative has been taken. To give you just a reference, in that particular incident, hon. Cabinet Minister Shri Babul Supriyo was also suffering from food poisoning. Is there any immediate plan in the near future with the Ministry where the quality of food provided in the railways will be monitored as well as the grievances will be taken care of?

SHRI SURESH PRABHU: Madam, this is about halt stations. I have already answered this question properly in the last week. As far as a complaint redressal mechanism is concerned, our complaint redressal mechanism now is acknowledged as one of the best not only India but globally. Many people are coming here to find out how we are able to address the complaints and find solutions for those complaints on a real time basis. So, there is a mechanism in place.

In fact, when we talked about this I asked Shri Babul Supriyo about this and he told me that he never suffered from this. But we actually took action and terminated the contract even on the basis of information that came in the newspapers. So, the response time was short not only in taking action but also for terminating the contract. ... (*Interruptions*)

श्री दुष्यंत चौटाला: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया जी, हमारे मंत्री जी ने हॉल्ट स्टेशनों के बारे में बात की है और कहा कि वे सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद चाहते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हॉल्ट स्टेशन के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में मेरे प्रयास के फलस्वरूप लगभग 20 सेल्फ हेल्फ ग्रुपों ने बाजरे की प्रॉडक्ट्स बनाकर मिनी सेक्रेटेरियट में बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे हिसार का स्टेशन टीयर-बी का स्टेशन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इन सेल्फ हेल्प

ग्रुपों की महिलाएं रेलवे स्टेशन जैसे- दिल्ली स्टेशन है, चंडीगढ़ स्टेशन है, अम्बाला स्टेशन है, जो टीयर-ए स्टेशन है, वहां पर अपना प्रॉडक्ट बेच सके, तो क्या आपका मंत्रालय इनको स्पेश अलॉट करने के लिए एग्री करेगा। इसके माध्यम से गांव की औरतें भी शहरों के अंदर अपना स्टॉल लगाकर अपने प्रॉडक्ट्स को बेचने का काम कर सकती हैं?

श्री सुरेश प्रभु: महोदया, इस प्रकार के स्टॉल लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। चूंकि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर एक ग्रुप को परिमशन दिया गया तो दूसरा कहेगा कि मुझे परिमशन क्यों नहीं दिया गया, इसलिए पारदर्शी प्रक्रिया से ही स्टॉल दिए जाएंगे। मैं अभी जो कुछ कह रहा था और उसके बारे में हमने जो खानपान नीति अभी जारी किया है, इस नीति में काफी चर्चा की गई है। यह खानपान नीति भी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरी मात्रा में एक्रिडिएट किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल पर कुछ काम किया जाता है, क्योंकि फूड्स की क्वालिटी भी एक अहम बात है। इसे ई-कैटरिंग के द्वारा जरूर लिंक किया जा सकता है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बहुत से रेलवे स्टेशन जो फ्लैग स्टेशन या हॉल्ट स्टेशन हैं, यहां पर यह मूल प्रश्न उठाया गया कि जिसको पब्लिक के द्वारा चलाने की अनुमित दी जाती है ऐसे सभी स्टेशनों पर आने-जाने की सुविधा नहीं रहती है। इन स्टेशनों पर यात्री उतरते हैं, इनमें बड़े, बूढ़े, बच्चे, बीमार एवं औरत हैं। इस प्रकार के यात्री रेलवे लाइन पकड़ कर दूर-दूर तक पैदल चलकर स्टेशन पहुंचते हैं और इन स्टेशनों पर प्लेटफार्म की ऊँचाई भी काफी नीचे रहती है, यहां पर ट्रेन से उतरते समय यात्री गिरते हैं। यात्रियों के लिए प्लेटफार्म ऊँची होनी चाहिए, जिससे कि यात्री ट्रेन से उतरते समय गिर न सके। इसके अलावा दो प्लेटफार्म को आपस में जुड़ने का साधन भी होना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में कई ऐसे स्टेशन हैं, जैसे- दरभंगा से जयनगर और दरभंगा से सीतामढ़ी के बीच जो स्टेशन हैं, वहां पर मैं निरंतर देखता रहता हूं। क्या आप इन स्टेशनों तक आवागमन का रास्ता बना देंगे, जिससे सवारी स्टेशन पर जाएं तो वे प्लेटफार्म तक आसानी से पहुंच सके?

माननीय अध्यक्ष: यह तो अलग प्रकार का प्रश्न है।

श्री सुरेश प्रभु: मैडम , यह सही है कि प्रत्येक स्टेशन पर यह सुविधा नहीं है, जो बड़े स्टेशन पर होती है, इसीलिए इसे हॉल्ट स्टेशन कहा जाता है। इस प्रकार के स्टेशनों पर दिन भर में बहुत कम लोग सफर करते हैं, इसिलए इन यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी नहीं दी जा सकी है। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। यह प्रावधान काफी सालों से चल रहा है। यदि हम सभी स्टेशनों को अपग्रेड करेंगे तो इसका कैंपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जहां-जहां पर संभव है, वहां हॉल्ट स्टेशन

को फ्लैग स्टेशन में कनवर्ट करने का प्रावधान है। यदि सालाना नौ लाख रूपये से ज्यादा आमदनी होती है, पूरे दिन में तीन सौ से ज्यादा पैसेंजर वहां पर आते-जाते हैं और दस साल तक यह सिलसिल जारी रहता है, तो उस स्टेशन को अपग्रेड किया जाता है।

(Q.443)

SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO: Madam Speaker, I would like to know from the Minister of External Affairs whether the Association of Southeast Asian Nations has been helpful in the last 25 years in addressing issues concerning India, particularly those related to terrorism, and during its deliberations in the last few ASEAN summits. Also, is India planning something big to celebrate completion of 25 years of ASEAN-India Dialogue Partnership this year? If yes, what are the details thereof, where would such an event take place and what would be the agenda for it?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, टेरिंग्ज की धमकी और टेरिंग्ज की थ्रेट आज पूरे विश्व को घेर रही है। आसियान अपने आप में बड़े देशों का एक समूह है। यहां पर भी यह बात उठी है और खास तौर पर जब मलेशिया के प्रधान मंत्री से हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की बात हुई, तो वहां पर जो डिरेडिक्लाइजेशन का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसे मद्देनजर रख कर एक चर्चा हुई। उसके बाद जनरल वी के सिंह जब ईस्ट एशिया सिमट के लिए गए और बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, तो उन्होंने कहा कि इस डिरेडिक्लाइजेशन के लिए एक बड़ी कान्फ्रेंस की जानी चाहिए और अगर वह भारत में हो, तो अच्छा होगा। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि डिरेडिक्लाइजेशन की एक कान्फ्रेंस करें। वह कान्फ्रेंस हमने करने का तय किया है। उसमें सारे के सारे आसियान देश आमंत्रित होंगे। अभी जगह तय नहीं की गई है, जो सांसद जी ने पूछा है कि कहां, किस स्थान पर होगी, लेकिन यह डिरेडिक्लाइजेशन के बारे में एक बड़ी कान्फ्रेंस होगी, जिसमें तमाम आसियान देशों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।

SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO: What are the impending issues which would be taken up with ASEAN at various levels? Are we taking up issues like trade *via* South China Sea in ASEAN region or trade via international waters in the region? Would the Minister provide details of the major MOUs, agreements and deals made between ASEAN and India in the last three years? Has there been any change in the policy initiatives of the Government of India in the last three years concerning trade, commerce and bilateral relations between India and ASEAN? If yes, the details thereof and if no, the reasons thereof may be given.

05.04.2017 26

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह कान्फ्रेंस डिरेडिक्लाइजेशन के बारे में है। इसके दो ही थीम हैं। एक क्रॉस बार्डर टेरिंग्जम और दूसरा डिरेडिक्लाइजेशन, जो आजकल खास तौर पर हमारे युवाओं को टार्गेट करके रेडिक्लाइज किया जा रहा है। साउथ चाइना सी उसकी परिधि में नहीं आता है। साउथ चाइना सी का विवाद किसी रेडिक्लाइजेशन की विचाराधारा से प्रेरित नहीं है, इसलिए साउथ चाइना सी उसका विषय नहीं होगा, बल्कि क्रॉस बार्डर टेरिंग्जम यानी सीमा पार आतंकवाद और उसके साथ-साथ, रेडिक्लाइजेशन की विचाराधारा, इसी पर वह कान्फ्रेंस होगी।

डॉ. सत्यपाल सिंह: आज कल के मानव समाज के लिए लोकतंत्र और अनेकता की जो विधायें हैं, वह समाज के लिए सुंदरता है और प्रगति का मूल है। लोकतंत्र अनेकता, व्यक्ति स्वातंत्र्य या व्यापारवर्धी, इन सबके मूल में यह जरूरी है और जो सबसे बड़ा खतरा है, वह कट्टरवाद या रेडिक्लाइजेशन से है।

आज कश्मीर में जो आज अलगाववाद या आतंकवाद देखने को मिलता है, उस कट्टरवाद के बीज लगभग तीन-चार दशक पहले बोए गए। देश के अंदर कट्टरवाद के खिलाफ या एंटी काउंटर रेडिक्लाइजेशन के जो कार्यक्रम थे, वे केवल कश्मीर के अंदर चलाए गए, वहां भी वे सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश की सभी सरकारों को ऐसे निर्देश जारी करेंगी या राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या काउंटर रेडिक्लाइजेशन कान्फ्रेंस आयोजित करने का कोई प्लान है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, जहां तक रेडिक्लाइजेशन पॉलिसी का सवाल है, केवल जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि यह खतरा पूरे विश्व में है और हमारे हर प्रदेश में है, इसलिए केन्द्र सरकार पहले ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक एंटी-रेडिक्लाइजेशन कार्यक्रम कर रही है। इसके साथ-साथ में यह बताना चाहूंगी कि अगर आप तुलना करें तो भारत में अभी तक हम इस मामले में बचे हुए हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अभी तक आंकड़ों के अनुसार 50 युवक रेडिक्लाइज होकर उस तरफ गए हैं। इसका प्रमुख कारण है, इंडियन एथॉस, इसका प्रमुख कारण है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हमारे धर्माचार्य अपने अनुयायियों को अमन और चैन की शिक्षा देते हैं, हमारे यहां पारिवारिक व्यवस्था है, जहां मां-बाप, बड़े भाई-बहन निगाह रखते हैं, यह संस्कार देते हैं कि हम लोग हिंसा के विरोधी हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हम चल रहे हैं और साथ-साथ जो प्रशासनिक कार्रवाई राज्य सरकारों के साथ करनी है, वह केन्द्र सरकार पहले ही हर प्रदेश में कर रही है।

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Hon. Speaker Madam, the Government intends to hold ASEAN counter-radicalisation conference. I would like to ask the hon.

Minister whether the Government will follow the successful four-point programme of the Malaysian Government. Will it not be much better if this Government calls a counter-radicalisation conference of all the Ulemas and the Islamic scholars of ASEAN countries? These are the countries where Muslims are in majority and they have been able to control radicalization very successfully. So, more than calling countries, will this Government call the scholars of all the ASEAN countries so that a joint message can be given by the Ulema? It is because the effect on the youth will not be as much from the people heading the Government as from the scholars, and a true perspective of religion can come out. श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, हम ओवैसी जी के सुझाव पर निश्चित रूप से सकारात्मक विचार करेंगे।

05.04.2017 28

(Q. 444)

श्री लखन लाल साहू: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले रेल मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि मेरे क्षेत्र में वर्षों पुरानी रेल लाइन - बिलासपुर से डोंगरगढ़ - 270 किलोमीटर, की जो मांग थी, उसे इन्होंने पिछले बजट में स्वीकृति दी है। मैं इसका अभिनन्दन करता हूं।

आज पूरे विश्व में पर्यावरण के प्रति हम सब चिंतित हैं और लगातार सभी संगठन, सरकार मिलकर पर्यावरण को मेनटेन करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे बिलासपुर जिले में विगत 60 वर्षों का रिकार्ड टूट गया और मार्च में ही 44-45 डिग्री सैल्सियस गर्मी रही जिस कारण लोगों को बहुत परेशानी हुई। रेलवे विभाग ने वर्ष 2019-2020 तक रेल लाइन के आसपास खाली जगह में 5 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है। संसाधन की उपलब्धता और राज्य विकास के सहयोग से रणनीति बनाकर इसे क्रियान्वित किया जाना है। साथ ही रेलवे विभाग ने जनवरी, 2016 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से राज्य वन विभाग के पक्ष में भूमि के स्वामित्व हस्तांतरण किए बिना रेलवे पटरियों और रेलवे यार्डों के साथ रेल भूमि पर पौधारोपण के लिए क्षेत्रीय रेलों एवं राज्य वन विभाग के बीच एक मॉडल करार तय किया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री लखन लाल साहू: इसके तहत पौधा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप रेल लाइन के किनारे की भूमि पर पौधारोपण के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश में रेलवे के पास सैंकड़ों हजारों एकड़ भूमि ऐसी भी है जो रेलवे के आधिपत्य में है, परन्तु उसमें आज और निकट भविष्य में किसी प्रकार की परियोजना नहीं चल रही है जिसके कारण उसमें अतिक्रमण किए जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पर्यावरण को देखते हुए, जल संरक्षण के दृष्टिकोण से पौधे लगाकर ऐसी भूमि को उपयोग में लाएंगे?

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रश्न को ऐडिमट किया। मैं सम्माननीय सदस्य को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा।

यह बिल्कुल सही है कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण की दिखाई दे रही है। पर्यावरण की समस्या से लड़ने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। उसमें बहुत अहम बात पेड़ लगाने की होगी। इसलिए हमने पिछले साल कार्यक्रम बनाया कि 5 करोड़ पेड़ लगाएंगे। मुझे कहने में खुशी

है कि हमने पिछले साल ही तकरीबन सवा करोड़ पेड़ लगा दिए। हमने पांच राज्यों के साथ ऐग्रिमेंट भी किया है। मैं पहले पर्यावरण मंत्री भी था। मैंने देखा है कि बहुत समय ऐसा होता है कि पेड़ लगते हैं, लेकिन सर्वाइव नहीं करते। पेड़ का सर्वाइवल रेट बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने राज्य सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ टाई-अप किया है। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और वैस्ट बंगाल के नमामि गंगे कार्यक्रम में भी उसे सम्मिलित किया गया है। जैसे आपने पूछा, रेल ट्रैक के किनारे भी पेड़ लगाएंगे और साथ ही जो जगह कब्जे में है, उसे ठीक करके भी पेड़ लगाएंगे। आज जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए डिटेल्ड प्लान बनाया गया है। नर्सरीज़ किस तरह खोली जाएंगी और कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जटरोपा जैसे पेड़ लगें। हमने यह भी तय किया है कि हम सिर्फ टीक, पीपल, नीम, इमली, सीरिज, महुआ, बिनयान, शिशिर, कदम, चितवन, गुलमोहर, कासिया और बबुल फूड़ी के पेड़ लगाएंगे क्योंकि यहां की जमीन के साथ पेड़ का रिश्ता होना आवश्यक है। इसके लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों से विनती करता हूं कि आप भी उसमें सिम्मिलित हो जाइए। एक जन-आंदोलन बनना चाहिए। देश को उसका लाभ होगा। जैसे आपने कहा कि गर्मी बढ़ रही है, कार्बन सिंक वे होते हैं, a forest is a carbon sink. हमें उसका भी लाभ मिलेगा।

श्री लखन लाल साहू: माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे देश में विकास का दौर चल रहा है, जिसके कारण रेल लाइन और सड़कों का विस्तार हो रहा है। लेकिन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कारण लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके साथ-साथ पर्यावरण को संरक्षित रखने वाले अन्य अवयव जैसे झील, पोखर, पहाड़ आदि को भी काटने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण का निरंतर क्षरण हो रहा है, क्योंकि जितनी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं, उतनी मात्रा में नये पेड़ नहीं लगाये जा रहे।

अभी मंत्री जी ने बताया कि पूर्व रेलवे के माध्यम से नमामि गंगे योजना के तहत भी पेड़ लगाने का करार हुआ है। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पेड़ लगाने का करार किया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के माध्यम से 2 जुलाई को पांच करोड़ पौधे नर्मदा नदी के दोनों किनारे पर लगाने का निर्णय किया गया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूं। छत्तीसगढ़ में हरियर छत्तीसगढ़ योजना वर्ष 2011 से चल रही है। इसमें आज तक करोड़ों पौधे लगाये जा चुके हैं। इसमें प्रदेश के मुखिया डॉ. रमन सिंह

समेत सब मंत्रीगण, सामाजिक और स्वैच्छिक संस्था के लोगों के साथ-साथ सीएसआर मद के औद्योगिक घराने भी शामिल हो रहे हैं। इसी प्रकार से वृक्ष मित्र अभियान के तहत भी कार्यक्रम चल रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेल विभाग द्वारा जून से पहले पूरे देश में वृक्षारोपण करने की कोई योजना है?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य का कहना है कि अभियान चलाया जाये।

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदया, सौभाग्य से रेल पूरे देश में जाती है इसलिए यह योजना पूरे देश में लागू है। मैंने इस संबंध में सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा है। हमने पर्यावरण मंत्रालय के साथ भी समझौता किया है। इसके साथ-साथ मैंने सब कॉरपोरेट सैक्टर के लोगों से विनती की है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सब सम्माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को साथ लेकर काम करेंगे। मैडम, अगर आप मुझे अनुमित दें, तो मैं इस किताब को टेबल पर रखना चाहता हूं। इससे सब सांसदों को पता चल जायेगा कि हम किस तरह से कार्यक्रम चला रहे हैं। वैसे मैं यह किताब सब सांसदों को भेज भी दूंगा। मैंने पिछले साल आदेश दिया था कि रेलवे लैंड के ऊपर वाटर बॉडीज को आईडेंटिफाई किया जाये। हमने 1560 वाटर बॉडीज को आईडेंटिफाई किया है, जो पूरी तरह से बुझी हुई थीं। इसी में से 1527 वाटर बॉडीज को रिस्टोर किया गया है। हैदराबाद में सिर्फ एक वाटर बॉडी से ही हमें 2.5 लाख लीटर पानी मिल रहा है। आप इस किताब में यह देख सकते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और क्या स्थिति है? ये वाटर बॉडीज पूरी भर गयी थीं और आज इतना बड़ा तालाब बन गया है। हम यह काम पूरे देश में कर रहे हैं। यह देश का ही आंदोलन है।

मैं विनती करना चाहता हूं कि पेड़ लगाने और पानी के काम में आप सब सम्मिलित हो जाइये। मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप वृक्ष मित्र ट्रेन चलाना चाहते हैं, वह ऐसी कोई विशेष योजना चाहते हैं।

श्री विक्रम उसेंडी: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अभी बहुत सारे उत्तर दिये हैं। हम जब ट्रेन में सफर करते हैं, तो देखते हैं कि रेलवे जमीन के अतिरिक्त किनारे-किनारे और रेलवे कालोनी में खाली जगह पर वृक्षारोपण हो रहा है। यह माननीय मंत्री और विभाग द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है।

मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में तकरीबन 86 हजार किलोमीटर रेल लाइन्स है, जिसमें से मात्र 73 किलोमीटर का ही वृक्षारोपण हुआ है, इसलिए इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में कितने फीट के पौधे लगाये गये हैं

और प्रति पौधा क्या खर्चा हुआ है? उनके रख-रखाव और पानी की देखरेख के साथ-साथ वर्तमान में जो सवा सौ करोड़ पौधे लगाये गये हैं, उनमें से कितने प्रतिशत पेड़ जीवित हैं?

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदया, मैंने बताया है कि इस काम में राज्य सरकारों को सिम्मिलित किया गया है क्योंकि उनके फॉरेस्ट डिपार्टमैंट का यही काम होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमैंट पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन उनकी एक कितनाई यह है कि उन्हें लैंड नहीं मिलती। इसके लिए रेलवे की लैंड दी जायेगी और उनकी एक्सपर्टीज यूज की जायेगी। इसके साथ-साथ उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होगी। एक सरवाइवल रेट, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था, उसे बढ़ाने, रख-रखाव और पानी देने आदि का काम किया जाता है। चार साल तक उस पौधे को देखना पड़ता है, तािक कोई जानवर उसे खा न जाये। इन सभी चीजों को देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम लोगों ने कितने पेड़ किस-किस राज्य में लगाये, उसकी जानकारी मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में दी है। यह जानकारी मैंने राज्य के साथ-साथ जोनवाइज दी है। ये सवा करोड़ पेड़ कैसे लगाये गये हैं, उसकी जानकारी भी उत्तर में दी गयी है।

माननीय अध्यक्ष : अब जो भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछें, वे इसमें सहयोग का आश्वासन देते हुए प्रश्न पूछें, तो अच्छा रहेगा।

श्री राजीव सातव: अध्यक्ष जी, सहयोग के बारे में ही मैं यहां बताना चाहता हूं कि जब पिछली बार ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुई थी, तब डीआरएम, नांदेड़ की तरफ से एमपीलैंड फण्ड से मदद करने की बात आई थी और मैंने उसके लिए लेटर भी लिखा था। उसके बाद कलेक्टर ने कहा था प्लांटेशन्स और ट्री गार्ड्स के लिए एमपीलैंड फण्ड में कोई प्रॉविजन नहीं है। जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, जितने प्लांट्स हम लगा रहे हैं, भले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाए, लेकिन उनकी ऑडिट हमारी तरफ से करने की जरूरत है कि अगर दो करोड़ प्लांट्स लगाए जा रहे हैं तो कम से कम 20 लाख प्लांट्स जिन्दा रहें।

दूसरी बात यह है कि जो सांसद एमपीलैण्ड फण्ड से इस काम के लिए पैसे देना चाहते हैं, उनको एलाऊ किया जाए, क्योंकि पिछली बार मुझे ट्री प्लांटेशन के लिए फण्डिंग एलाऊ नहीं की गयी थी। ट्री प्लांटेशन के लिए हम इसमें मदद करना चाहते हैं, अन्य सांसदगण भी इससे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हर साल हम उसी गढ़ढे में पौधे न लगाएं, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

श्री सुरेश प्रभु: माननीय सदस्य की बात बिल्कुल सही है। मैं फिर से कहता हूं कि survival rate of plantation is a very important issue. उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसके लिए एकाउण्टिबिल्टी और रिसपांसिबिलिटी तय करनी चाहिए। इसके लिए हमने जो एग्रीमेंट किया है, उसकी कॉपी भी मैं दे दूंगा। उसमें हमने लिखा है कि उनको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

05.04.2017 32

दूसरी बात भी सही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फण्ड, जिसे प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन मिनिस्ट्री देखती है, उसमें भी परिवर्तन करना चाहिए और पेड़ लगाने के साथ, वाटर बॉडीज के रिस्टोरेशन के बारे में अगर हम उसमें प्रॉविजन करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा।

श्री बलभद्र माझी: मैडम, मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे प्रयास से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री जी ने हाथ बढ़ाया कि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा खर्च करेगी, उसकी वजह से अभी दो साल में, ओडिशा में करीब 10 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं।

मैडम, जैसा मंत्री जी ने कहा है और जैसा माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न उठाए हैं कि क्या रेलवे विभाग एक सर्वे कराएगा कि पिछले वर्षों में जितनी प्लांटेशन हुई थी, उसमें से कितने पौधे जिन्दा हैं और वे अब तक कितने बड़े हो गए हैं? दूसरी बात यह है कि जब हम डबल लाइन या थर्ड लाइन बनाते हैं तो रेलवे द्वारा लगाए हुए पेड़-पौधों को काटने के लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या उस प्रक्रिया में कुछ सरलीकरण करेंगे, जिससे रेलवे द्वारा लगाए हुए अपने पेड़ों को काटने में उसे इतनी तकलीफ न उठानी पड़े?

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है। इसके लिए हमने एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ समझौता किया है, जिसमें यही बात लिखी है यदि रेलवे लाइन के दोहरीकरण करने, तिहरीकरण करने या विस्तार करने के लिए उस जमीन की जरूरत होगी तो पेड़ काटने की अनुमति दी जाएगी। हम उसके बदले ज्यादा पेड़ लगाएंगे। हमारे देश के फॉरेस्ट एक्ट, 1980 में यह प्रावधान है कि यदि एक पेड़ काटेंगे तो उसके बदले तीन-चार पेड़ लगाने होते हैं, जिसे कम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। लेकिन यह कानून सिर्फ फॉरेस्ट लैण्ड पर लगता है और रेलवे की जमीन फॉरेस्ट लैण्ड नहीं है। फिर भी आपकी बात सही है कि आगे इसमें समस्या न हो, अन्यथा ट्रेन नहीं चल पाएगी, इसलिए हमने एक एग्रीमेंट किया है, उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं। मैं पहले एनवायरन्मेंट मिनिस्टर भी था।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: मैडम, मेरे सप्लीमेंटरी प्रश्न का पार्शियल जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। जिस तरह से मंत्री जी ने रेल मंत्रालय को चलाया है और उसमें एमपीज की पार्टीसिपेशन को भी बढ़ाया है, उसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह बहुत अच्छी बात है। मेरा यही कहना है कि मॉनीटरिंग सिस्टम को जितना ज्यादा स्ट्रेंथेन किया जाएगा, वह बेहतर होगा। रेलवे की बात अलग है, लेकिन इस देश में हर साल वन महोत्सव मनाए जाते हैं, अगर हम उनका टोटल करें तो इस देश में आज ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जहां पेड़ न लगे हों। इसलिए मॉनीटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना ज्यादा जरूरी है।

माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं एक छोटी सी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हम सभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आते-जाते हैं। कहने के लिए हम वहां वीआईपी गेट से इंट्री करते हैं, लेकिन वह गेट बन्द रहता है। जितने भी माननीय सदस्य पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों से आते हैं, हमें उसमें दिक्कत आती है। वह गेट बन्द रहता है। मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वहां के स्टेशन मास्टर को कहें कि कम से कम उधर से आने वाली शताब्दी ट्रेन्स से दस मिनट पहले वह गेट खुलवा दिया करें, क्योंकि हमें परेशानी होती है।

माननीय अध्यक्ष: वीरेन्द्र जी, यह प्रश्न ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता है।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: मैडम, माननीय मंत्री जी की नोटिस में लाने के लिए मैंने यह बात कही है।

माननीय अध्यक्ष : आपका यह प्रश्न मूल प्रश्न से सन्दर्भित नहीं है, इसके लिए आप उनको पत्र लिखिए। ऐसा नहीं होता है।

श्री वीरेन्द्र कश्यप: मुझे इतना ही कहना है कि यह जो ग्रीन इंडिया मिशन है, यह बहुत अच्छा चलाया गया है और बड़ी अच्छी बात है कि ये पांच करोड़ वृक्ष लगाये जा रहे हैं,...(व्यवधान) मेरा इतना कहना है कि सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए।

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, मैं इसी बात को दोहराना चाहता हूं, इसीलिए हम लोगों ने राज्य सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ समझौता किया है, लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि हमने कोंकण रेलवे को कहा था कि सैल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर, महिलाओं को लेकर, हम लोगों ने एक नया अभियान चलाया है और जो पेड़ ट्रैक के किनारे लगाये गये हैं, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स की महिलाएं उनका प्लांटेशन कर रही हैं और उनको प्रोटैक्ट करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ-साथ यदि हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी उसमें होगा और लोग ये सोचेंगे कि मैं उसको रोकना चाहता हूं, जैसे 'चिपको आंदोलन' था, मुझे लगता है कि अभी चिपको की जरूरत नहीं है, लगाओ की जरूरत है क्योंकि चिपको तो बाद में आएगा तोड़ने के पहले। इसलिए अभी लगाओ आंदोलन चलाने की जरूरत है।

श्री भेरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत दिन बाद बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष: मुझे 300 मैम्बर्स को मुझे अटैंड करना है, बहुत दिन बाद ही आएगा।

...(व्यवधान)

05.04.2017 34

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो झांसी डिवीजन में उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि 5,79,000 पौधे लग गये, इलाहाबाद में 4,41,000 लग गये और आगरा में 4,39,000 लग गये, लेकिन हम जब जाते हैं तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। उन्होंने किस एजेंसी से समझौता करके लगाये हैं और कहां लगाये हैं, क्या वह बताने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेश प्रभु: माननीय अध्यक्ष जी, मैं दोबारा उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, उसके साथ हमने समझौता करके ये सब लगाये हैं। जो पेड़ पहले दिन लगने के बाद पूरे दिखने लगेंगे तो भी चिन्ता करने का विषय है और नहीं दिखेंगे तो भी चिन्ता करने का विषय है। लेकिन पेड़ लगने के बाद जाते समय हमें बहुत पेड़ दिखने लगेंगे तो भी चिन्ता का विषय हो सकता है, इसलिए मैं समझता हूं कि लगने के बाद पेड़ को ऊपर आने के लिए थोड़ा समय भी देना चाहिए, लेकिन सर्वाइवल रेट बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। जो लैंड मिल नहीं रही थी, वह लैंड हमने दी है और इसके साथ-साथ हम लोग टैक्नीकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, हमने उसको काफी सपोर्ट किया है, लेकिन यह जिम्मेदारी लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है।

HON. SPEAKER: Q.445 – Shrimati Meenakashi Lekhi - not present. Now, the Minister.

HON. SPEAKER: Q. 446 – Shri Manoj Tiwari – not present.

Now, the Minister

बीच का प्रश्न चला गया है, फिर आपका नम्बर आया है। आज रेलवे पर ही प्रश्न हैं। मैं क्या करूं?

(Q.446)

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: Madam, with your kind permission, I will deviate a little bit from the original question.

Madam, there are two ambitious Railway projects in my constituency, namely, Tumkur-Rayadurg and Tumkur Davangere which have been sanctioned. HON. SPEAKER: This Question is regarding renovation of Railway Stations.

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: Madam, that is why, I sought permission for a little deviation from the original question.

These two Railway projects were sanctioned at 50:50 cost-sharing between the Railways and the respective State Government. Now the Government of Karnataka has deposited Rs.100 crore for these projects and the Railways have deposited Rs.44 and odd crore for land acquisition. Now 172 acres of land has been acquired to create junctions for these two projects near Tumkur Railway Station. Out of 172 acres of land, 144 acres have been sought for de-notification by the Railways. I had brought this to the notice of the hon. Minister also. It is very sad that the Railways do not want land which has been acquired. Unfortunately, the original land owners are not seeking de-notification of the land. There is some nexus between some authorities and some real estate agents. That is why, the land which has been acquired for creating a junction near Tumkur is likely to be de-notified by the Railways.

I would like to know from the hon. Minister whether he will take initiative to see that the land is restored with the Department of Railways.

SHRI SURESH PRABHU: Madam, I have heard him with rapt attention and I have noted it... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is not related to the main Question. That is why, he has taken note of it and he will see to it.

Shri Ganesh Singh.

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार का प्रश्न है और रेलवे ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, नहीं, आप बैठिए।

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे ने रेलवे स्टेशंस को कैटेगराइज किया है और उसके आधार पर जो मापदंड रखे हैं, यह बहुत पुराना नियम है। मुझे लगता है कि उसे फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में 18 रेलवे स्टेशंस हैं। उनमें से दो रेलवे स्टेशंस 'ए' कैटेगरी के हैं, 14 रेलवे स्टेशंस 'ई' कैटेगरी के हैं, लेकिन वहां जिस कैटेगरी में जितनी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए, वह उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सुविधाओं की दृष्टि से कैटेगराइजैशन किया गया है, क्या वह उसे रिव्यू करेंगे?

दूसरा, उन्होंने कुछ निवेशकों को रेलवे स्टेशंस के बाहर की जमीन को डेवेलप करने के लिए दी है। मध्य प्रदेश में एक रीवा रेलवे स्टेशन है, वहां पर टेंडर आया था, वहां पर जिस पार्टी ने उस टेंडर को लिया, उन्होंने कहा कि मैं एक मुश्त पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आर.एल.डी.ए. एक मुश्त पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है? अगर कोई पुराना नियम है तो उसे बदल कर क्या एक मुश्त पैसा लेना चाहिए?

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदया, रेलवे स्टेशंस को सुधारीकरण और आधुनिकीकरण करने की एक बहुत पुरानी योजना है। हम ने देखा है कि उसके लिए बहुत-से नाम भी दिये गये हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह योजना टेक-ऑफ नहीं हुई, इसलिए हम लोगों ने जो योजनायें चल रही हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन करके बढ़ाने की कोशिश की है। हम लोगों ने देश में ऐसे 400 स्टेशंस आइडैंटीफाई किए हैं, जिनका पूरी तरह से माडर्नाइजैशन और रिडेवेलपमेंट करके एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम ने अलग-अलग तरह के तरीके अपनाये हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जहां से सम्मानीय सांसद निर्वाचित हो कर आये हैं, वहां भोपाल के हबीबगंज में पहला रेलवे स्टेटशन पी.पी.पी. मॉडल पर मॉडर्नाइज्ड होगा, उसे हैंडओवर भी कर दिया है। इसके साथ-साथ बहुत जल्द ही सूरत, आनंद बिहार और बिजवासन रेलवे स्टेशंस का मॉडर्नाइजैशन हो जायेगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए हमारे सम्मानीय प्रधान मंत्री जी ने नौ जनवरी को शिलान्यास भी किया है और वहां 300 रूम्स का एक अच्छा फाइव स्टार होटल भी बनेगा। हमारी अर्बन डेवेलपमेंट मिनिस्ट्री की दो योजनायें हैं - 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने की योजना और 400 सिटीज के लिए अमृत योजना है। हम लोगों ने उनके साथ भी समझौता किया है। हम आने वाले दिनों में उन्हें विकसित करेंगे। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास काफी धन है, उन्हें भी जगह

की जरूरत होती है। हम ने पोट्रोलियम मिनिस्ट्री से कहा है कि आप अपने धन से रेलवे भूमि को विकसित करिए। अलग-अलग तरीके से उनको विकसित करने का काम हो रहा है। अगर वह चाहेंगे तो मैं स्टेशंस रिडेवेलपमेंट का प्लान भी आपके साथ शेयर कर लेंगे।

श्री जुगल किशोर: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं और उनके प्रति आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर में रेल यात्रियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए जम्मू-रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करना बहुत ही जरूरी था। मैं उनके प्रति आभार इसलिए प्रकट करना चाहता हूं कि जम्मू रेलवे स्टेशन को रेल मंत्री जी ने इसमें लिया है, लेकिन परेशानी यह है कि वह जल्द से जल्द शुरू हो जाये।

मैं आपके माध्यम से उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इसे आधुनिक तरीके से प्रारंभ करने और अच्छा बनाने का काम कब तक शुरू होगा? पिछले दिनों मंत्री महोदय ने इसका शुभारंभ भी किया था। श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष महोदया, सम्मानीय सदस्य जानते हैं कि हम ने वहां जाकर उसका खियू किया था। वहां जो लोकल दिक्कतें आ रही है, हम उन्हें दूर करने के लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट के साथ सार्ट-आउट कर रहे हैं, वहां जल्द से जल्द काम हो, हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे।

HON. SPEAKER: Question No. 447

Shri Ashok Mahadeorao Nete -- Not present.

श्री पंकज चौधरी जी भी उपस्थित नहीं है।

यह ठीक नहीं है।

Now, the hon. Minister.

(Q. 448)

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है, इसलिए कोई उप-प्रश्न नहीं है।

HON. SPEAKER: Shri Ashok Shankarrao Chavan - Not present.

The Question Hour is over.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण मुझे कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा विभिन्न विषयों के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन मैने कार्य स्थगन की अनुमित नहीं दी है। अन्य समय में इन्हें उठाने के लिए सोचा जायेगा।

...(व्यवधान)

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): महोदया, श्री राजीव प्रताप रूड़ी की ओर से, मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

- (1) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 63(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) शिक्षु (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 2 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साठकाठिनठ 186 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6809/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Appointing Authority, Disciplinary Authority and Appellate Authority for Group 'B' (other than Section Officer and Private Secretary) and Group 'C' posts, Central Information Commission Order, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 244(E) in Gazette of India dated 15th March, 2017 under the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

[Placed in Library, See No. LT 6810/16/17]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the All India Services Act, 1951:-

- (i) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.1106(E) in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (ii) The Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1107(E) in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (iii) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.205(E) in Gazette of India dated 8th March, 2017.
- (iv) The Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.206(E) in Gazette of India dated 8th March, 2017.
- (v) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.1104(E) in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (vi) The Indian Forest Service (Pay) Second Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1105(E) in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (vii) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.1177(E) in Gazette of India dated 27th December, 2016.
- (viii) The Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1178(E) in Gazette of India dated 27th December, 2016.
- (ix) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.1193(E) in Gazette of India dated 30th December, 2016.
- (x) The Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1194(E) in Gazette of India dated 30th December, 2016.

(xi) The Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.81(E) in Gazette of India dated 1st February, 2017.

- (xii) The Indian Police Service (Pay) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.82(E) in Gazette of India dated 1st February, 2017.
- (xiii) The Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.83(E) in Gazette of India dated 1st February, 2017.
- (xiv) The Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.84(E) in Gazette of India dated 1st February, 2017.
- (xv) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.171(E) in Gazette of India dated 27th February, 2017.
- (xvi) The Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.172(E) in Gazette of India dated 27th February, 2017.
- (xvii) The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.179(E) in Gazette of India dated 28th February, 2017.
- (xviii) The Indian Forest Service (Pay) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.180(E) in Gazette of India dated 28th February, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6811/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6812/16/17]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (ii) Annual Report of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6813/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
- (i) Memorandum of Understanding between the RITES Limited and the Ministry of Railways for the year 2016- 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6814/16/17]

(ii) Memorandum of Understanding between the IRCON International Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6815/16/17]

(iii) Memorandum of Understanding between the Rail Vikas Nigam Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6816/16/17]

(iv) Memorandum of Understanding between the Konkan Railway Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6817/16/17]

(v) Memorandum of Understanding between the Mumbai Rail Vikas Nigam Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6818/16/17]

(vi) Memorandum of Understanding between the Braithwaite and Company Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6819/16/17]

(vii) Memorandum of Understanding between the Railtel Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6820/16/17]

(viii) Memorandum of Understanding between the Bharat Wagon and Engineering Company Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6821/16/17]

(ix) Memorandum of Understanding between the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6822/16/17]

(x) Memorandum of Understanding between the Container Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6823/16/17]

(xi) Memorandum of Understanding between the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6824/16/17]

(xii) Memorandum of Understanding between the Burn Standard Company Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6825/16/17]

(xiii) Memorandum of Understanding between the Indian Railway Finance Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6826/16/17]

(xiv) Memorandum of Understanding between the Kolkata Metro Rail Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6827/16/17]

(2) A copy of the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Amendment Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1165(E) in Gazette of India dated 22nd December, 2016 under Section 199 of the Railways Act, 1989.

[Placed in Library, See No. LT 6828/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-
- (i) Report of the Comptroller and Auditor General of India Union Government (Commercial) (No. 9 of 2017)- Compliance Audit Observations for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 6829/16/17]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of IndiaUnion Government (Commercial) (Report No. 6 of 2017)- General Purpose Financial Reports of Central Public Sector Enterprises (Compliance Audit) for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 6830/16/17]

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
- (i) Memorandum of Understanding between the Scooters India Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6831/16/17]

(ii) Memorandum of Understanding between the Tungabhadra Steel Products Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6832/16/17] THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY):

I beg to lay on the Table a copy of Notification No. 12/2017-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 5th April, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 12/2012-Cusoms dated 17th March, 2012 so as to allow duty free import of raw sugar upto a quantity of 5 lakh MT under Tariff Rate Quota upto and inclusive of 12th June, 2017 under section 159 of the Customs Act, 1962.

[Placed in Library, See No. LT 6833/16/17]

12.03 hours

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i) National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce** the Bill.

HON. SPEAKER: Shri Thaawar Chand Gehlot - not present.

... (Interruptions)

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 05.04.2017

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): There is no Minister.

HON. SPEAKER: It is okay.

I have received your privilege notice.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, last week, I raised a serious issue of delaying of appointment of Lokpal in this House. The hon. Finance Minister replied that that is in the Standing Committee. He was actually misleading the House. The Standing Committee had passed ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have received your privilege notice and it is under my consideration. I am sorry. We will now take up 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग प्रिविलेज नोटिस की बात कह रहे हैं, आप इसे डिस्कस कैसे करोगे?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रिविलेज नोटिस दिया है, वह कंसीड्रेशन में है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रिविलेज नोटिस का वहां से कोई जवाब नहीं आएगा।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, लेकिन हमें अपनी बात कहने का मौका तो दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, it is an important issue regarding delaying the appointment of Lokpal. I had already raised that issue. Hon. Finance Minister told that the Bill is in the Standing Committee which was not true because the President has given assent to the Bill. The Lokpal Bill was passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the hon. President has also given assent. The hon. Finance Minister has actually deliberately misled the House. That is why, I am seeking to move a privilege motion.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): अध्यक्ष महोदया, मैंने भी प्रिविलेज का नोटिस दिया है, क्या आप बताएंगी कि उसका क्या हुआ?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, आपका भी प्रिविलेज का नोटिस आया है।

...(व्यवधान)

श्री आनंदराव अडसुल: हमने प्रिविलेज का नोटिस दिया है, लेकिन वह अंडर कंसीड्रेशन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई निर्णय हुआ है या नहीं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी मेरे पास नोटिस नहीं आया है, जब मेरे पास नोटिस आएगा, तो मैं अपने आप बताऊंगी।

...(व्यवधान)

श्री आनंदराव अडस्ल: मैंने बहुत समय पहले नोटिस दिया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है और ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जून खड़गे: हमारे प्रिविलेज के बारे में आपने क्या सोचा है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने कह दिया है कि प्रिविलेज मोशन को कंसीडर किया जाता है। एकदम यहां उत्तर नहीं दिया जाता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने कहा है कि अभी मेरी कंसीड्रेशन में है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will see. It is under my consideration.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Are you referring to the Committee?

HON. SPEAKER: No, I am not referring to anybody. It is under my consideration. I will see and come to you. How can I say something now?

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्या इस तरह से निर्णय होता है?

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, I respect your words. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उसे समझ लिया है, मैं उसको देखूँगी।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: If the hon. Minister who is well read and who is an eminent lawyer, speaks ... * in the Parliament, then what is this?.... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will have to see.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह ठीक है, लेकिन मुझे भी तो देखना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी के अभी यहाँ पर उत्तर नहीं दिया जाता है, उसे मुझे देखना पड़ेगा। उन्होंने जो कहा है और वास्तविकता क्या है, उसे देखना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Shri Kharge and Shri Venugopal are well versed with the rules and regulations that govern the Privilege Motion. They have given a notice and it will be taken up through a due process. Why are they so perturbed? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: They know the procedure also.

^{*} Not recorded.

12.05 hours

(ii) Constitution (One Hundred and Twenty-Third Amendment) Bill, 2017*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): महोदया, मैं उच्च सदन में था, इसलिए यहाँ आने में हुए विलम्ब के लिए मैं क्षमा चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। मैं आपको अलाऊ कर रही हूँ।

श्री थावर चंद गहलोत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान को और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 05.04.2017

12.06 hours

(iii) National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017*

श्री थावर चंद गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।
HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to repeal the National Commission for Backward Classes Act, 1993."

The motion was adopted.

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, में विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2 dated 05.04.2017

12.08 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Pakistan's unilateral attempt to declare Gilgit-Baltistan as its fifth province and the need for Government to take strict action without delay

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I am raising a very important issue relating to Pakistan. Very recently the Pakistan Government has unilaterally decided to declare Gilgit and Baltistan as the fifth State of that country. Those who are aware of the history of the division of this country in 1947 are very much aware that during that period large parts of this country was under the control of the respective feudal lords and they were under the feudatory rulers. Jammu and Kashmir was not annexed with India till 1948. ... (Interruptions) Instrument of Accession was signed by Raja Hari Singh at a later date in 1948. But before that, there was a British political agent who was in-charge of Gilgit and Baltistan who had unilaterally taken a decision on his own and had allowed the Pakistani Army and other officers to come over and take charge of Gilgit and Baltistan. That is how that part today is with Pakistan even though our Parliament, our Constitution recognizes Gilgit and Baltistan as an integral part of this country. But when Pakistan has taken a decision unilaterally that it would be declaring that part as the fifth State other than Baluchistan, Sindh, Punjab and North-West Frontier Province which they call as Pakhtunkhwa, भारत सरकार की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया आयी है या नहीं आयी है। यही हमारी चिन्ता का कारण है क्योंकि इसकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी काफी चर्चा हो चुकी है। The Parliament of England has also passed a Resolution denouncing the Pakistan's attempt of declaring Gilgit and Baltistan as its Fifth State. What is our Government's response? I would like to know that from our Government. I would also want to stress upon that we should not forget history. Once we forget history, we will be repeating that history. Jammu & Kashmir is an integral part of India but the Occupied Kashmir is also a part of

India. We should also remember that. Baltistan and Gilgit are also an integral part of India and for that we should always vouchsafe in the international forum. I would like to get a response from the Government. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Rajendra Agrawal, Shri M.B. Rajesh, Shri Pralhad Joshi, Shri Dushyant Chautala, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Uday Pratap Singh, Shri Devji M. Patel are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

आप लोग बैठिये, आप इस पर सहयोगी बन सकते हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर एक के लिए बोलना जरूरी नहीं है।

...(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): मैडम, भर्तृहरि जी ने जो विषय संसद में उठाया है, मुझे लगता है कि पूरा सदन उसके साथ अपने आपको सम्बद्ध कर रहा होगा, समेत सरकार के। जो तथ्य उन्होंने रखे हैं, वे तथ्य सही हैं। लेकिन मैं उन्हें यह कहना चाहती हूं कि आपने गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का बयान तो देख लिया, क्या आपने हमारी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं देखी? अध्यक्ष जी, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि जिस दिन पाकिस्तान का यह बयान अखबार में आया और हमें पता चला तो बिना समय गंवाये पांच मिनट के भीतर भारत सरकार ने उसे खारिज किया। जो उन्होंने कहा है कि दोनों सदनों का प्रस्ताव है, केवल लोक सभा का नहीं, लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों का, भारतीय संसद का यह प्रस्ताव है कि सारे का सारा कश्मीर हमारा है। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है। में भर्तृहरि जी को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आज जो सरकार है, प्रारम्भ से उसकी पार्टी यह नारा लगा रही है - 'जहां हुए बिलदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वह सारे का सारा है। इसलिए इस सरकार के कार्यकाल में एक क्षण के लिए भी यह आशंका करना कि हम किसी हिस्से को जाने देंगे, यह गलत है। जो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव हैं, हम उनसे भी बंधे हुए हैं और अपने स्वयं के संकल्प से भी बंधे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान का यह कहना कि गिलगित-बाल्टिस्तान को हम अपना पांचवां प्रदेश बना लेंगे, यह हमें पूरी तरह अस्वीकार्य है और यह मैं संसद में खड़े होकर कहना चाहती हूं। ... (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, why cannot we move a Resolution in this House condemning Pakistan's attempt?... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, this is another issue. I have given a Notice of Adjournment Motion. ... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Let us move a Resolution in this House condemning Pakistan's attempt recently. It was long back a Resolution was moved in this regard.... (*Interruptions*) हमारी पार्लियामैन्ट की तरफ से ऐसा होना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या होना है? ऐसा क्या होता है, सभी को लेंगे।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिये, मैं सबकी भावनाएं समझती हूं।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): मैडम, हमारे एक सांसद यहां ट्रेन से आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन पर बैन लगा रखा है और यह सिलसिला हमेशा चलता रहा है, सबके लिए यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक कस्टोडियन होने के नाते हम आपसे अपेक्षा करते हैं। हमने आपके साथ मीटिंग की है, प्रिविलेज मोशन भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। हमने सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग की है, हमने उन्हें भी लैटर दिया है, हमने प्रो.रविन्द्र गायकवाड़ का लैटर भी दिया है। अगर हमें कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप ऐसा मत बोलिये, यदि हम हंगामा करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप हंगामा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री आनंदराव अडसुल: फिर हमें हंगामा करना पड़ेगा।...(व्यवधान) सरकार का हिस्सा होने के कारण हम हंगामा करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार से भी अगर हमें कोई जवाब नहीं मिलता है तो हमें हंगामा करना पड़ेगा। मैडम, 15 दिन हो गये हैं, कोई एक-दो दिन नहीं हुए हैं। यह उनका एक संवैधानिक अधिकार है, उससे उनको वंचित किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will see to it.

... (Interruptions)

* Not recorded.

12.14 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS....Contd.

(ii) Re: Scathing indictment of Government by Heads of African Mission on inadequate action against guilty persons seriously denting the image of the country globally

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, my esteemed colleague Rajeev Satav has raised an issue of attack on nine Nigerian nationalists in the House. Hon. Minister Ananthkumar ji has replied on that. Madam Sushma ji is present here today.

After that the African Group Head of Missions, a group of 40 plus countries, had given a statement. As per their reports, the Statement is: "We reviewed the previous incidents that have taken place in the past and concluded that no known, sufficient and visible deterring measures were taken by the Government of India." To attack against Africans are xenophobic and racial in nature. Attacks are not sufficiently condemned by Indian authorities. They expect strong condemnation at highest level from the Government of India for call for an independent investigation by the UN Human Rights Council.

Madam Speaker, statement by the Minister of External Affairs is: "It is unfortunate that a criminal act has been termed as xenophobic and racial. Strong Indian institutions are adequate to deal with the aberration that represent act of a few criminals".

But as per the reports from the Superindendent of Police of Greater Noida, Shrimati Sujata Singh, it is more of a socio-cultural issue between Africans and local residents than a law-and-order problem. Actually, this is a contradictory statement, Madam Speaker. Therefore, this is a major diplomatic failure from the Government because our country's image has been tarnished by this statement of the forty plus countries. Therefore, this is a major diplomatic failure from the Government to deal with racial attacks and to create confidence among the

victims. This Government should take strong action to deal with that. That is what I want.

HON. SPEAKER: Shri M. B. Rajesh is permitted to associate with the issue raised by Shri K. C. Venugopal.

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदया, पिछले सप्ताह श्री राजीव सातव जी ने यह विषय सदन में उठाया था। आपने श्री रविंद्र कुमार जैना, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिजू, श्री इन्नोसेंट और श्री जोस के. मणी को संबद्ध करने की अनुमित दी थी। जैसा अभी राजीव जी ने कहा कि मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि मैं पांच तारीख को इस पर वक्तव्य दूंगी। आज जब मैं आ रही थी तो मालूम हुआ कि एक एडजर्नमेंट मोशन श्री मिल्लकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, जिसके साथ श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री शिश थरूर, श्री राजीव सातव और गौरव गोगोई द्वारा दिया गया है। जो उसी घटना के बारे में हैं, लेकिन संदर्भ अलग है। जो अफ्रीकन मिशंस के डीन के द्वारा एक बयान दिया गया, उसके बारे में उन्होंने बात की। मैं आज इन दोनों बातों का एक साथ जवाब देना चाहूंगी।

महोदया, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगी कि डीन के द्वारा यह जो कहा गया कि पॉलिटिकल लीडरिशप चुप है या पॉलिटिकल लीडरिशप द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, यह तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। ये दो घटनाएं एक साथ घटीं। एक 19 वर्ष का स्थानीय किशोर जिसका नाम मनीश है, उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता-पिता ने कहा कि यह डूग ओवरडोज़ का केस है। उसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई। अगले दिन स्थानीय लोगों ने इस मृत्यु के खिलाफ एक कैंडल मार्च निकाला। उस कैंडल मार्च में इन नाइजीरियंस की पिटाई हुई, जिनके बारे में जिक्र है। यह जो मैंने कहा, विदेश मत्रालय की तरफ से कि हर अपराधिक कृत्य नस्लीय अपराध नहीं होता है, वह इसलिए कहा कि यह गुस्साई हुई भीड़ के द्वारा, बेकाबू भीड़ के द्वारा जो आपराधिक तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं, उनके द्वारा यह पिटाई की गई है।

नस्लभेद से प्रेरित जो भी अपराध होता है, उसमें कोई न कोई पूर्व योजना होती है। यह कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। लेकिन जैसे ही इन दोनों घटनाओं के बारे में मुझे पता चला, वे कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरिशप ने कुछ नहीं किया, मैंने तुरंत यू.पी. के मुख्य मंत्री से बात की और उनसे कहा कि इन दोनों घटनाओं की निपक्ष जांच कराने का आश्वासन अपनी ओर से भी दीजिए और मुझे भी किहए कि मैं आपकी ओर से दूं। तब मैंने अपनी ओर से यह कहते हुए तुरंत ट्वीट किया कि मेरी यू.पी. के मुख्य मंत्री से बात हुई है और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है। फिर यू.पी. के मुख्य मंत्री ने अपनी ओर से ट्वीट किया कि मैं निपक्ष जांच का भरोसा देता हूँ। उसके बाद मेरे सहयोगी राज्य मंत्री एम.जे. अकबर से मैंने कहा कि

आप नाइजीरियन हैड ऑफ मिशंस से स्वयं बात कीजिए और उनको बताइए कि इस-इस तरह से इस पर निपक्ष जांच हो रही है। इसको हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, आप पी.एम. का धन्यवाद कीजिए, हम लोग मिलने के लिए आना चाहते थे, लेकिन अब आने की आवश्यकता नहीं है। यह बात अकबर जी के साथ हुई थी। उसके बाद निपक्ष जांच शुरू हो गई। इस केस में छह लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जांच चल रही है।

दूसरे सदन में जब यह सवाल उठा तो मैंने यही कहा कि जांच के परिणाम से पहले किसी अपराध को नस्लभेद से प्रेरित कहना सही नहीं है। यह मैं केवल भारत के संदर्भ में नहीं कह रही हूँ। जो अमरीका में हिंसक कृत्य हो रहे हैं, उनमें भी हमने यह कहा है कि जांच से पहले मत कहिए कि नस्लभेद से प्रेरित है। अभी मोज़ांबीक में एक भारतीय की हत्या हुई। हमने तो नहीं कहा कि यह नस्लभेद से प्रेरित है। उससे पहले एक घटना हुई, हमने तो नहीं कहा कि नस्लभेद से प्रेरित है। इसलिए हमारा यह कहना सही है कि हर अपराधिक कृत्य या हर हिंसक कृत्य नस्लभेद से प्रेरित नहीं होता है। जांच का परिणाम आने दीजिए। दूसरी बात राजीव जी ने उसी दिन अपने वक्तव्य में कही कि एक कीनियाई अफ्रीकन महिला के साथ भी बेहद मार-पीट हुई। उसके साथ घटना हुई, उसे आधा दर्जन लोगों ने मारा। आपको अखबार के माध्यम से मालूम हुआ होगा। अगले दिन स्वयं उस महिला ने जाकर कहा कि मैंने तो "झूठ" बोला था और अपनी शिकायत वापस ले ली। जब हमने उसका वीजा देखा तो उसका वीजा कब का एक्स्पायर हो चुका था, कब का समाप्त हो चुका था। वह अवैध रूप से यहाँ रह रही थी। सिर्फ उसके कहने पर यह कह देना कि उसके साथ मारपीट हुई उचित नहीं है उसने स्वयं ने माना कि मार पिटाई नहीं हुई और जाकर शिकायत वापस ले ली। इसलिए मेरा यह कहना है कि डीन ने जो बातें कही हैं, वे मेरे लिए बहुत आश्चर्य वाली भी हैं और दु:ख देने वाली भी हैं। इसीलिए आज हमने उसे बुलाया था, डीन को बुलाया था और जनरल वी.के.सिंह यहाँ बैठे हैं, हमारे एम.ओ.एस. से वे मिलकर गये और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में बात की कि अगर इन तमाम चीजों के बाद, पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रेस्पांस आया, स्वयं ई.ए.एम. का, हमारे एम.ओ.एस. अकबर का, सी.एम. (यू.पी.) का और उसके बाद जिस तरह से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अगर इसके बाद भी आपको समाधान नहीं हुआ था तो आप ई.ए.एम. से मिलने का समय माँग लेते। पिछली बार जब काँगों का एक बच्चा मरा था तो पूरे के पूरे एच.ओ.एम्स. मुझसे मिलने के लिए आये थे और उनका समाधान हो गया था। हम लोग वहाँ नाइजीरियन्स की नहीं, बल्कि तमाम अफ्रीकनों की संरक्षा, सुरक्षा के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। अगर उसके बाद भी वे यह कहते हैं कि 'India is a xenophobic country' या ह्यूमन राइट्स काउन्सिल में जायेंगे तो हमने

उनको आज कहलवाया कि आप ह्यूमन राइट्स काउन्सिल की बात करते हैं, हमारे यहाँ कौन से तंत्र की कमी है।

हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एनजीओज हमारे यहाँ इतने ज्यादा एक्टिव हैं, इतनी वाईबैंट सिविल सोसायटी है, हमारी फ्री प्रेस है, हमारी इन्डिपेन्डेन्ट जूडिशीएरी है। इतने तंत्र व्यवस्था के हमारे यहाँ हैं और आप ह्यूमन राइट्स काउन्सिल जाने की बात करते हैं। आज बड़े खुले शब्दों में (एम.ओ.एस.) वी.के.सिंह जी ने उनको बुलाकर बात की है और यह कहा है कि जो आपका यह बयान है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हम लोगों को हैरत में डालने वाला भी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उसको किसी भी कारण से इनएडिक्वेट नहीं कहा जा सकता। जो आपके स्थगन प्रस्ताव में है, किसी भी कीमत पर इनएडिक्वेट नहीं कहा जा सकता। हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। निपक्ष जाँच होगी, जो दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अफ्रीकनों की ऐज सच, केवल नाइजीरियों की नहीं, पूरे के पूरे अफ्रीकनों की और जितने भी देशों के नागरिक इस देश में रह रहे हैं, उनके प्रति भारत सरकार कृत संकल्प है कि वे सुरक्षित रहें। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वरत करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद।

डाँ० कुलमणि सामल।

अब बैठ जाइए। अब इस विाय पर कुछ नहीं होगा।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदया, यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : आनंदराव जी, कृपया बैठ जाइए।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Respected Speaker, Madam, I thank you very much for giving me an opportunity to raise this important issue.

Skill development of youth has been focussed upon by the Government of Odisha with a view to improve employability, productivity and income of working population, and also to enhance the capacity of Odisha to supply high quality and market-responsive workers in every field. The Government of Odisha, having taken a loan from the Asian Development Bank, has been able to train 3,30,000 persons in the last two years. Our Government also aims to train eight lakh persons more by 2019. However, to streamline the skill development system in the State, the Government requires more financial help.

Hence, in this regard, I urge upon the Minister of Skill Development and Entrepreneurship to provide adequate financial assistance to Odisha at the earliest for the implementation of Odisha Skill Development Project and qualitative expansion of vocational training facilities in each of the 30 districts, including my district of Jagatsinghpur. Thank you.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

अपना क्या है, पराया क्या है, सरकारी क्या है, गैर-सरकारी क्या है, इस सदन के माध्यम से पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अगर कोई पैसा सरकारी कार्यक्रम के लिए दिया गया है और उसको किसी पार्टी के ऐडवरटीजमेंट में खर्च किया जाये, जिसमें 57 करोड़ रुपया अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त एक कमेटी थी, उसके आधार पर पैसा वापस करने को दिल्ली सरकार को कहा है। वह पैसा जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए था, लेकिन वह पैसा पार्टी के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए और दूसरे प्रदेशों में अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए ऐडवरटीजमेंट में खर्च हो रहा था। उसी प्रकार, एक केस होता है, उस केस के अंदर वक़ील की जो फीस है, वह फीस भी सरकारी खर्च से दी जा रही है।

कॉमनवेल्थ में एक प्रैक्टिस है, जो भी चुने हुए नेता होते हैं या नॉमिनेटेड सरकारी लोग हैं, उन्हें 'राइट ऑनरेबल' करके एड्रेस करने की एक प्रैक्टिस है। मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र में जितने भी चुने हुए नेता हैं या सरकारी तंत्र में उस ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, उनको अपने व्यवहार में 'राइट' होना और ऐसा राइट होना कि उन्हें 'ऑनरेबल' कहा जाए, यह अति आवश्यक है, नहीं तो जिस प्रकार का उदाहरण

दिल्ली की सरकार ने लोगों के लिए बनाया है, वह पूरे देश के लिए बहुत ही भयावह उदाहरण होगा। इस संसद में पूरे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित हैं, उनके माध्यम से यह संदेश देश में जाना चाहिए कि हमारा कंडक्ट करेक्ट भी हो, राइट भी हो और उसको करने के बाद हम 'ऑनरेबल' भी कहलाएं, नहीं तो पूरे देश में यह माहौल है कि राजनैतिक नेता भ्रट हैं, गलत काम करते हैं और दूसरे के पैसे को अपना पैसा करने की कोशिश करते हैं।

चाणक्य ने एक बार कहा था - 'अगर शहद या ज़हर, कुछ भी किसी की ज़ुबान पर रखा जाए, उसको टेस्ट न करना नामुमिकन है। उसे आप टेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा।' शायद वही बात उन लोगों के ऊपर लागू होती है और सच होती है, जो लोग पब्लिक फंड और पब्लिक मनी से डील करते हैं। पब्लिक फंड और पब्लिक मनी से डील करने वालों को उस स्थान को प्राप्त करने के लिए इस क़ायदे-कानून का पालन करना अति आवश्यक है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री लखन लाल साहू, श्री ओम बिरला, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री निशिकान्त दुबे को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में किसानों के एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमित दी।

महोदया, सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने छोटे किसानों का ऋण माफ किया है। लेकिन, किसानों की हालत पूरे देश में काफी बुरी है और अपनी इस हालत से पूरे देश के किसान अभी जूझ रहे हैं।

मैडम, हम जो चाहते थे या देश के किसान चाहते हैं कि उनको जो खर्च आता है, वह खर्च जिस तरह से आता है, उसके ऊपर 50 टके का मुनाफा उन्हें मिलना चाहिए, इस तरह की पॉलिसी हमें आज बनाने की बहुत जरूरत है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसी के ऊपर आधारित होना चाहिए।

हमारे पूर्व विदर्भ में धान और सोयाबीन होता है। पश्चिम विदर्भ में कपास, तुअर, गेहूं और चना होता है। महाराष्ट्र सरकार ने हमारे सात कृषि उत्पादों के ऊपर 15% का मुनाफा पकड़कर केन्द्र सरकार को सिफारिश की है, जिसमें धान, कपास, सोयाबीन, तुअर, चना गेहूं है। लेकिन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 15% बढ़ाने की जो सिफारिश की गयी है, वह भी अभी तक मंज़ूर नहीं की गयी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले तो पूरे देश के किसानों का ऋण माफ करना चाहिए। जब तक यह न हो, तब तक हमारा यह 50 टके वाला प्रोपोजल होना चाहिए।...(व्यवधान) पहले यह महाराष्ट्र के लिए होना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री ओम बिरला एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है। श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैडम, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का संकल्प लिया है। लेकिन, जब तक देश के अंदर मोटे अनाजों के महत्व को नहीं समझा जाता, तब तक हम किसानों की मुफ़लिसी दूर करने में क़ामयाब नहीं होंगे।

महोदया, मैं आपके प्रति आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि आप ने इस महान सदन में 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स' को लेकर हेल्थ के विषय में जो चर्चा की है, उस गोल्स में जो क्लॉज़-3 है और उसमें जो लक्ष्य हैं, उसके अन्तर्गत भी इस बात का वर्णन आया है कि भारत में नॉन-कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज से इतनी मौतें हो रही हैं, तो मोटे अनाज के अंदर इतनी प्रोटीन होती है, इतने गुण होते हैं कि भारत जैसे देश में उनका महत्वपूर्ण रोल हमारी सेहत और लाइफस्टाइल सुधारने में हो सकता है। मोटे अनाज की जो खेती है, यह पर्यावरण का नुकसान नहीं करती।

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, थोड़े में, शॉर्ट में बोलिए।

श्री रत्न लाल कटारिया: मैडम, इसके महत्व पर बस एक मिनट का समय दे दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोटे अनाज पोषक तत्वों का खजाना हैं, जैसा कि काबली चना में 23 प्रतिशत प्रोटीन होता है, हमारे कंगनी में 81 प्रतिशत से अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं और रागी में चावल की अपेक्षा 340 फीसदी से अधिक कैल्शियम होती है। यह मनष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है।

अंत में, मैं कृषि मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि मोटे अनाजों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित कराने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा विशेष कदम उठाये जाएं, मोटे अनाजों का समर्थन मूल्य घोषित हो, मोटे अनाजों की उपज को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास सुविधाएं स्थापित हो, मोटे अनाजों की खेती के लिए रियायती दर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यदि सरकारी सब्सिडी नीति की दिशा मोटे अनाजों की पैदावार की ओर बढ़ेगी, तो देश में लोगों को जरूर पौटिक अनाज मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री उदय प्रताप सिंह और श्री ओम बिरला को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे एक बेहद ही संवदेनशील मामला उठाने के लिए समय दिया है, मैं इसके लिए आपको हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें दुधवा नेशनल पार्क, किशन पुर सेंक्ट्युअरी, भीमा और मैलानी जैसे बहुत सारे रेंज्स हैं, जिनमें टाइगर तथा शेरों की बड़ी संख्या हैं। यहां पर हाथी तथा हिरण भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अभी हमारे क्षेत्र में जुलाई व अगस्त 2016 में बाघ के हमले से पाँच लोगों की जान चली गई। इसके बाद वन विभाग के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस शेर को पकड़ा था। दक्षिण खीरी वन प्रभाग में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। इन जंगलों के सटे एवं अंदर में बहुत से गांव बसे हैं और वन क्षेत्र के आस-पास भी गांव हैं। वहां पर ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। हाथियों एवं हिरणों के झुंड के कारण गांव के आस-पास के खेतों में जो फसल हैं, उनका भी बहुत भारी नुकसान होता रहता हैं। बार-बार कहने के बावजूद एवं वन विभाग की लापरवाही के कारण वहां पर भय एवं दहशत का माहौल रहता है। बाघ के हमले से मौत के बाद वन विभाग मुआवजा दे देता है, लेकिन वन विभाग द्वारा फसलों के नुकसान के बाद कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। वन विभाग अक्सर इस बात को कहता है कि जब इंसानों ने शेरों के प्राकृतिक आवासों में अनधिकृत प्रवेश किया है, तो मुआवजा का हक उनका नहीं बनता है। इसके अलावा बाघ के हमले से घायल लोगों का इलाज के लिए वन विभाग मात्र दस हजार रूपये की सहायता देकर अपना पला झाड़ लेता है। वन विभाग यह भी दलील देता है कि बाघों को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, जंगली जानवरों को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, बल्कि इंसानों को जंगल से सटे खेतों की रखवाली करने में तथा फसल काटते समय सतर्कता बरतनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जंगल के किनारे तथा जंगल के अंदर बसे लोगों को अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए व जंगली जानवरों से होने वाली फसलों के नुकसान को अभी तक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में समायोजित नहीं किया गया है। मैं इसकी मांग करता हूं कि ऐसे फसलों के नुकसान, जो जंगली जानवरों के माध्यम से होता है, उसको भी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में कवर किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश में कॉर्पोरेट कार्यालयों, मॉलों, स्कूलों, ए.टी.एम. मशीनों और अन्य संस्थानों में कार्यरत 50 लाख के करीब निजी सुरक्षा गार्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। आमतौर पर शहरी इलाकों में एक पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिस किमेंयों से कई गुना ज्यादा संख्या में निजी सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। ये सुरक्षा गार्ड्स पुलिस के लिए न केवल सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में सहयोगी होते हैं; वरन पुलिस को खुफिया सूचनाएँ उपलब्ध कराने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। यह देखा गया है कि आपात की स्थिति से निपटने के लिए ये सुरक्षा गार्ड्स पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। इन्हें पुलिस द्वारा प्रमाणित संस्थानों से पुलिस अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

इन सुरक्षा गार्डों से परिष्कृत सेवा लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए जाने की बहुत ही आवश्यकता है। आए दिन मासिक वेतन में कटौती, अधिक काम के घंटे, नौकरी की अनिश्चतता और कार्यस्थल में बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति से संबंधित सूचनाएँ इन बेचारे लोगों की तरफ से आती रहती हैं। सरकार की कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षित कर इन्हें कुशल श्रमिक श्रेणी में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में प्रशिक्षण दिये जाने की भी आवश्यकता है, तािक ये लोग अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो सकें। वैसे तो अनेकों प्रकार के श्रम संगठन हैं जो श्रम कानून के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता के बारे में कह रहे हैं तािक सुरक्षा गार्डों की मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, कामकाज की स्थिति, स्वास्थ्य और सुरक्षा बेहतर हो सके। इनको प्रशिक्षण देना चािहए और इनके लिए कोई ऐसी मानक बनानी चािहए, जिसे निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाले एजेंसियों को पालन करना जरूरी हो। इनकी सैलरी तथा काम के घंटे फिक्स होने चािहए। इन गरीब लोगों का शोषण नहीं होनी चािहए।

में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि निजी सुरक्षा गार्डों के रूप में एक गुणवत्तापूर्वक कार्यबल स्थापित करने आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले): अध्यक्ष महोदया, समूचे देश में उत्पादन और सेवा क्षेत्र में ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं और इन इंडस्ट्रीज में 50 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इन 50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों की

वर्ष 1995 से पिछले वर्ष की जमापूंजी सरकार के पास तकरीबन 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये तक जमा

इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने सरकार को एक सुझाव दिया था कि इनको कम से कम 750 रुपये और 3000 रुपये तक पेंशन मिलनी चाहिए और साथ ही साथ महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए।

जब भी इस सदन का अधिवेशन शुरू होता है कि ये सब निवृत्त और वरिष्ठ कर्मचारी जंतर-मंतर पर आकर धरने पर बैठते हैं, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। उनको पेंशन तो मिलती है, लेकिन उनका जो महंगाई भत्ते का मुद्दा है, वह आज तक नहीं सुलझा है।

महोदया, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी फैसला लेकर उनको न्याय दिलवायें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): Thank you, Madam, for giving me this opportunity. I am bringing a very burning issue that is there for the public and that is entertainment, entertainment and entertainment. I happen to be from an industry in which many colleagues of mine are also involved and that is the film industry. The cancer that is there in this film industry is film piracy and it is still continuing unabated. Thousands of crores of rupees are spent annually in every regional language on film making. I, therefore, urge upon the Government to stop taking lenient action but make it more punitive, and if necessary impose penalties equivalent to the cost of the film that has been pirated or a minimum 15 year jail sentence for anyone caught pirating these CDs. I would request immediate Government attention to this as well as the attention of the House. Thank you.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri George Baker.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र जिला टोंक में बीसलपुर बांध स्थापित है, जिसकी पानी की क्षमता करीब 37.70 टीएमसी है। वर्ष 2016-17 में वर्षा के समय बांध में इतना पानी आया कि यह करीब 165.67 टीएमसी तक पहुंच गया था। उस समय हमने करीब 17 गेट खोले थे, जिसके बाद बांध में 31.44 टीएमसी की स्टोरेज बाकी बची है और 134.23 टीएमसी पानी बेकार चला गया।

महोदया, बीसलपुर बांध में करीब 27,726 वर्ग किलोमीटर एरिया में पानी आता है, जिसमें छोटे-बड़े करीब 1,100 बांध हैं। इस बांध के माध्यम से प्रतिवर्ष 24 टीएमसी पानी पीने के प्रयोग में लाया जाता है और 16 टीएमसी पानी सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है। बीसलपुर बांध के निर्माण के समय इसकी लागत करीब 786 करोड़ रुपये आई थी, जबिक इसके पानी के द्वारा 1,000 करोड़ रुपये की फसल प्रतिवर्ष तैयार होती है और 70 लाख लोगों को इसका पानी मिलता है। वर्ष 1994 से इस बांध के माध्यम से अजमेर, जयपुर, ब्यावर, इन सभी क्षेत्रों को पीने का पानी यहीं से मिलता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है कि हर खेत को पानी मिले। भारत कृषि प्रधान देश है। माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि देश के किसान को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसका जो ओवरफ्लो पानी है, वह अब की बार भी 134.23 टीएमसी बेकार चला गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बीसलपुर बांध का ओवरफ्लो का पानी मासी नदी टोरडी सागर चांदसेन में अगर डल जाए, तो मालपुरा निवाई विधानसभा के क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिल सकता है। अब की बार भी सारी फसल सूख गई और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर (जम्मू): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र जम्मू के मनवाल कृ-ष्णपुर क्षेत्र के 40 किलोमीटर तक की सीमा के लोगों की मांग रेल मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। उत्तर सम्पर्क क्रान्ति जो दिल्ली से जम्मू, उधमपुर और कटरा जाती है, बीच में मनवाल स्टेशन पड़ता है। लोगों को मनवाल स्टेशन पर उत्तर सम्पर्क क्रान्ति का एक मिनट का उहराव चाहिए। वह मेरा होम स्टेशन है। मैं भी वहीं से चढ़ता हूं। मुझे भी चढ़ने के लिए जम्मू 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि मनवाल रेलवे स्टेशन पर उत्तर सम्पर्क क्रान्ति का एक मिनट का उहराव दिया जाए तािक मैं और बाकी लोग भी वहां से आसानी से चढ़ सकें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.पी. जोशी को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Hon. Speaker Madam, each year, about 30 to 40 per one lakh Indians aged between 15 and 29 kill themselves. This accounts for about one-third of the suicides in the country which is also among the highest in the world. Recently, a student from a reputed institute in Mumbai committed suicide by jumping off a hotel building. Another student's body was found on the railway track. A 17-year old jumped from his hostel's building. Even in my constituency, around three years back, some students of 9th and 10th standards committed suicide after they lost money in illegal cricket betting. It is both disheartening and alarming.

Students' suicides have become a part of the daily news with our morning cup of tea. It is due to the changing times where the country is moving towards increasingly globalized landscape and students are under constant state of anxiety. The reasons for students' suicides range from examination stress to peer and parental pressure and could cause severe depression among students, sometimes leading to drugs abuse and in some cases pushing them to take extreme and misguided step of committing suicide.

In our country, mental health of students has not been looked at as a serious issue with most of the universities trying to disassociate themselves from students who committed suicide or any reason surrounding the circumstances that forced the students to take such an extreme step. Students spend maximum amount of their time in and around the university interacting with the faculty, staff and other people. Students come into contact with them by virtue of being part of the university which makes it the first place where students can approach anyone to seek help. I would request the Government to look into the matter and ensure that universities across India have a full time counsellor within their premises. By this, the counselling of students can happen and that can be kept confidential and suicide cases of young students can be contained to some extent.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Pralhad Joshi.

श्री चन्द्रकांत खेरे (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में पिछले चार वर्षों से सूखा पड़ने के कारण अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण है कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता। मैं शिवसेना की ओर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिनन्दन करता हूं। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भी आज सुबह फोन करके कहा कि उनका अभिनन्दन कीजिए। मैं योगी जी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसानों की ऋण मुक्ति की। मैं आपके माध्यम से माननीय अर्थ मंत्री जी और प्रधान मंत्री जे से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र में यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। विपक्ष के लोग भी रोज संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। विधान सभा और सभी जगह हंगामा हो रहा है। कल चंद्रपुर में माननीय मुख्य मंत्री श्री फड़नवीस ने भी घोषणा की कि करना पड़ेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करूंगा कि महाराष्ट्र के किसानों की ऋण मुक्ति की जाए क्योंकि तमिलनाडु हाई कोर्ट ने वहां के किसानों को राहत दे दी है। उत्तर प्रदेश के किसानों को भी राहत दी गई है, तो महाराष्ट्र के किसानों ने क्या किया है? महाराष्ट्र के किसानों की भी ऋण मुक्ति की जाए, मैं आपके माध्यम से ऐसी विनती करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री श्री ए.टी.नाना पाटील, श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राजीव सातव, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री धनंजय महाडीक और श्री नाना पटोले को श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे अपने क्षेत्र किशनगंज के अलावा पूरे सीमांचल क्षेत्र में शिक्षा व रोजगार के अवसर न के बराबर हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनता की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक है। संविधान का अनुच्छेद 371 (डी) रोजगार और शिक्षा में स्थानीय जनता के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मुतालबा करता हूं कि वह पूरे सीमांचल के संपूर्ण विकास, जनता के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय आदि के अवसर पैदा करने, स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा वृद्धि करने के उद्देश्य से वहां विशेष आर्थिक जोन, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने की कृपा करें।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, thank you. Through you I want to raise a very important question affecting millions of people in the country.

The Central Government has reduced the interest of all post office based savings schemes like Public Provident Fund, Kisan Vikas Patra, Sukanya Samriddhi and Five-year Savings Scheme for Senior Citizens by ten basis points from 1st April, 2017, as a result, the interest rate for PPF has come down to 7.9 per cent from 8 per cent; and for Savings Scheme for Senior Citizens from 8.55 per cent to 8.4 per cent. This is a big hit on the middle classes. This is the lowest interest rate in post office based savings schemes in 40 years.

The last time the interest rate was introduced was in October, 2016 and they are supposed to be reviewed every three months. According to statistics given by the Savings Institute, the total small savings in the country in November, 2015 was Rs. 49.51 thousand crore. The people who trusted the post office have been betrayed by the Central Government. Mainly the salary earners from middle and lower-middle class families and retired persons keep their money in post office. Many people run their families on income from monthly income schemes. The Government has reduced the interest on post office savings schemes and because of the cut in small savings interest rates now commercial and national banks will reduce interest rates, as a result people will gravitate towards chit funds for higher interest. If banks reduce interest rates, they will be able to give money to big borrowers at cheaper rates. So, while the middle class would suffer, big businesses will benefit.

I demand that the cut in interest rates be withdrawn. Our party has demonstrated in front of the Gandhi statue in front of Parliament House on this issue in the morning.

HON. SPEAKER: Dr. A. Sampath and Adv. Joice George are permitted to associate with the issue raised by Prof. Saugata Roy.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Madam, as the summer holidays have been announced in the Gulf countries a large number of students and parents are

05.04.2017 74

coming to India, especially to Kerala. All the airlines including Air India have enhanced the airfare twice or even thrice.

The airfare from Calicut to Jeddah previously charged by the airlines was Rs. 12,000. Now, it has been enhanced to Rs. 30,000. The air ticket to Qatar was Rs. 8,000; now it is Rs. 24,000. The Calicut-Dubai-Sharjah airfare has been increased from Rs. 7,000 to Rs. 20,000. The air ticket to Doha and Bahrain sectors has been enhanced by Rs. 10,000. It is a big increase.

The Government has assured this House that the Government will intervene and there will be a policy on the fair to be introduced during the summer holidays. HON. SPEAKER: Dr. A. Sampath, Adv. Joice George and Shri M.B. Rajesh are permitted to associate with the issue raised by Prof. K.V. Thomas.

डॉ. किरीट सोमेंया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सम्माननीय अध्यक्ष महोदया, गत कुछ वर्षों से हिन्दुस्तान में बिटकॉइन नाम की इल्लीगल, पैरलल, अनरेगुलेटेड करेंसी का प्रचार-प्रसार बहुत बढ़ रहा है। मैं आपके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उसकी मिस सेल हो रही है, उसके कारण रोज लगभग दो हजार करोड़ रुपये की ट्रेडिंग होने लगी है। इस कारण छोटे निवेशक इसमें आगे जाकर फंस सकते हैं। इसका उपयोग अंडर वर्ल्ड भी कर रहा है। चार दिन पहले मुम्बई में बिटकॉइन करेंसी का उपयोग एलएसडी ड्रग्स लेने और उसका उपयोग करते हुए कुछ विद्यार्थी पकड़े गये। ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी आदि नाम से यह पिरामिड के रूप में डेवलप हो रहा है। इस विषय पर विचार करने के लिए सरकार एक कमेटी ने नियुक्त की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करुंगा कि बिटकवाइन एक पैरेलल करेंसी है, इसे इल्लीगल घोषित करके, जल्द से जल्द क्रिप्टो करेंसी के बारे में नियम बनाए जाएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Thank you very much Madam for giving me this opportunity. I am raising a very important and a very serious issue of increase of human trafficking in Assam and Northeastern States.

I would like to draw the attention of the Government of India towards a very serious issue. The number of cases of missing people, the majority being

children and women, is on the rise in the Northeast, especially Assam. My constituency, Barpeta in Assam is badly affected by this heinous crime. Despite complaints by relatives of the missing people, no action is being taken by the State Government and the police.

As per the National Crimes Record Bureau report, 2016, more than 14,000 people are missing in Assam alone, the majority being women and children. There are many-many cases of missing people in Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura and Mizoram also who have not been traced till now. In terms of missing children, Assam stands third after Maharashtra and Delhi. In terms of missing women Assam stands sixth.

Madam, in the light of above fact, through you, I would request the Government of India to order a high level inquiry in this regard to find out the culprits and punish them for this heinous crime. I would also like to appeal the Government of India to warn and caution the concerned State Governments including Assam for their lapses and carelessness in preventing this crime.

I would request the Government of India to pass instructions and pressurize the State Governments to take immediate preventive action to save people from being targeted to human trafficking.

HON. SPEAKER: Shri Gajanan Kirtikar – Not present.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you Speaker Madam for giving me this opportunity. I would like to raise an issue pertaining not only to myself but to all the MPs sitting in this august House.

The Union Government has set up the DISHA Committee to monitor implementation of the Centrally Sponsored Schemes. These Committees would be chaired by the sitting MPs of the Lok Sabha. The Ministry has also called for a meeting with all the Members of Parliament and has already apprised the Members of the process and the procedure involved in conduct of this meeting. After all this, the DISHA Committee meetings are not being conducted as per the procedure laid down by the Ministry of Rural Development. The Departmental

05.04.2017 76

heads are not attending and only the junior officers having no proper information are attending these meetings. There is also no follow up action on the conduct of this meeting and that is one of the reasons why this meeting is not being conducted in a proper manner. Not only this, there are so many problems associated with this meeting because the officers do not feel accountable on their part as far as the information that is given is concerned. MPs are not informed of the funds received by the district so that they can monitor it.

To fill these gaps, I would request the Ministry of Rural Development, through you Madam, to fix the accountability with regard to DISHA Committee. In addition to that, MPs protocol also should be fixed at par with the Minister of State in the States so that these Committees can function effectively and we will be able to effectively monitor the CSS in the concerned districts.

HON. SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, A.T. Nana Patil, Adv. Joice George and Kunwar Pushpenda Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kothapalli Geetha.

12.54 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS ...Contd.

(iii) Re: Situation arising out of Government admission of leakage of Aadhaar Card details

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam, Speaker, when the Government is aggressively pushing linking Aadhaar with various Government schemes and services, leakage of Aadhaar data has become a serious issue. This leakage of Aadhaar data has serious implications for individual privacy and national security. Even a former Indian cricket captain's wife has come out against the leakage of Aadhaar data recently. Madam, even the Government has confirmed widespread data leakage in a letter to the State Chief Secretaries and the Secretaries dated 25th March, 2017. A scientist with the Ministry of Electronics and Information Technology (MEIT) has admitted the data leakage and has cautioned the State Chief Secretaries against it.

Madam Speaker, one television channel has shown that two enrollment numbers can be obtained by the same set of biometrics. So, this is a serious issue.

Madam, the passwords and pin numbers of hacked email, debit cards and credit cards can be changed. But, the fingerprints and iris image cannot be changed. So, this is a serious issue. The Government has completely failed to ensure the security of personal data collected under Aadhaar. The entire credibility of Aadhaar has gone. So, the Government must respond and assure the people of this country through this House as to what are the measures and steps are being taken by the Government to ensure the security of personal data collected under Aadhaar. Thank you, Madam.

माननीय अध्यक्ष : श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, डॉ. ए. सम्पत, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री मोहम्मद फैज़ल और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

05.04.2017 78

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, I would like to inform the hon. Member through you that there is no question of leakage of Aadhaar data from the Aadhaar system. There is no leakage and it cannot be. जैसे आप आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने जाते हैं और उसे साइट में डाल दिया जाता है। Then, there is nothing to do with the UIDAI. There is nothing to do with the Aadhaar system. It is between the individual and the person who has copied that. जहां तक धोनी जी का उदाहरण दिया गया है, वे अपने आधार एनरोलमेंट के लिए एजेंट को अपने घर बुलाते हैं और एनरोलमेंट स्लिप के साथ फोटो खिंचवाते हैं। अगर वह फोटो सोशल साइट पर आती है, तो उससे हमारे यूआईडीएआई से लीकेज का कोई संबंध नहीं है। इससे हमारे सिस्टम द्वारा डेटा लीकेज का कोई इश्यू पैदा नहीं होता है।

में माननीय सदस्य को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि आज तक किसी भी तरह का डेटा चाहे बायोमैट्रिक हो या डेमोग्राफिक हो, आधार से लीकेज नहीं हुआ है। हमने एडवाइजरी जारी की है और ऑथोरिटीज को इंफोर्म किया है, जैसे बैंक में आधार की डिटेल दी जाती है, हमने कहा है कि आप उपभोक्ता का एकाउंट नम्बर अपनी तरफ से पब्लिश मत कीजिए। अगर कोई उपभोक्ता अपनी तरफ से डेटा पब्लिश करता है, वह अलग बात है, लेकिन बैंक किसी का बैंक एकाउंट पब्लिश नहीं करेगा कि हमने इस बैंक एकाउंट वाले उपभोक्ता को यह स्कॉलरिशप दी। डेमोग्राफिक डेटा जैसे उपभोक्ता का नाम, उम्र, पता या आधार नम्बर आदि है, हमने एडवाइजरी जारी की है कि आधार नम्बर भी कहीं पब्लिश न करें। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा सिस्टम इतना फुलप्रूफ है कि किसी भी सूरत में आईटी मिनिस्ट्री से आधार नम्बर, डेमोग्राफिक डिटेल और बॉयोमैट्रिक डिटेल लीकेज नहीं हो सकती है और न ही आज तक लीकेज हुई है।

श्री देवजी एम. पटेल (जालोर): महोदया, मैं पिछले शुक्रवार को मेरे साथ हुई घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने एक महीने सात दिन पहले जेट एयरवेज की टिकट बुक कराई थी। शुक्रवार को सत्र स्थगित होने के बाद मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट के कर्मचारी ने मुझे कहा कि आपके बोर्डिंग पास को हमने कैंसिल कर दिया है और किसी अन्य व्यक्ति को बोर्डिंग पास दे दिया है।

महोदया, इससे पहले एयर इंडिया एयरलाइन्स में यही घटना मेरे साथ हुई थी। मैं पिछले चार साल से एयर इंडिया एयरलाइन्स से केस लड़ रहा हूं। एयर इंडिया ने भी मेरे बोर्डिंग पास पर किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया था। हमारी एक अन्य साथी सांसद भारती बेन ने भी अपने पित के साथ टिकट जेट एयरवेज से बुक किया था। उनके पित का बोर्डिंग पास किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया और भारती बेन जी को अकेले ट्रैवल करना पड़ा। प्राइवेट एयरलाइन्स की हमेशा दादागीरी चलती है। इस वजह से हम सभी लोग प्रताड़ित होते हैं। हमारे सचिवालय के कर्मचारी के बेटे को भी इसी तरह रोका गया। संसद भवन के स्टेट बैंक की कर्मचारी के साथ भी ऐसी ही घटना हुई। वे अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर रही थीं। उनके दो छोटे बच्चों को अलग सीट दी गई और साथ में सीट मांगी, तो उसके लिए अलग से पैसा मांगा गया।

महोदया, एयर लाइन्स की दादागीरी के बारे में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें अंकुश लगाया जाए। ऐसा सांसदों के साथ हमेशा होता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री सी.पी. जोशी, श्रीमती अंजु बाला, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री हरीश मीणा, श्रीमती नीलम सोनकर, श्रीमती संतोष अहलावत, श्री अर्जुन लाल मीणा, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री उदय प्रताप सिंह को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.00 hours

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): ऐसी ही घटना हमारी पार्टी के सांसद प्राध्यापक रिवन्द्र गायकवाड़ के साथ हुई है। उनको गाली-गलौज दिया गया है, उनके साथ धक्का-मुक्की की गयी है। इसके बाद चिढ़ के कारण उन्होंने वैसा किया था। उसमें एयरलाइंस की भी गलती है, अधिकारी की भी गलती है, यह बात सामने नहीं आयी थी, लेकिन मेरे पास उस घटना की विडियो क्लिप है। ... (व्यवधान) इसमें हमारी पार्टी के सांसद को पिनशमेंट मिल रही है। उनका संवैधानिक अधिकार है। ऐसा कौन-सा कानून है, जिसे बयान किया गया है। उन लोगों ने जो गलतियाँ कीं, उन पर क्या कार्रवाई हुई?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री आनंदराव अडसुल द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

We will see to it. अब हो गया, सभी लोगों ने अपनी-अपनी बातें कह दी हैं।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसे कल देखेंगे।

The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.04 hours

The Lok Sabha re-assembled at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

^{*} Treated as laid on the Table.

(i) Regarding making National Highways toll-free for vehicles originating from adjoining areas

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा): नेशनल हाईवे का निर्माण इस समय भारत में खूब तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए मैं मंत्रालय को बधाई देता हूँ और भारतवासियों को इसका फायदा मिलना शुरू हो गया है। जिससे 1. पेट्रोल/डीजल की भारी बचत होगी। 2. ट्रैफिक समस्या का निवारण होगा। 3. नागरिकों को ट्रैविलिंग समय कम होगा। 4. वाहनों का मैटेंनन्स कम होगा एवं ऐसे बहुत से अन्य फायदे होंगे।

मा. अटल जी के समय में राष्ट्रीय राजमार्ग का एक नया विचार इस समय देश को मिला है और इस क्रान्तिकारी विचार की वंदना करता हूँ। मा. अटल जी के प्रधानमंत्री काल में हर नेशनल हाईवे के साथ एक समानान्तर सर्विस रोड बनाने का प्रावधान किया गया था जिसका उदाहरण गुजरात के अहमदाबाद मेहसाणा और वडोदरा-हालोल हाईवे के साथ बनी सर्विस रोड है जिसका सामान्य नागरिक एवं जिले के लोग बिना टॉल दिये उपयोग करते हैं। लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में ऐसे नेशनल हाईवे के ऊपर ऐसे सर्विस रोड बनाना बंद कर दिया गया था जिसकी वजह से जिले के लोगों को कंपलसरी टॉल टैक्स चुकाना पड़ता है। आज के ज़माने में सुविधाएँ बढ़ रही हैं और इसका लाभ गाँव के लोगों को मिल रहा है और मोटर कार की सुविधा सामान्य हो गई है। यहाँ तक कि सैकंड हैंड कार-स्कूटर की कीमत में मिल रही है जो खरीदी जा रही है। ऐसे जिले के लोगों को रोजाना एक से ज्यादा बार टोल रोड से गुजरना पड़ता है और ऐसे टॉल टैक्स भरना पड़ता है या मासिक पास लेना पड़ता है जिसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है।

मेरी मंत्रालय से विनती है कि ऐसे टॉल रोड के साथ जिले के वाहनों के आवागमन के लिए कोई टॉल टैक्स नहीं लिया जाए। सर्विस रोड की सुविधा कंपलसरी उपलब्ध होनी चाहिए और समग्र देश के नागरिकों को इसका लाभ मिलना चाहिए।

(ii) Need to provide Rajasthan its full share of water of Ravi and Beas Rivers as per Agreement

श्री राहुल करवां (चुरू): 1981 में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य रावी एवं व्यास नदियों के सरपलस वाटर जल बंटवारे का जो समझौता हुआ, उसमें 8.6 एमएएफ पानी राजस्थान के हिस्से में से .06 एमएएफ पानी बकाया रख दिया गया तािक जब तक राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण चल रहा है तब तक इस पानी का उपयोग पंजाब करे और इस पीरियड के दौरान राजस्थान अपने सिंचाई सिस्टम को सुचारू करें। राजस्थान नहर का संपूर्ण सिस्टम 1991 में तैयार हो चुका है तभी से राजस्थान के किसान अपने हिस्से का 60 एमएएफ पानी लेने के लिए संघर्षरत है लेकिन आज तक उन्हें यह पानी नहीं दिया जा रहा है। 2004 में पंजाब विधान सभा ने टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास किया जिसमें 1981 के समझौते को रद्द कर दिया गया। इस एग्रीमेंट के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान की सरकार ने केन्द्र सरकार से गैर कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया, जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने माननीय उच्चतम न्यायालय से सवैधानिक वैद्यता पर राय माँगी और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने 2016 में अपनी राय दी, जिसमें साफतौर से उन्होंने टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध माना है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान के हिस्से का .6 एमएएफ पानी शीघ्र दिलवाया जाए।

(iii) Regarding relaxing eligibility norms for availing free power connection in Rajasthan

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा): मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी का ध्यान राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों की विद्युत अनुदान की राशि एवं आयु सीमा बढ़ाए जाने से संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों को विद्युत कनेक्शन की डिमान्ड राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रूपए जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिया जाता है। यह अनुदान राशि भी वर्ष 2002-2003 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, जो कि लगभग 14 वर्ष पुरानी है जिसमें वृद्धि कर विद्युत कनेक्शन की डिमान्ड राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 25,000 रूपए जो भी कम हो, किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में कृषकों की आयु सीमा अधिकतम 55 वर्ष निर्धारित की गई है। 55 वर्ष से अधिक आयु के इस वर्ग के कृषक खातेधारों को अनुदान नहीं दिए जाने के कारण खातेदार के जीवित रहने तक भूमि उसके पुत्र/आश्रितों के नाम नहीं हो सकने की स्थिति में खातेदार के पुत्र/आश्रित इस अनुदान की पात्रता नहीं रखते हैं। इस वर्ग के कृषक की अधिकतम आयु 55 वर्ष के स्थान पर अनुदान की पात्रता की आयु 65 वर्ष किया जाना आवश्यक है।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों की विद्युत अनुदान की राशि एवं आयु सीमा बढ़ाने की कृपा करें।

(iv) Need to set up Aanganwadi centers in Jalore and Sirohi districts of Rajasthan

श्री देवजी एम. पटेल (जालोर): वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जालौर जिले की कुल जनसंख्या लगभग 24,85,286 है। जिले में 2001-2011 के दशक में जनसंख्या में कुल वृद्धि 26.31 प्रतिशत रही है। जिले में शहरी आबादी कम है जबिक ग्रामीण आबादी 92.41 प्रतिशत है। सिरोही जिले की कुल आबादी लगभग 103646 है। जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 37 प्रतिशत है। ग्रामीण आबादी अधिक होने से स्पष्ट है कि अधिकतर लोग अभी भी कृषि या उसकी सहायक गतिविधियों से ही अपना जीवनयापन करते हैं।

आज आवश्यकता है कि दोनों जिलों के गाँवों में पूरक पोषक आहार और आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास किया जाए जिससे स्वस्थ बच्चे और सशक्त महिलाएँ गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन कर एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकें।

अतः आग्रह है कि जालौर एवं सिरोही जिलों में अगली पीढ़ी की आदर्श आंगनवाड़ी की स्थापना करने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाएँ जायें।

(v) Need to expedite construction of hospital in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर अंतर्गत आदित्यपुर झारखण्ड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर स्थित छोटे बड़े हजारों उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक मात्र ESIC अस्पताल आदित्यपुर में है और इसमें मजदूरों के रिजस्ट्रेशन की संख्या एक लाख सत्तर हजार IP हैं। जिसमें देखा जाये तो इनको परिवारों की संख्या लगभग आठ लाख हो जाती है। इन सभी लोगों की चिकित्सा हेतु मात्र 50 बैड का अस्पताल है। जबिक पिछले दिनों 2014 में 100 बेड के नए अस्पताल भवन का शिलान्यास माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया था लेकिन अभी तक कोई प्रारम्भ नहीं किया गया है। नियमानुसार एक लाख सत्तर हजार आईपी में कम से कम 250 बेड के अस्पताल की आवश्यकता है, जिसमें मात्र 26 डॉक्टर चाहिए, फिलहाल 22 डॉक्टर हैं एवं कोल्हान प्रमंडल पूरा मजदूरों का ही शहर है। फिर भी वहाँ पर मजदूरों की चिकित्सा हेतु आधुनिक संसाधन उपलब्ध नहीं है और न ही पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में कमरे हैं। इतना पुराना अस्पताल होने के बावजूद यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं मिलने के कारण हृदय रोग या असाध्य बीमारी हो या सामान्य बीमारी किसी का भी ठीक से इलाज नहीं हो पाता है।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मजदूरों की संख्या को देखते हुए जो 100 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया गया है, उसके कार्य को अविलम्ब चालू किया जाए। साथ ही साथ 150 बेड की संख्या को बढ़ाते हुए 250 बेड के अस्पताल का निर्माण कराने की कृपा की जाये।

(vi) Need to accord approval to the proposal for widening and maintenance of remaining stretch of MDR 56 on Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में एम.डी.आर.-56 जो कि 65 कि.मी. लम्बी सड़क है, उसका चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृत हुई थी, परंतु इस पर खर्च होने वाली राशि की स्वीकृति सन् 2009 की बी.एस.आर को आधार मानकर की गई। परंतु कार्य का टेण्डर सन् 2012 में होने से 2012 की बी.एस.आर से कार्य पूरा नहीं हो सका एवं बीच में 41/400 से 55/000 13.600 कि.मी. सड़क, जो कि कोठाज, रोपा, परोली ग्राम से होकर निकलती है, का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण बाकी रह गया। यह कार्य केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा कराने के लिए पिछले वर्ष भी सूचीबद्ध किया गया था। परंतु स्वीकृत नहीं हो सका। वर्तमान में पुनः इस कार्य का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृति के लिए भिजवाया गया है। मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह है कि आमजन को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए शेष बची हुई सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति केन्द्रीय सड़क निधि से दिलाने हेतु आवश्यक निर्देश दिलवायें।

(vii) Need to grant environment clearance for construction relating to providing basic civic amenities in Bhaniya village in Khambha Taluka of Amreli district, Gujarat

श्री नारणभाई काछिड़िया (अमरेली): अमरेली जिले के अन्तर्गत भानीयाँ गाँव खांभा तालुका स्थित है जिसकी आबादी लगभग 1200 के करीब है। इस गाँव में सड़क, बिजली, पानी एवं अन्य बुनियादी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और यह स्थिति आजादी के बाद से ही बनी हुई है। यह क्षेत्र जंगल के आस-पास स्थित होने के कारण अपनी बदहाली झेल रहा है। इस क्षेत्र में लोगों के आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण हुआ ही नहीं है। वन-विभाग के अन्तर्गत पड़ने के कारण इस क्षेत्र में एन.ओ.सी. नहीं मिल पाती है। जिसके कारण लोगों के आवागमन का मार्ग अब तक नहीं बनाया गया है। सड़कें न होने के कारण यहाँ की महिलाओं को प्रसूति के समय अत्यधिक कितनाईयों को सामना करना पड़ता है तथा कई महिलाओं की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस विषय में उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

(viii) Need to address the problem of shortage of drinking water in border districts of Jammu Parliamentary Constituency, Jammu & Kashmir

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू की ओर दिलाना चाहता हूँ। जो नियंत्रण रेखा पर हैं, जैसे नौसेरा, सुन्दरवती, जिला राजौरी, यहाँ पर पीने के पानी की काफी समस्या है।

अतः इनसे संबंधित मंत्रालय से आग्रह है कि इनके लिए निधि जारी किया जाए, जिससे सीमा पर रह रहे लोगों को पीने का पानी मिल सके। 05.04.2017 90

(ix) Need to set up branches of banks in Udaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर (राजस्थान) दक्षिणी राजस्थान का संभाग मुख्यालय है। यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इस संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। इस संभाग में 70 प्रतिशत से 75 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित-जनजाति की है। यह क्षेत्र भारत सरकार द्वारा शिड्यूल्ड-वी.टी.एस.पी. एरिया घोषित है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों में जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से गाँवों की जनसंख्या की बढ़ोत्तरी काफी धीरे-धीरे होती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु 10,000 की आबादी वाले क्षेत्रों में ही बैंक शाखाएं खोलने का नियम है, जिसकी वजह से मेरे लोकसभा क्षेत्र में बैंक की नई शाखाएं खोलने में दिक्कतें आ रही है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि देश में सरकार द्वारा घोषित शिड्यूल्ड- वी.टी.एस.पी. एरिया क्षेत्रों में विशेष रियायत देकर कम आबादी वाले गाँवो में भी बैंकों की नई शाखाएं खोलने की कृपा करायें, जिससे मेरे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के पाटीया, कनबई, मसारो की ओबरी, ढेलाणा, चांवड, वास पड़ावली और मुगांणा में बैंकों की शाखाएं अतिशीघ्र खोली जा सकें और इन क्षेत्रों के निवासियों को बैंकिंग सेवा का लाभ मिल सके।

(x) Need to supply water of Bisalpur dam to districts of Rajasthan for drinking and irrigation purpose

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : मैं मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला टोंक में बिसलपुर बांध स्थापित है जिसकी क्षमता 37.70 टीएमसी है। वर्ष 2016-17 में वर्षा के समय बांध की टीएमसी 165067 तक पहुंच गई थी। उस समय बांध की स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों के निर्देशानुसार बांध के 17 गेट खोल गए। जिसके कारण बांध में 31.44 टीएमसी की स्टोरेज बाकी बची और 134.23 टीएमसी पानी बेकार हुआ।

बिसलपुर बांध में करीब 27.726 वर्ग कि.मी. एरिया से पानी आता है जिसमें छोटे-बड़े कुल लगभग 1100 बांध हैं। इस बांध के माध्यम से 24 टीएमसी पानी प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें से 16 टीएमसी पेयजल व 8 टीएमसी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। बिसलपुर बांध के निर्माण के समय इसकी लागत करीब 786 करोड़ रुपये आई थी, जबिक इसके पानी के द्वारा 1000 करोड़ रुपये की फसल प्रतिवर्ष तैयार की जाती है और 70 लाख लोगों को इसका पानी मिलता है। वर्ष 1964 में इस बांध के माध्यम से अजमेर-जयपुर को भी पानी मुहैया कराया गया था।

मेरी सरकार से मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार ''हर खेत को पानी मिले'' इस बांध के पानी को प्रदेश के अन्य जिलों में सप्लाई किया जाए ताकि पानी को खराब होने से बचाया जा सके।

(xi) Need to protect the animals of Orang National Park in Assam

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): The Orang National Park is under my Constituency, Mangaldoi. Orang National Park is a tourist spot for wild life lovers from across the country as well as from foreign countries.

Most of the animals and species of Orang National Park are endangered specially one-horned rhino. The animals and species need protection.

In view of this, I urge upon Ministry of Environment, Forest & Climate Change to undertake a proper survey of the park for proper demarcation and remove encroachment and grant the required necessary financial aid for developing infrastructure.

(xii) Need to address the problem of shortage of drinking water in Bihar, particularly in Buxar Parliamentary Constituency

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : देश के कई राज्यों विशेषकर बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र बक्सर, रामगढ़ (कैमूर) एवं दिनारा (रोहतास) के विभिन्न प्रखण्डों के दर्जनों पंचायतों एवं सैकड़ों गाँवों सिहत राज्य के 16 जिलों यथा-बांका, भागलपुर, मुंगरे, बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर, पटना आदि जिलों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। पानी का स्तर जमीन से काफी नीचे चले जाने के कारण जलस्रोत का मिलना कठिन हो गया है, जिससे हजारों चापाकल एवं बोरिंग बंद पड़े हुए हैं। हजारों महिलाएं एवं अन्य लोग पानी लाने के लिए कोसों दूर जा रहे हैं। आजादी के लगभग 69 साल बीत जाने के बावजूद आज भी लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार कुंभकरणी निद्रा में सोयी हई है।

राज्य के उपर्युक्त जिलों सिहत हमारे क्षेत्र के ब्रह्मपुर विधानसभा में पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक होने के कारण लाखों लोग लीवर, गॉल ब्लेडर, कैंसर एवं अन्य जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। बिहार सिहत देश के अन्य राज्यों के कई क्षेत्रों में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके कारण चर्मरोग, हड्डी एवं नस रोग से ग्रसित होकर हजारों लोग विकलांग एवं मौत के शिकार हो चुके हैं।

बिहार के मुंगेर, भागलपुर, बांका एवं अन्य क्षेत्रों में जल में फ्लोराइड की प्रचुर मात्रा होने के कारण फ्लोराइसिस बीमारी से ग्रसित होकर हिड्डियां ऐंठ जाती हैं तथा अधिकांश लोग दिव्यांग हो जाते हैं। या फिर मौत के मुंह में समा जाते हैं।

बिहार राज्य के उक्त जिलों के विभिन्न जगहों में मैंने अपने पीएचडी विभाग के मंत्रित्वकाल (2007-08 से 2010) में शुद्ध पेयजल के लिए लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की दर्जनों योजनाएं स्वीकृत कर प्रारंभ की थी। विशेषकर जल संक्रमित प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्लांट लगाने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित की गयी थी, किन्तु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक अधिकांश जगहों में राज्य सरकार ऐसे प्लांट लगाने में विफल सिद्ध हुई है। जहां पूर्व में लगा भी था वह अभी प्रायः बंद पड़ा हुआ है।

मैंने अपने कार्यकाल में 105 करोड़ रुपये की लागत में बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत केशवपुर गाँव में आर्सेनिक प्लांट लगाने की स्वीकृति दी थी। लगभग 6 वर्ष बीत गये, किन्तु राज्य सरकार के कथित लालफीताशाही एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से आंशिक कार्य होकर बंद पड़ा हुआ है तथा

05.04.2017 94

कथित बंदरबांट हो रहा है। मैं कई बार निरीक्षण हेतु भी उक्त प्लांट में गया था तथा जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार का ध्यानाकृष्ट भी किया था, लेकिन ढाक का पात साबित हो रहा है।

इसी प्रकार हमारे गृह क्षेत्र भागलपुर के कहलगाँव, पीरपेंती एवं सुलतानगंज क्षेत्र में भी आर्सेनिक प्लांट लगाने का कार्य अत्यंत ही धीमी गति से चल रहा है। जिस कारण लाखों लोग इन जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होकर संकटमय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गए हैं।

विदित हो कि मैंने अपने मंत्रित्वकाल में पेयजल संकट एवं स्वच्छता (खुले में शौच एवं शौचालय निर्माण) जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर तीन वर्षों के उस काल अविध में ''बिहार ग्राम गौरव यात्रा'' के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के सैकड़ों गाँवों में भ्रमण एवं रात्रि विश्राम कर, यात्रा के दौरान प्रातःकाल प्रतिदिन दो घंटा ''श्रमदान'' द्वारा अनुसूचित जाति एवं गरीब लोगों के लिए अपने हाथों से 11 हजार शौचालय सार्वजनिक सहयोग से बनाये थे।

अतएव केन्द्र सरकार केन्द्रीय सहयोग से बनने वाली उक्त आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं अन्य योजनाओं की राज्य सरकार के स्तर पर अविलंब समीक्षोपरान्त कार्य करने की दिशा में शीघ्रातिशीघ्र निदेश जारी किये जायें, जिससे उक्त सभी प्लांटों का क्रियान्वयन शीघ्र हो सके। साथ ही इतने अधिक समय विलंब होने एवं राशि की गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी लापरवाह पदाधिकारियों एवं ठेकेदारों को दंडित किया जाए तथा बंद पड़े सभी आर्सेनिक, फ्लोराइड प्लांटों तथा आने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए बंद पड़े सभी चापाकलों को भी शीघ्र चालू किया जाये।

(xiii) Need to address the problems of fishermen in the country

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): India has 7500 K.M. long strategically important coastline. The socio-economic backwardness of the coastal belt is appalling. Millions of fishermen depend upon the sea for their livelihood. Climate change and global warming is causing depletion of our marine wealth. Shortage of fish and rough weather add to the woes of fishermen leading to abject poverty. Lack of basic facilities like drinking water, sanitation, healthcare, housing and education facilities to children are crippling issues that fishermen face. Valuable foreign exchange is earned by the country through export of marine products. Moreover, fishermen are true guardians of our coastal security as they are vigilant and alert to any threat from the sea. Under the circumstances I urge upon the Government to pay special attention to the welfare of these hardworking brethren. I also request that a holistic and integrated approach be evolved by the Government to address these issues.

05.04.2017 96

(xiv) Need to provide funds for fodder and water in Nilgiri Biosphere Reserve

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): The State Forest Department has extended the closure of Wayanad Wildlife Sanctuary till April 16 to prevent outbreaks of forest fire and increased chances of human- wildlife conflict in the wake of the continuing drought conditions.

The animals are stressed up due to the dry conditions and the presence of visitors in the sanctuary would further disturb them which could even lead to wildlife attacks. Also due to the shortage of fodder and water inside the forests, there is a chance of animals straying into human habitations. Due to severe funds crunch, authorities of Wayanad Wildlife Sanctuary have converted department jeeps into fire tenders and have redeployed them to fill up the dry waterholes deep inside the forests to quench the thirst of thousands of wild animals of Nilgiri Biosphere Reserve comprising of Bandipur, Nagarahole and Muthumalai Wildlife Sanctuaries.

The absence of water inside the sanctuary would mean that animals would stray to human habitations, thereby intensifying the man-animal conflict. I would urge upon the government to immediately release funds earmarked for the department and take steps to address the matter at the earliest.

(xv) Need to set up a PSU oil Depot at Kesinga or Bhawanipatna in Odisha

SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): Kalahandi Parliamentary Constituency is located in the Western Odisha. It is also coming under the KBK region. The infrastructural development is comparatively low in this region. There is no oil Depot in my constituency. So, I request the Government to open either Hindustan Petroleum Corporation or Indian Oil Corporation Depot either at Kesinga or at Bhawanipatna or between Nuapada and Khariar Road during the current Fiscal Year.

05.04.2017 98

(xvi) Need to protect the interests of stall/trolley/kiosk vendors at railway stations and provide them adequate facilities in accordance with the railway catering policy

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : वर्ष 2009 में खान-पान नीति का उल्लंघन करते हुए रेलवे ने आरक्षित अनारिक्षित वर्ग के लाइसेंसियों के स्टॉल/ट्रालियों को हटवा दिया था तथा आगरा मंडल में वर्ष 2015 और जनवरी 2016 के मध्य रेलवे स्टेशन से जिन स्टॉल/ट्रालियों को हटाया गया था, उन्हें बहाल करने की आवश्यकता है। वर्तमान में रेलवे की घोषणा के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल/ट्रालियों एवं खोमचों पर बिलिंग सिस्टम एवं स्वाइप मशीन लगाने का प्रावधान किया गया है और इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें एक बड़ी समस्या है। रेलवे में स्टॉल/ट्रालियों के लिए लाईसेंस फीस निर्धारण हेतु एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए अन्यथा इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा और खान-पान नीति में खाने-पीने की वस्तुएं बेचने वालों को एक ही नीति में लाये जाने की आवश्यकता है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि इन सभी विषयों का संज्ञान लेकर सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करें और इन सभी समस्याओं का निदान करें।

(xvii) Regarding credit interest on inoperative Provident Fund Accounts

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): The then UPA Government had stopped crediting interest on inoperative accounts. Thanks to the NDA Government that they have taken a pro-worker decision and have decided to credit interest even to inoperative accounts. It is unfortunate that 15 crore EPF accounts are inoperative out of 25 crore with Rs.44,000 crores deposits in them. This decision will also not help the Finance Ministry to use the funds in such dormant accounts for creating new Senior Citizens Welfare Fund. There are unclaimed deposits of about Rs.3,000 crore in the Public Provident Fund and approximately Rs.6,000 crore in the EPF corpus.

Therefore, I urge upon the Government to credit interest on inoperative provident fund accounts immediately and use the excess amount for the welfare of workers across the country.

(xviii) Need to review the decision to withdraw subsidy on sugar under Public Distribution System

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Like many other people centric components, the Union Budget Estimates 2017-18 have phased out the provision of providing subsidies on sugar through PDS which was amounting to the tune of Rs. 4,500 Crores in 2016-17 and credited to the consumers through the States/UTs. Due to this subsidy, sugar was made available for Rs 18.50 per kilo through the PDS. Now, due to phasing out of this subsidy, the consumers shall be deprived of the sugar at subsidized rate. This huge burden on consumers is estimated at Rs. 60 crores per annum for Tripura alone.

Due to this move of the Government, two simultaneous effects will be faced by Tripura i.e. supply of Sugar @ Rs. 26/Kg shall have to be stopped in the PDS system from April 2017 and absence of subsidized sugar in Tripura shall lead to an increase in price of sugar in the open market, due to withdrawal of 2,647 MT sugar per month from the PDS net.

In the light of the above, the Government may review its decision and restore the provision of subsidy for sugar and thirteen other essential commodities, which shall benefit millions of the families in the country and shall be a big step towards tackling malnutrition, starvation death and poverty.

(xix) Regarding problems faced by salt farmers

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Salt falls under Union List as Item No.58 in 70 Schedule. So, it is the primary responsibility of Union Government to manufacture, supply and distribute salt in the country. Government of India (GOI) is equally responsible to come to the rescue of salt farmers during distress.

It is painful that Government of India is not giving any importance to salt producers in spite of the fact that salt deficiency leads to many health-related problems and no one in the world wish to have his or her meal without salt.

Andhra Pradesh is the fourth largest producer of salt in the country and Prakasam is the largest producer in Andhra Pradesh. But, in the absence of any steps taken by Salt Commissioner Office, Andhra Pradesh, salt producers are still using primitive methods resulting in not getting better quality and price. It is not out of place to mention that they are not getting even Re 1 per kg for their salt whereas same salt is sold at Rs. 10 in market. Hence, I request the Government to set up Model Salt Farms in Prakasam district. 'Salt' should be given 'Agriculture' status since 100% work is labour-oriented. When commercial crops where 90% is mechanized and given 'agriculture' status, why not 100% labour-oriented salt be given 'industry' tag, MSP should be announced every year, salt production should be included under NREGA, Salt Commissioner should stop cartelization of traders while buying salt, Salt farmers should be provided loan at par with agriculture and many Salt Farm licenses are going to expire next year. I request the Government to kindly renew their licenses at an early date.

(xx) Need to accord sanction for six desalination plants in Lakshadweep

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Lakshadweep is surrounded by sea. The quantity of fresh water (ground) is diminishing day by day due to increased use and saline (sea) water has made its stream in all the islands. Inhabitants of islands are in deep trouble as fresh water availability is serious concern now. Giving due seriousness to this alarming situation, the Lakshadweep Administration proposed to install six Low Temperature Thermal Desalination (LTTD) plants in six islands. Administration took this decision on receiving success reports from its three plants installed one each at Kavaratti, Minicoy, and Agatti during the period 2006 to 2010.

The proposal is pending in the Ministry of Drinking Water and Sanitation for sanction. Therefore, I urge upon the Government to sanction the proposal at the earliest since it is essential for the existence of life in Lakshadweep.

(xxii) Need to set up a permanent CRPF camp at Rishi Kund Patam and Dharhara in Munger district, Bihar and also to provide adequate funds for modernization of police force and communication system in the State

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों के विशेष नक्सल प्रभावित होने के कारण जिला-मुंगेर के स्थान ऋषि कुंड पाटम एवं धरहरा में स्थायी सी.आर.पी.एफ. कैम्प की स्थापना हो और बिहार पुलिस को आये दिन नक्सल चुनौती से निपटने हेतु कार्य करने में हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण व संचार तंत्र विकसित करने हेतु 500 करोड़ रुपये की धनराश सहायता स्वरूप प्रदान करें।

(xxii) Need to repair the old and dilapidated river bridges on N.H.-82 and to construct an over bridge at Bihar Sharif railway station in Nalanda Parliamentary Constituency, Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा में एन.एच.-82 विहार शरीफ से बरबीघा होते हुए सरमेरा से मोकामा तक जाती है। यह एक मुख्य सड़क मार्ग है। एन.एच.-82 पर विहार शरीफ से बरबीघा के बीच जिराईन नदी, कुम्हरी नदी, सोइबा नदी एवं नोनियां नदी पर सिंगल लेन के पुराने पुलों की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। इसे अविलम्ब बनवाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार विहार रेलवे स्टेशन के पास ऊपरीपुल नहीं बनने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घंटों-घंटों यहाँ जाम लगा रहता है। अतः यहाँ पर एक ऊपरीपुल का निर्माण करने की आवश्यकता है। एन.एच.-82 के बरबीघा से सरमेरा के बीच की सड़क बिल्कुल टूट चुकी है। सड़क खण्डहर बन गई है। आये दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। काफी जान-माल की क्षति हो रही है। इस खण्ड का टेण्डर भी हुआ, मगर आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः बरबीघा से सरमेरा के बीच सड़क की मरम्मत जल्द शुरू करने की आवश्यकता है।

मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करता हूँ कि एन.एच.-82 पर जिराईन, नदी कुम्हरी नदी, सोइबा नदी, नोनियां नदी पर पुलों एवं बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के पास ऊपरीपुल का निर्माण और बरबीघा से सरमेरा के बीच सड़क मरम्मत कार्य की अनुमित जल्द देने की कृपा करें।

(xxiii) Need to provide adequate funds under Border Area Development Programme for drinking water projects in Kokrajhar Parliamentary Constituency, Assam

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोकराझार (असम) के चिरांग, बाकसा और कोकराझार जिले के भूटान से सटे इलाकों के गाँवों में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग निदयों तथा नहरों का पानी पीते हैं। इससे लोगों में बीमारी फैलती है और बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे संसदीय क्षेत्र के इन इलाकों में पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाए तथा बीएडीपी का एक साल का फण्ड सिर्फ बारिश या नदी से जल उपलब्ध कराने के लिए बड़े रिजरवॉयर बनाने में प्रायोरिटी देने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। साथ ही मंगलदै संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय के आदर्श ग्राम बालितारा में आर्सेनिक मिला है। उनके बगल में ही हमारा संसदीय क्षेत्र आता है इसलिए वहां पर भी विभिन्न स्थानों यथा महीना, शांतिपुर, धमधमा क्षेत्र में भी पानी का परीक्षण होना चाहिए।

14.06 hours

*EMPLOYEE'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL, 2016 (Amendments made by Rajya Sabha)

HON. DEPUTY SPEAKER: We may now take up item No. 12, namely, the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016.

Hon. Minister.

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

"कि राज्य सभा द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं।"

अधिनियम सूत्र -

1. कि पृठ 1, पंक्ति 1, "सड़सठवें" शब्द के स्थान पर "अड़सठवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृठ 1, पंक्ति 3, "2016" के स्थान पर "2017" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Employee's Compensation Act 1923, be taken into consideration:--

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-seventh", the word "Sixty-eighth" be *substituted*.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, *for* the figure "2016", the figure "2017" be *substituted*."

The motion was adopted.

^{*} The Bill was passed by Lok Sabha on the 9th August, 2016, and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held on the 22nd march, 2017 and returned it to Lok Sabha on 23rd March, 2017.

HON. DEPUTY SPEAKER: We shall now take up amendments made by Rajya Sabha. I shall now put amendment Nos. 1 and 2 made by Rajya Sabha together to the vote of the House.

The question is:

"ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-seventh", the word "Sixty-eighth" be *substituted*.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, *for* the figure "2016", the figure "2017" be *substituted*."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the amendments made by Rajya Sabha in the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha, be agreed to.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

"कि राज्य सभा द्वारा जैसा संशोधित किया गया है। यह संशोधन विधेयक पारित किया जाए।"

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

The motion was adopted.

14.08 hours

FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT INSTITUTE BILL, 2017 – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up item No. 13, namely, the Footwear Design and Development Institute Bill.

Shri Dhananjay Mahadik.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे फुटवियर डिज़ाइन एण्ड डेवलपमेंट बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया. धन्यवाद।

उपाध्यक्ष जी फुटवियर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर पर है। हमारे देश में इसकी वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ रहे हैं। अगर हम विश्व में इसका बाजार देखें तो यह तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन इसमें भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ 2 या 3 परसैन्ट है। हमारे देश का बाजार दुनिया में तीसरे नम्बर का बाजार है। माननीय मंत्री जी ने इसे राष्ट्रीय महत्व देने का दर्जा दिया है। हम बहुत प्रभावित हैं। दुनिया का फुटवियर बाजार जो वर्तमान में 198 बिलियन यू.एस. डॉलर है, वर्ष 2020 तक अनुमान है कि यह 220 यू.एस. बिलियन डॉलर तक बढ़ने वाला है। एफ.डी.डी. इन्स्टीट्यूट की शुरुआत हमारे देश में वर्ष 1986 में हुई। सात शहरों में नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, फुर्सतगंज, छिन्दवाड़ा और जोधपुर में इन इन्स्टीट्यूट्स को शुरु किया गया है।

उपाध्यक्ष जी, भारत में इंटरनेशनल मार्केट या स्टैंडर्ड मैच करने का पूरा पोटेंशियल है, लेकिन इसमें श्रम प्रधान होने की वजह से प्रशिक्षित मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम अभी सही कदम नहीं उठाएंगे, अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो इम्पोर्ट बढ़ सकता है और इसका परिणाम फुटवियर, लेदर इंडस्ट्री और डॉमेस्टिक एक्सपोर्ट पर हो सकता है। सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए कि बेरोजगार युवाओं को और महिलाओं को जीविका का साधन बनाने के लिए इसमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है।

लैदर मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ स्क्वायर फीट लैदर का प्रोडक्शन हिंदुस्तान करता है। अगर ग्लोबली इसका शेयर देखेंगे तो 13 परसैन्ट शेयर हमारा बनता है। यहां हर साल बीस करोड़ जोड़े जूते बनाये जाते हैं और लैदर के अदर आर्टिकल्स भी भारत में मैन्युफैक्चर किये जाते हैं। इसका बड़ा मार्केट जर्मनी, यू.के. और इटली में है और यहां इसका एक्सपोर्ट होता है। चप्पल और सैंडल्स का जो निर्माण होता है, वह ज्यादातर कॉटेज इंडस्ट्रीज से होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ 2 या 3 परसैन्ट एक्सपोर्ट होता है, इसलिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। लैदर इंडस्ट्री

के जो आइटम्स बनते हैं, उन्हें लोग कम प्रिफर करते हैं, क्योंकि वे कम्फर्टेबल नहीं होते, जूते और चप्पल कम्फर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा रिसर्च और डैवलपमैन्ट करने की जरूरत है। इन्हें आकर्षक कैसे बनाया जाए, लाइट वेट कैसे बनाया जाए, इस पर सरकार को थोड़ा काम करने की जरूरत है।

महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र कोल्हापुर है, वहां की कोल्हापुरी चप्पल विश्व प्रसिद्ध है। उसकी बहुत बड़ी डिमांड है और ज्यादातर ये काम आर्टिजन्स के माध्यम से होता है और इंडस्ट्री के माध्यम से भी होता है। इसे पूरी दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, क्योंकि यह एथनिक वियर है और ट्रेंडी वियर है। इसमें कई सारी मैडिसनल प्रोपर्टीज भी हैं। क्योंकि जब इसके लैदर की टेनिंग होती है, उस वक्त उसमें लाइम, हिरडा और बबुल का आवरण युज किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें एंटी-बायोटिक भी संबोधित किया जाता है। ये आंखों के लिए भी यूजफूल हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप कोल्हापूरी चप्पल पहनेंगे तो आपको स्पेक्टेकल्स नहीं लगेंगे। ट्रेडीशनली इसके पांच डिजाइंस थे, उनमें मोडिफिकेशन करके अब तक तकरीबन चालीस डिजाइंस हमारे लोगों ने तैयार किये हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, दस साल तक इसकी ड्यूरेबिलिटी है। यदि आप कोल्हापुर की बात करेंगे तो कोल्हापुर में साढ़े तीन हजार फैमिलीज इस व्यवसाय पर निर्भर करती हैं। देश की जो दस बड़ी इंडस्ट्रीज चिह्नित की गई थीं, जिनमें हमें आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, उसमें लैदर एंड फुटवियर इंडस्ट्री का भी जिक्र किया गया है। हमारे देश में तकरीबन 25 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जो इसमें काम करते हैं और उनमें 30 परसैन्ट महिलाएं काम करती हैं। कोई भी बड़ा ऑर्डर अगर कोल्हापुर में आता है तो हम कम्पलाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां संसाधनों की कमी है। कोई क्लस्टर नहीं बना हुआ है। हम बीच में यू.के. और यू.एस. गए थे तो वहां के एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स बोल रहे थे कि क्या आप हमें सालाना 20 कंटेनर चप्पल दे सकते हैं? यह हमारे लिए असंभव हैं। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप चार-पांच जगहों पर ऐसे और इंस्टीट्यूटस शुरू कर रहे हैं तो जहां कोल्हापुर बेस है, कोल्हापुर में भी ऐसा एक इंस्टीट्यूट खोला जाना चाहिए। क्योंकि इसके अभाव में आजकल के जो नये युवक आर्टिजन्स हैं, वे इस व्यवसाय से दूर दूसरी जगहों पर काम करने के लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसे कई सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इसलिए कोल्हापुर का जो बाजार है, उसे बढ़ाने के लिए कोल्हापुर में एक इंस्टीट्यूट खोलें और खासकर तौर पर कोल्हापुरी चप्पल का पेटेन्ट कराने की हम आपसे मांग करते हैं। क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल मुम्बई में मिलती है, दिल्ली में मिलती है, चेन्नई में मिलती है और यू.एस.ए. में भी मिलती है। परंतु वह कोल्हापुर में नहीं बनती है। हम चाहते हैं कि कोल्हापुर की इस इंडस्ट्री को पेटेन्ट मिले ताकि हमारे लोगों के लिए सुविधा हो।

महोदय, फुटवियर इंडस्ट्री में कॉटन में जाना संभव हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में जो नये ब्रांड्स आ रहे हैं, उनमें कॉटन के चप्पल और शूज भी आ रहे हैं, जो बहुत ही लाइट वेट और कम्फर्टेबल हैं। हमारे देश में कॉटन की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसमें भी काम करने की जरूरत है। लैदर इंडस्ट्री में भी लाइट वेट और कम्फर्ट कैसे मेनटेन किया जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्किल्ड और ट्रेंड वर्कफोर्स की जरूरत है। फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स और होने चाहिए, इनकी बहुत जरूरत है। इसके अलावा डिजाइन मेकिंग एंड मार्केटिंग में भी काम करने की जरूरत है। जैसे चेन्नई में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, वहां आर्टिजन्स और सूक्ष्म उद्योगों के लोगों को काम करने के लिए जगह दी जाती है और मार्जिन में उनकी कमाई होती है। ऐसे ही कोल्हापुर और महाराष्ट्र में कई जगहों पर होने की आवश्यकता है, यह मैं आपसे मांग करता हूँ। हम आज दो या तीन नंबर पर दुनिया में हैं, सही प्लानिंग होगी तो मुझे लगता है कि हम चाइना को भी इसमें कम्पीट कर सकते हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रोज़गार की बहुत बड़ी गारंटी, बहुत बड़ा जॉब एश्योरेंस मिल सकता है। युवक और महिलाओं के लिए रोज़गार का बड़ा साधन हम बना सकते हैं। मैं बिल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से यह गुज़ारिश करूंगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें और कोल्हापुरी चप्पल के लिए पेटेंट किया जाए और कोल्हापुर में भी एक इस्टिट्यूट खोलें। हमारे वहां के लोगों की इंडस्ट्री बचाने के लिए आप मदद करें। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह गुज़ारिश करूंगा। धन्यवाद।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस एफडीडीआई बिल के ऊपर अपने विचार रखने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ।

मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारी माननीय मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को अभिनंदित करना चाहती हूँ। सर, इस साल हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्मशित मना रहे हैं। जहां-जहां भी हमारी सरकारें हैं, वहां भी और हमारे यहां केंद्र सरकार में भी ऐसी नीतियां बना रहे हैं, जो हमारे पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार था, उसी तरह की योजनाएं, उसी तरह की स्कीम्स हम यहां बना रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बिल ही एक ऐसा ही विचार है, हमारे देश के लिए, कि जो हमारे पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के विचारों का समर्थन करता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मैं एक बिल्कुल छोटे से गांव से आती हूँ, हमारा गांव जंगली इलाके में है। जब मैं छोटी थी, तब मेरे पिताजी मुझे बगल के एक गांव में ले जाते थे, वह भी जंगल में ही बसा हुआ है। वहां ले जाते थे और गांव की थोड़ी दूरी पर सरसई नाम का जो गांव है, वहां दर्शन करने के लिए ले जाते थे, वहां एक छोटा सा मंदिर है, उसके आगे थोड़े से कुंड बने हुए हैं। आज भी वे कुंड मौजूद हैं। जब हम छोटे थे, तब हम पिताजी से पूछते थे कि पिताजी, ये कुंड क्या हैं तो पिताजी हमको बताते थे कि बेटा ये कुंड चमड़ा भिगोने के लिए बनाए हुए हैं और भूतकाल में संत रविदास यहां बैठ कर, चमड़ा भिगो कर जूता सिलते थे और हरिकीर्तन किया करते थे और ऐसे ही वे ईश्वर को प्राप्त हो गए। आज भी लोग भारी संख्या में वहां दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरी बात मुझे याद आ रही है कि जब मैं छोटी थी, मेरी नानी के साथ मेरे गांव में एक छोटे से मकान में चप्पल या जूता खरीदने जाया करते थे। हमारे गांव का मोची छोटे से मिट्टी के कुंड में चमड़ा भिगो कर जूता या चप्पल बनाया करते थे। सारे गांव के लोग वहीं से जूता खरीदते थे। कुछ अर्से के बाद मुझे पता चला कि बुजुर्ग मोची का देहांत हो गया है और उनका पूरा परिवार भी गांव छोड़ कर चला गया है। मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ तो मुझे पता चला कि बदलते समय के साथ-साथ गांव के लोगों को भी पारंपरिक जूता बनाने की जो रीत थी और जो जूता बनाते थे, वे उनको पसंद नहीं आते थे। इस वजह से बुजुर्ग मोची के परिवार को गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको रोज़गारी नहीं मिल रही थी। तब से ले कर आज तक दुनिया के देखने की रीत ही बदल गई है। फैशन पूरी दुनिया में छा गया। कपड़े के साथ-साथ फुटवियर का भी एक फैशन जगत बन गया है। पहले लोग कहा करते थे कि क्लॉथ्स मेक ए मैन, लेकिन अब तो पूरा विश्व ही मानने लगा है कि clothing is incomplete without proper footwear. इस नजरिए से पूरे विश्व में अब फुटवियर और जो लैदर

मार्केटिंग है, जो लैदर सैक्टर है, वह इतना बदल गया है कि इसमें डिजाइनिंग, उनकी कीमत, उनका डेवल्पमेंट और अलग-अलग तरीके से लैदर के जो प्रोडक्ट है, उनमें बहुत बदलाव आ गया है।

महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ-साथ हम लोग पशुपालन भी करते हैं। इसीलिए हमारे देश में लेदर भारी मात्रा में उपलब्ध रहता है, हमारे देश में लेदर का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। हमारे देश में हमारे युवाओं की क्रिएटिविटी बढ़ रही है। हमारे देश का जो मार्केट है, हमसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बारे में बताया कि हमारे देश का फुटवियर और लेदर सेक्टर का जो मार्केट है, वह पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। जो लेदर सेक्टर है, फुटवियर डिजाइन का जो सेक्टर है, उनके लिए बहुत भारी मात्रा में संभावनायें हमारे देश के युवाओं के लिए है और बहुत ही स्किल्ड मैनपावर की जरूरत भी हमारे देश में फुटवियर सेक्टर में, उनकी डिजाइनिंग और उनके डेवलपमेंट में खड़ी हो रही है।

महोदय, इसके लिए भारत में वर्ष 1986 में एफ.डी.डी.आई. की स्थापना हुई थी और पूरे देश में ऐसे सात इंस्टीट्यूट अभी चल रहे हैं और आगे भी पाँच इंस्टीट्यूट और बनने वाले हैं, लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स के लिए अभी तक हमारे देश में कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं थी तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी, मिनिस्ट्री और हमारी माननीया मंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया कि यह जो बहुत भारी मात्रा में हमारे देश के युवाओं के लिए संभावनायें हैं, उनके स्किल्ड होने के लिए, उनके रोजगार के लिए और पूरे विश्व में जो संभावनायें बनी हैं, उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों को जो साबित करे, उनके हिसाब से हमारे देश में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो और उसके लिए यह एक बिल आया हुआ है। मैं पूरे हृदय से इस बिल का समर्थन करती हूँ।

आगे यह बताया गया है कि यह जो वर्ल्ड मार्केट है, यह अभी 198.7 मिलियन डॉलर का है, इसके वर्ष 2020 तक 220.2 मिलियन डॉलर तक जाने की संभावना है, इसीलिए हमारे माननीय नरेन्द्र भाई जी ने इन संभावनाओं को देखकर यह बिल लाने का प्रयास किया है कि एक ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट बने।

महोदय, अब तक यह होता था कि जो दूसरी संस्थाएँ हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें फुटवियर डिजाइनिंग के कोर्सेज चलाये जाते थे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी। यह एक बहुत ही अच्छा कदम हमारी मिनिस्ट्री ने उठाया है। यह जो नेशनल इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज भी चलाये जायेंगे। उसमें फुटवियर डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, फैशन मर्चेन्डाइजिंग, विजुअल मर्चेन्डाइजिंग, मार्केटिंग के कोर्स, क्रिएटिव डिजाइनिंग और सीएडी, सीएएम, लेदर गुड्स एंड लेदर की जो दूसरी ऐक्सेसरीज बनती हैं, उनसे सम्बन्धित कोर्स भी चलाये जायेंगे। ग्रैजुएट, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट के कोर्सेज भी वहाँ चलाये जायेंगे।

महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि इससे हमारे देश में तो युवाओं का उज्ज्वल भविष्य बनेगा ही, साथ ही पूरे विश्व के दरवाजे, पूरी दुनिया के दरवाजे हमारे युवाओं के लिए खुल जायेंगे। यह जो इंस्टीट्यूट बनेगा, विश्व में जहाँ-जहाँ भी ऐसे संस्थान बने हुए हैं, जहाँ-जहाँ भी ऐसी नयी-नयी टेक्नोलॉजी है, उनके साथ भी हमारा यह इंस्टीट्यूट कोलेबरेशन करके, आदान-प्रदान करके हमारे देश की टेक्नीक वहाँ और उनके देश की टेक्नीक हमारे देश के युवाओं की जानकारी में आये, वे प्रशिक्षित हों, इससे पूरे विश्व के साथ वे जुड़े रहेंगे। इसमें विश्व के जो मेन कंट्रीज हैं, यूएसए, यू.के., जर्मनी, हाँगकाँग, इजिप्ट, चाइना, सिंगापुर, मिडिल-ईस्ट, श्रीलंका, केन्या आदि बहुत सारे देश ऐसे हैं, जहाँ हमारे युवाओं के रोजगार की बहुत संभावनायें रहेंगी। उनका जो टैलेन्ट है, जो वे स्किल्ड होने वाले हैं, इससे वे बहुत आगे जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे जॉब क्रिएट होने वाले हैं। इसमें हमारे युवाओं के लिए बहुत पोटेंशियल है। जो जॉब उन्हें मिलने वाली हैं, वे डिजाइनर बनेंगे, वे मैनेजमेंट ट्रेनी होंगे, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर बनेंगे, मार्केटिंग मैनेजर बनेंगे, फ्रीलॉस डिजाइन भी हमारे युवा बन सकते हैं। इसलिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारी माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो एफ.डी.डी.आई. के लिए यह बिल लेकर आई हैं, उसका पूरे हृदय से समर्थन करते हुए मैं हमारे देश के युवाओं को भी शुभकामनाएं देती हूं कि यह जो हमारे देश के लिए एक नया क्षेत्र है, उसमें हमारे युवा आगे बढ़ें और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का सपना था कि हमारे देश को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाना है, वह सपना हम साकार करें।

धन्यवाद।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): उपाध्यक्ष जी, आपने एक महत्वपूर्ण बिल के ऊपर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शुरू में, मैं यह बात भी उठाना चाहता हूं कि आज तक मैंने देखा है कि कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में फुलफ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। हमारी मिनिस्टर निर्मला जी को इसके लिए कम्पीटेंट होते हुए भी उन्हें अभी तक 'स्टेट मिनिस्टर (इंडिपेंडेंट)' क्यों रखा गया है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

महोदय, अगर बिल के बारे में बोलना है तो मैं इसका समर्थन तो करूंगा ही, पर उनका अभिनंदन मैं इसलिए करूंगा, क्योंकि यह बिल एक बहुत ही फायदेमंद बिल है। आज हम सभी ओर देख रहे हैं, चाहे वह फुटवियर हो या लेदर की और कोई चीज़ हो, वे बहुत बड़े पैमाने पर बाज़ार में आ रही हैं। हमारे देश की जो परंपरागत जाति व्यवस्था थी, पूरे देश में हर गांव में, प्रमुख रूप से बारह जातियां हमें दिखाई देती थी। हर एक का अलग-अलग उद्योग था। चमड़े से कोई वस्तु बनाने वाला, चाहे वह फुटवियर हो या और भी कई चीज़ें हों, वह गांव में काम करता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मूर्तियां बनाने वाला भी गांव में काम करता था। ऐसा मैं हर एक के बारे में बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एक छोटे-से गांव से आया हूं। उनका पूरा परिवार इस पर निर्भर होता था। उनके पास न तो खेती होती थी और न ही कोई और उद्योग होता था। इस काम के बदले में गांव वाले उनके खाने का जो भी बंदोबस्त करते थे, उसके ऊपर उनका गुज़ारा चलता था। अब जब यह लेदर इंडस्ट्री आगे चलने लगी तो कुछ प्राइवेट और पब्लिक फैक्ट्रीज़ खड़ी हो गयीं, तो बड़े-बड़े लोग, अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म के होते हुए भी वे इसके बिजनेस में आए। लेकिन, हमने कभी पीछे मुंड कर नहीं देखा कि जो कम्युनिटी इसका धंधा करती थी, उनके ऊपर इसका क्या असर हुआ। शुरू-शुरू में प्लास्टिक के चप्पल या बूट बाज़ार में आए, तो उनके पास से कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि गांव में एक तो गरीबी होती है और सस्ते में जो भी चीज़ मिलती है, उसे लोग खरीदते थे। पहले अगर लोग चमड़े के चप्पल पहनते थे तो उसे दुरुस्त करने का काम वे लोग किया करते थे। आज यह धंधा पूरा निकल गया है और शहर की ओर, रास्ते के बगल में बैठ कर अगर कुछ ऐसा धंधा मिलता है तो उसकी खोज़ में लोग बड़े-बड़े शहरों में आते हैं।

महोदय, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर विचार किया गया है और यह बिल लाया गया है, यह भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूं। मगर, हर एक धंधे के साथ जुड़ा हुआ ऐसा ही बिल, ऐसे ही इंस्टीच्यूट अगर हम बनाएंगे तो सही मायने में इन लोगों के साथ हम न्याय कर रहे हैं, ऐसा मैं मानूंगा।

महोदय, केमिकल एण्ड फर्टिलाइज़र कमेटी टूर के दौरान नॉर्थ-ईस्ट में मैंने देखा कि प्लास्टिक की री-साइकलिंग की जो व्यवस्था है, वहां नॉर्थ-ईस्ट में जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, उससे उनको अच्छा

रोजगार मिला है। यहां तक कि वे स्वयं रोजगार भी कर सकते हैं। इसका महत्व मुझे बहुत ही अहम लगा है। आज इस प्रकार के बेरोजगार नौजवान इस तरह के इंस्टीट्यूज में जाते हैं, राज्य सरकारों ने भी ऐसी व्यवस्था बनाई है। वहां सिर्फ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ही नहीं है, बल्कि रिसर्च भी है। अब इसमें नई-नई रिसचर्स आ रही हैं। आज एयरोप्लेन के पार्ट्स भी प्लास्टिक के बनते हैं, यह सिर्फ रिसर्च की वजह से ही हुआ है। रिसर्च के बारे में यही प्रावधान इस बिल में भी रखा गया है। प्रारंभ में मुझे ऐसा लगा था कि हम सिर्फ डिजाइन एंड डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें रिसर्च भी रखा गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का और भी अभिनंदन करना चाहता हूँ।

शुरू में, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे संविधान के स्वरूप के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी धंधा करने का अधिकार है, लेकिन इसमें भी अगर हम रिजर्वेशन का थोड़ा प्रावधान करेंगे, क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं और जिस समाज के लोग बेरोजगार हुए हैं, वे कम्युनिटीज़ इन्हीं व्यवसायों से संबंधित हैं। अगर हम इन कम्युनिटीज़ के लिए 20 से 25 पर्सेंट रिजर्वेशन का प्रावधान करेंगे, तो उस कम्युनिटी के नौजवानों को, जो कि गरीबी के कारण ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका एडिमिशन करते समय रिजर्वेशन का प्रावधान करेंगे, तो उस कम्युनिटी को न्याय मिलने की आशा हो सकती है।

हमारी माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017 को लायी हैं। यह कानूनी रूप से एक नई इंस्टीट्यूट खड़ी की गई है; जो कि नेशनल लेबिल की है, इसकी मैनेजमेंट तय हो चुकी है। इसके लिए एक काउंसिल बनायी जाएगी और सीनेट के माध्यम से मैनेजमेंट की जाएगी। इसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सरकार एक व्यक्ति को अप्वाइंट करेगी। इसका चेयरमैन किसी भी धंधे से जुड़ा हुआ उद्योगपित या कोई साइंटिस्ट होगा।

अगर रिसर्च में जाना है तो फिर इसका चेयरमैन साइंटिस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर को अप्वाइंट करने जा रहे हैं तो सरकार को इसका अधिकार अपने पास रखना चाहिए। सरकार ऐसे व्यक्ति को अप्वाइंट करेगी जो सही मायने में इस इंस्टीट्यूट का अनुभवी हो और यह सही मायने में इंस्टीट्यूट को कंट्रोल भी कर सकता हो। हमारी इंडस्ट्री तथा विभाग से जुड़ा आदमी भी ज्वाइंट सेक्रेट्री के रूप में शामिल हो सकता है। यह भी एक अच्छी बात है।

आज की स्थिति से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक स्टेट में करीब 12 कैंपस इससे जुड़ने जा रहे हैं। इसमें मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि अगर हम इसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाएंगे तो सही मायने में ग्रामीण इलाके में काम करने वाले बेरोजगार आदमी को इसके माध्यम से काम करने का प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मुम्बई के धारावी में एक बहुत बड़ी

झोपड़पट्टी है, इसको देश की ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहा जाता है। वहां पर एक ऐसी अलग डेवलपमेंट हो चुकी है कि घर-घर में लेदर से अलग-अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं। बेल्ट बनाई जाती हैं, पर्स बनाए जाते हैं, डायरी के कवर्स बनाए जाते हैं, बूट और चप्पल तो बनाए ही जाते हैं। जब हम उस ओर चलते हैं तो वहां एक बहुत बिढ़या मार्केट है। ऐसे झोपड़-पट्टी एरिया में रोड़ के दोनों तरफ बहुत सी दुकानें लगी हैं। वहां एक अलग मार्केट बन चुका है। जब भी मुंबई में कोई टूरिस्ट आता है, तो जरूर वहां जाकर खरीददारी करता है। इसका परिणाम हुआ है कि घर-घर में रोजगार मिला है। डिजाइन बनाने वाले अलग हैं, उसके डेवलपमेंट का विचार करने वाले अलग हैं। बात इतनी है कि वहां जो उसका मालिक है, वह पुराना मुनाफा कमाता है और जो वहां रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके लिए एक ही बात अच्छी है कि उनको रोजगार मिलने लगा है। यह रोजगार अपनी मर्जी से घर में बैठकर भी वह कर सकता है, उसमें यह अच्छी सुविधा मिली है। सरकार ने इसको बढ़ावा देने की पहल रखी है। मैंने अभी यही सुझाव दिया कि यह पहल एक इंस्टीट्यूट के लिए काफी नहीं है, उसका कैंपस अलग-अलग जगह होना जरूरी है, यह केवल 12 जगह ही नहीं हों, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल के रूप में बड़ा है, आबादी के रूप में बड़ा है। अगर हम अच्छी संकल्पना लेकर आए हैं, इस बिल के माध्यम से कानूनी प्रावधान करने जा रहे हैं, तो साथ-साथ इसको ज्यादा बढावा दें, हर जगह इसके कैंपस खोलें।

हमारे प्रधान मंत्री जी का एक सपना भी है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हर जगह अलग-अलग उद्योग के लिए सेंटर्स खुलवाये गए हैं। मैं थोड़ा सा स्ष्ट्र्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से अभी तक मुझे वह ज्यादा कामयाब हुआ, ऐसा दिखाई नहीं देता है। हम शहरी इलाके में घूमते हैं, मैं मुंबई में रहता हूं और ग्रामीण इलाके में भी हमारा चुनाव क्षेत्र है। उसका प्रभाव जितना होना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए, यहां तक कि मेरे अमरावती प्रॉपर में, जो कि एक महानगर निगम है, 10 लाख आबादी है और पांच जिले का डिविजनल रेवेन्यू सेंटर है। देश में पहला स्किल डेवलमेंट सेंटर हमारे अमरावती में खोला गया। वहां टाटा कंसल्टेंसी को एप्वाइंट किया। दो दिन पहले मैं वहां से गुजर रहा था हमारे जिलाधिकारी कार्यालय के बगल में, तो वहां ताला दिखाई दिया। यह बात मैडम नोट डाउन करने जैसी है कि हमारा उद्देश्य अच्छा है। उसके लिए जो भी एक्सपर्ट्स चाहिए, टेक्निशियंस चाहिए, पैसा चाहिए, वह सरकार देना चाहती है, तो इसे बड़े पैमाने पर और देश का पहला सेंटर करके अगर उसे खोला है और वही बंद रहेगा, तो बाकी जगह क्या होता होगा, यह भी आप थोड़ा सोचिए। यह हाल इंस्टीट्यूट का नहीं होना चाहिए।

आपने मैनेजमेंट बनाकर रखा है, लेकिन मैनेजमेंट भी सीमित है। मैंने आपसे यहां रिक्वेस्ट किया कि इतने बड़े देश में अगर जाना है तो कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट हम खोलें। जैसे नार्थ- ईस्ट में हमारे जो सात राज्य हैं, वहां के नजदीक-नजदीक में, हर एक-दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में यह सेंटर

खुलवाया है, प्लास्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च और यह भी सेम तरीके से हम खोलना चाहते हैं, लेदर डिजानिंग, डेवलपमेंट और उसके साथ हमने रिसर्च भी जोड़ा है।

उपाध्यक्ष जी मैं यहां दोबारा उल्लेख करना चाहता हूं। यह थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हर जगह अलग-अलग ढंग से होता है। लेकिन इतनी छोटी इंडस्ट्री में ऐरोप्लेन के पार्ट्स भी प्लास्टिक से बनाए जाएंगे, यह रिसर्च का परिणाम है। इसलिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अच्छा बिल है। मैं इसकी सराहना करता हूं और साथ ही पूरे दिल से और अपनी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन करता हूं। मैं एक बार फिर मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फुटवियर डिज़ाइन एंड डैवलपमैंट इंस्टीट्यूट बिल के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जैसे इस बिल का मकसद रखा गया है --

To establish and declare the Footwear Design and Development Institute as an institution of national importance for the promotion and development of quality and excellence in education, research and training in all disciplines relating to footwear and leather products design and development and for matters connected therewith or incidental thereto.

जैसे इंग्लिश में कहावत है -- Good shoes take you to good places, अच्छा जूता पहनेंगे तो अच्छी जगह जाने का मौका मिलता है या उसी हिसाब से लोगों की सराहना होती है। आप फाइव स्टार होटल में टूटा-फूटा जूता पहनकर जाएंगे तो शायद नहीं जमेगा। जूता आदमी की पर्सनैलिटी सजाता है। उसी के अनुरूप जूते का डिज़ाइन होना चाहिए। जो बिल लाया गया है, यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी 1986 से था। उसमें बहुत सी कठिनाइयां थीं, कभी स्टूडेंट्स को डिग्री मिल रही थी, कभी मान्यता मिल रही थी, कभी नहीं मिल रही थी, कभी वे इंग्नू की तरफ से डिग्री ले रहे थे, अगर इंग्नू ने किसी से नाता तोड़ दिया तो उनकी डिग्री रद्द हो रही थी। बच्चे बहुत बार सरकार से मिले कि हम जो कोर्स कर रहे हैं, उसका बाकायदा रिकगनिशन होना चाहिए। यह बहुत अच्छा कदम है कि उस डिग्री को मान्यता देने के लिए विशेषकर इस बिल को लाया गया है।

इंस्टीट्यूशन कैसे चलेंगे, पहले कैसे चल रहे थे, यह हमें पता नहीं लग रहा है। जो ब्रीफिंग दी गई है, इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा, इसमें वर्णित किया गया है कि एक गवर्निंग काउंसिल रहेगी और इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए मैनेजिंग डायरैक्टर्स होंगे, ऐग्ज़ीक्यूटिव डायरैक्टर्स होंगे। जैसे मंत्री जी ने कहा कि यह इंस्टीट्यूशन नान-प्रॉफिट, सैल्फ फाइनैंसिंग मोड में होगा। अगर हम इस टाइप के इंस्टीट्यूट विदेशों में देखते हैं तो ज्यादातर पब्लिक सैक्टर में नहीं हैं, उन्हें प्राइवेट सैक्टर वाले ही चलाते हैं, क्योंकि सरकारी कम्पनी फुटवियर नहीं बनाती, प्राइवेट वाले ही बनाते हैं। विदेशों में इंस्टीट्यूशन्स भी ज्यादातर प्राइवेट वाले ही चला रहे हैं। सारा गवर्निंग कंट्रोल सरकार द्वारा होगा। इंस्टीट्यूशन कौन बनाएगा, बिल में यह क्लीयर नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि यह सैल्फ फाइनैंसिंग मोड में रहेगा। इंस्टीट्यूशन बनाने के बाद रनिंग कॉस्ट सैल्फ फैइनैंसिंग होगी या बनाने की कॉस्ट भी सैल्फ फाइनैंसिंग होगी, यह क्लीयर नहीं हो रहा है। इसे देखने की जरूरत है।

बिल से यह पता लगता है कि सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देने के लिए है, लेकिन फुटवियर इंडस्ट्री की बैकबोन लेबर फोर्स है, क्योंकि आज भी देखते हैं तो करीब 15 हजार यूनिट्स हैं।

स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही फुटवियर का मेजर प्रोडक्शन कर रही हैं। अगर हम लेबर फोर्स को उसी तरह ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पैदा करेंगे, उनका कोर्स क्या रहेगा, उनका एंट्री लैवल क्या रहेगा। अगर इंटर नैशनल लैवल में जायेंगे, डिजाइनिंग की बात करेंगे, तो फुटवियर में जिन कोर्सेज की हम कल्पना करते हैं या कोर्सेज चल रहे हैं, वे फुटवियर डिजाइन सॉफ्टवेयर, थ्री डी शू डिजाइन सॉफ्टवेयर, क्रिएटिव शू डिजाइन, पैटर्न इंजीनियरिंग, लैदर गुड्स, हील डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, कस्टम फुटवियर, आर्थोपेडिक फुटवियर, मैटीरियल कन्जम्पशन, शू मास्टर कास्टिंग, इक्विपमैंट्स आदि हैं। अब ये सारी चीजें कोर्सेज में आयेंगी या नहीं, इस बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। ये कोर्सेज केंसे होंगे, किस लैवल पर होंगे और कितने होंगे, इनकी विस्तृत जानकारी की भी जरूरत है। इंडिया अभी सैकिंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं लेकिन कंजम्पशन में हम थर्ड लार्जेस्ट हैं। इसका मतलब है कि हम जूते तो बना रहे हैं, लेकिन हर पांव को जूता नहीं मिल रहा है। हर पांव को जूता मिले, उसके लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी तक दो तिहाई लोग सरकार के सब्सिडाइज चावल से ही काम चला रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अभी हमारे 200 करोड़ के आस पास फुटवियर बन रहे है, जो अगले दस सालों में 400 करोड़ होने जा रहे है। सरकार फुटवियर इंस्टीट्यूट को बजट एलाटमैंट दे रही थी, जिसके तहत वर्ष 2015-16 में 109 करोड़ रुपये दिये गये थे। वर्ष 2016-17 में 25 करोड़ रुपये दिये गये, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 1 लाख रुपये ही दे रही है। सरकार इसे किस ढंग से सपोर्ट करेगी, यह भी हमें पता नहीं चल रहा है।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह एजुकेशन की बात है, तो कामर्स मिनिस्ट्री क्यों इस बिल को लेकर आयी है? क्या एचआरडी मिनिस्ट्री या स्किल डेवलपमैंट मिनिस्ट्री इस बिल को नहीं ला सकती थी? वैसे बोलने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि फुटवियर डिजाइन एक आर्ट एंड क्राफ्ट है। ज्यादातर लोग इसे मैन्युली ही बनाते थे, लेकिन अब यह ज्यादातर मशीनों से ही बन रहे हैं। इससे धीरे-धीरे क्राफ्टमैंट्सशिप, आर्टमैंटशिप खत्म हो रही है। यह मास प्रोडक्शन की ओर जा रहा है। हम जितना प्रोडक्शन करते हैं, उसका करीब 90 प्रतिशत यहां कन्जम्पशन हो जाता है। सिर्फ दस परसेंट ही एक्सपोर्ट होता है। उसके बावजूद हाई वैल्यू फुटवियर हम इंटरनैशनल कम्पनीज से इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। क्या उसका मुकाबला करने के लिए उसी स्केल के कोर्सेज होंगे? उसी ढंग की इंडस्ट्रीज हो, तािक इंटरनैशनल कम्पनीज के मुकाबले का प्रोडक्शन भी यहां हो सके।

महोदय, हमें ये चीजें दो तरह से देखने की जरूरत हैं। एक ट्रेडिशनल वे में चल रहा है, जिसे छोटे रमॉल स्केल इंडस्ट्रीज में चला रहे हैं और दूसरा लार्ज इंडस्ट्रीज, मल्टीनैशनल टाइप की आयेंगी, उनके

हिसाब से कोर्सेज और लेबर फोर्स होने की जरूरत है। इसमें थोड़ी चिंतन करने की जरूरत है। यह ठीक है कि एक कोर्स आया है, लेकिन इससे इम्प्लायमैंट कितने लोगों को मिलेगी, यह भी देखना चाहिए। यह सोचने की बात है। हम कोर्स डिजाइन कर देंगे, बच्चे पढ़कर सर्टीफिकेट लेकर जायेंगे, लेकिन कल देखेंगे कि इसमें कोई नौकरी नहीं है। आज के दिन एक-एक सेमेस्टर में 80-90 हजार रुपये का खर्चा हो रहा है। लेकिन जब वे नौकरी करते हैं तो उन्हें महीने में 15-20 हजार रुपये से ज्यादा तन्खाह नहीं मिल रही है। जो इसी कोर्स में ग्रेजुशन कर रहे हैं, उन्हें कोर्स के हिसाब से ही सैलरी मिलनी चाहिए और मार्केट में उसकी ऐवेलेबिलटी होनी चाहिए। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for the opportunity.

The objective of the Bill is to establish Footwear Design and Development Institute as an institute of national importance. It provides for a Governing Council consisting of a Chairman, a Managing Director and 13 other members representing various stakeholders. It empowers the Institute to grant degrees, which was very much needed because there was a huge ambiguity over this.

Sir, I studied in Gundy Engineering College in Madras and next to us was CLRI. A lot of their degrees and diplomas were quite questionable. In 2015, as a part of the Parliamentary Committee on Industries we went to the Guindy Industrial Park area where there was this Footwear Design and Development Institute. The Institute was all in a shambles. Just because 13 Parliamentarians were coming, they just cleaned the cobwebs there and put someone there. I am really glad the Minister brought this Bill. I congratulate her for this. It is high time that such a Bill had been passed.

We had a great legacy of crafts in footwear and leather tanning industry. We used to have vegetable tanning and we made various concoctions of tanning liquor and we have forgotten about all that. At the end of British Raj, the rural economy was in a shambles. Somebody came to do a market survey here and they found that there is no scope for European footwear because nobody wears footwear in India. But taking the very same data, Thomas Tata said, "Nobody wears footwear there; so, we have a 100 per cent market." He came and captured Indian market. That was in 1936. Soon after Independence, the world fell in love with India; they fell in love with Indian products. Indian *kurtas*, *pyjamas* and *Kolhapuri chappals* became very popular in the West. At the Woodstock music festival, legendary performers like Jimy Hendrix and Joan Baez were performing and the trendiest footwear in the United States at that point of time was *Kolhapuri chappals*. While they were wearing *Kolhapuri chappals*, we in India had our own problems post-Independence. While *Kolhapuri chappals* were very trendy there,

we started singing 'mera juta hai Japani'. Somehow, we lost the export opportunity in the early days; opportunities came and went by. The leather industry also had ups and downs. Some of the areas where leather industry is doing extremely well is West Bengal and a little bit in Maharashtra. But in Chennai, you must know that it is not doing well; nationwide, exports have started dropping. So, there is a huge potential to revive this industry and this Bill is very timely.

One of the things is hand-made leather which is an art and a craft. Some of these arts and crafts are very difficult to teach in a degree college or institute. They are best taught through apprenticeship system. I think one of the things we need to focus through this institute is the apprenticeship system. Even today, they make hand-made cowboy boots in a developed country like the United States and the industry is thriving very well and the *mochis* export it to Europe. When I was growing up and we would go to our villages for summer holidays, they used to make *chappals*. Thanks to the two days' holidays and thanks to the introduction of this Bill by the hon. Minister, I went to Vikarabad to find those *mochis*. At the Vikarabad railway station, I found the *mochis*- just two of them. I gave my chappal size and he made the chappals. A lot of Members were talking about Kolhapuri chappals but they themselves were wearing Gucci and Ferragamo shoes. I am wearing those same Vikarabad *chappals* that I got last Sunday. These are totally different from the Vikarabad *chappals* that I saw when I was a child. The *chappals* I am wearning now have a base made of recycled tyre. They look like a modern Bata *chappal* but they are hand-made. These are some of the things we can probably market. Tyre recycling is a problem in the United States. One of the things the institute need to focus is to look for niche market and promoting niche products from India other than kolhapuri chappals.

The other product which is very valuable is the leather tanning. In olden days, they used to make the tanning. Next to the Central Leather Research Institute in Chennai is AC Tech College which is an institute of chemical

technology. Most of the leather in India was chemically processed and the chemical used was chrome. It is the most polluting chemical. In Puducherry, an Indian gentleman married a European lady and they started a company named Hidesign. They discovered the Indian alchemy of the old tanning liquors and tanning chemicals. I was told that one of the concoctions was *amla* powder and *babool* bark. They made Hidesign company worth more than Rs. 300 crore and they are exporting footwears all over Europe. It is not only the leather products but the tanning products, tanning chemicals, and natural tanning too have a potential market.

There are two other reasons why this Bill is so important and why we are so glad that the Minister has brought this Bill before the House. The poorest of the poor are involved in this industry. In Telangana, typically it is either the minorities or the Scheduled Castes who are involved in this industry.

Last week, Shri Anurag Thakur initiated the discussion in this House on Sustainable Development Goals. One of the terms we see in the media is that India is called the Asian enigma. It is a mystery to the world that we are wealthier than so many other countries but still we have stunting and malnutrition. What was quoted is that there is more stunting and shorter child growth in India than in poorer and uneducated Sub-Saharan Africa. So, it is a mystery a lot of people could not solve. One of the reasons for this is open defectaion and not wearing chappals. I think this is extremely important. We need to make sure that it is implemented.

Since there is a lack of time, I will skip through many other points. Many hon. Members have explained about the Indian market and the threat from China and Indonesia. I will come to the last point which is also the most important point. We would like to be on the Indian leather map just like West Bengal, Tamil Nadu and Maharashtra. Telangana under the leadership of KCR has started a mega leather park in Jangaon. We request the hon. Minister to support that. Secondly in my constituency 15 acres of land has been allocated and the institute has been

completed. We request the hon. Minister to inaugurate it soon. The total project cost of our leather park is about Rs. 270 crore of which RS. 165 crore is from the State Government. We request the Union Government to give us Rs. 105 crore for the leather park and I hope the hon. Minister considers this.

I congratulate the Minister because this Bill is very timely and needed. Thank you.

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Thank you very much, hon. Deputy Speaker Sir, for giving me this opportunity to speak on the Footwear Design and Development Institute Bill, 2017. I fully support this Bill on behalf of the Telugu Desam Party.

This Bill proposes the FDDI as a body corporate, unlike the present structure wherein the institute is funded by the Centre for meeting its capital expenditure. The Institute has the power to transfer money from the Institute Fund set up by it to other funds maintained by it. The Institute would consist of a Governing Council with a Chairperson who shall be an eminent academician, scientist, or an industrialist from the leather sector to be nominated by the Central Government. The Central Government has further been vested with the power to remove the Chairperson or other members and to reconstitute the Council. The legislation also lays down the functions of the Governing Council and its constituting members.

First of all, I would like to thank the hon. Minister Shrimati Nirmala Sitharaman for according the sanction for Indian Institute of Foreign Trade and Indian Institute of Packaging in my Kakinada constituency of Andhra Pradesh. This will boost employment generation in my constituency. The FDDI is an institution of national importance. The proposed legislation seeks to facilitate and promote teaching, training, and research in all disciplines relating to design and development of footwear and leather products and to enable FDDI to emerge as a centre of excellence meeting international standards.

India is the third biggest market of footwear and a prominent exporter of footwear and leather goods. Being a highly labour intensive industry, the requirement for trained human resources for leather and footwear sector is immense. The global footwear market is expected to reach \$ 22.2 billion by 2020 from the current level of \$ 198.7 billion. The opportunity cost of not investing in human resources required for this sector in India at this juncture would result in

increased imports, thereby impacting the domestic and exports sector of footwear and leather products.

15.00 hours

Sir, the Footwear Design and Development Institute was established in 1986 with the objective of providing trained human resource and assistance to the sector. FDDI has pan-India presence with campuses at Tamil Nadu, U.P., Haryana, M.P., Rajasthan equipped with state of art academic facilities and infrastructure. New campuses at Hyderabad, Patna, Ankleshwar (Gujarat), Banur (Punjab) and Guna (MP) would also start functioning shortly. Footwear Design and Development Institute is not present in Andhra Pradesh. So, I would like to request the Government, though this august House, to consider setting up this institute of repute in my constituency Kakinada, Andhra Praadesh so as to boost the leather industry and give educational and employment opportunity to many youth of Andhra Pradesh.

Sir, the Bill aims to facilitate and promote teaching, training and research in all disciplines relating to design and development of footwear and leather products, which will enable FDDI to emerge as centre of excellence meeting international standards. Specifically speaking, the Bill will ensure the development and carry out courses leading to graduate and post graduate degrees, doctoral and post-doctoral courses, research in the areas of footwear and leather products design and development and allied fields. The Bill also ensures setting up an international centre for creation and transmission of information with a focus on educational, professional and industrial commitment and which will also conduct skill development programmes and provide technical assistance to artisans, craftsmen, manufacturers, designers and exporters.

The Central Government shall have the power to remove the Chairperson or other members or can reconstitute the Governing Council as well. The Central Government can provide grants to the institute to discharge its functions and for this purpose may require the institute to set up an endowment fund or other funds.

Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill. I hope that this Bill will boost the leather industry and give educational and employment opportunity to the youth.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान की स्थापना से संबंधित एक बहुत महत्त्वपूर्ण बिल इस महान सदन में पेश किया है, जो करोड़ों लोगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी बिल होने जा रहा है।

महोदय, मैं खुद एक चर्मकार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी आज भी 90 वर्ष की आयु में जूती बनाने का काम अपने पैतृक गांव लाड़वा में कर रहे हैं। जब मैं छोटा था, तब मुझे भी थोड़ा-सा यह हुनर सीखने का मौका मिला। इस व्यवसाय में देश की कम से कम आठ-दस करोड़ आबादी, विशेषतः जो दलित वर्ग से संबंध रखती है, को आज इस क्षेत्र में टैक्निकल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान पशुधन के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश है। इसलिए जब पशु अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, तो उसके पश्चात् चमड़े के रूप में हमारे देश में जो रॉ मेटिरियल मिलता है, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता है। चूंकि हमारे यहाँ बेहतरीन किस्म की टैक्नीक नहीं है। हमने गुणवत्ता पर आधारित संस्थान खोले भी, लेकिन आज उनमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसीलिए आज यह बिल आया है। आज सारी दुनिया में 198 बिलियन यू.एस. डॉलर से भी अधिक वैश्विक फुटवियर का बाजार है। सन् 2020 तक इस बाजार के 220 बिलियन यू.एस. डॉलर से भी उधर पहुँचने की संभावना है।

महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आज हमारे देश के सैनिकों को बेहतरीन किस्म की जैकिटों की आवश्यकता है। हमारे देश के सैनिकों को बेहतरीन किस्म की गुणवत्ता पर आधारित जूता चाहिए, तािक वे अक्साई चिन जैसे ग्लेशियर के स्थानों पर शत्रुओं का डटकर मुकाबला कर सकें। उस समय यदि सैनिकों को एक बेहतरीन किस्म का जूता उपलब्ध हो, तो वे देश की रक्षा के लिए और आगे बढ़कर काम कर सकते हैं।

महोदय, हम जानते हैं कि फॉरेन से आए हुए किसी चमड़े के पर्स की कीमत कितनी होती है। फॉरेन की बैल्ट्स 20-30 हजार रुपए की होती हैं। फॉरेन का जूता भी बहुत महंगा आता है। मैं सन् 1987 में हिरयाणा में विधायक था। उस समय जब मुझे वहाँ की शेड्यूल्ड कास्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनने का मौका मिला था, तब मैंने हिरयाणा पुलिस के जवानों के लिए एक बेहतरीन किस्म का जूता बनाने की फैक्ट्री अपने आज के लोकसभा क्षेत्र अंबाला में खुलवाई थी। आज यदि हम इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो चमड़े के क्षेत्र में विश्व के इतने बड़े बाजार में भारत अपना कब्जा कर सकता है। हालांकि, बिल के अंदर एक बेहतरीन किस्म का सेक्रिटेरिएट खड़ा करने का प्रावधान भी किया गया है। मुझे पूरी आशा है कि इस बिल के पास होने के पश्चात जो भी संस्थान खड़ा होगा, वह बेहतरीन किस्म की गुणवत्ता पर आधारित

शिक्षा देकर फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के मामले में हिन्दुस्तान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और हम विश्वस्पर्धा का मुकाबला करते हुए हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी के मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा कर सकेंगे और हम अपने देश से फुटवियर बनाकर विदेशों में निर्यात करने की दृष्टि से सफल होंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मंत्री महोदया को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वे हमारे देश में औद्योगिक और इंटरप्रेन्योर की दृष्टि से एक बेहतरीन बिल लेकर आई हैं, जिससे विशेषकर दिलत समाज में एक खुशी की लहर आएगी क्योंकि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों विज्ञान भवन में दिलत समाज से संबंधित 'डिक्की' को संबोधित किया था। वहाँ दिलत समाज ने आदरणीय प्रधान मंत्री जी से कहा था कि उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें गुणवत्ता पर आधारित इस प्रकार की कौशल कला सिखाई जाए क्योंकि वे नौकरी माँगने वाले नहीं, बिल्क हिन्दुस्तान के लोगों को नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं। इस दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Hon. Deputy Speaker, Sir, first of all, I welcome this Bill. I appreciate the efforts put in by the concerned Minister.

The Footwear (Design and Development) Institute Bill, 2017 is a belated and a long awaited Bill. The problem does not lie with this Government but this was a continued problem. To resolve the issue of awarding degrees to the students and trainees, this Bill is necessary.

सर, इसके बिल के लिए सिर्फ डिपलोमा से डिग्री देना या पोस्ट ग्रैजुएशन या रिसर्च का नहीं है, क्योंकि इस दायरे में बहस हुई कि चमड़ा इंडस्ट्रीज, फुटवियर उद्योग, ऐसेसरीज, फैशन ऐसेसरीज़ और लेदर ऐसेसरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना है। उसे देखने के लिए जब हम कोई भी इंडस्ट्री देखते हैं तो उसके बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज को भी देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज है, यह एक सही कदम है, अच्छा कदम है। मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि हम जो कौशल, टेक्नोलॉजी और हुनर की बात कर रहे हैं तो यह क्षेत्र है। जहां ट्रेडीशनली, हिस्टोरिकली हमारे देश का अपना एक एडवांटेज है। बहुत से ऐसे लोग जो आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से पिछड़े हुए हैं, खासकर दिलत वर्ग है। हमारे देश में बहुत से लोग चमड़े से संबंधित मामले को धर्म, जाति, संस्कार और शास्त्र के आधार पर उसको अलग-थलग करके रखते हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में, this is one of the areas in which we can achieve and which is our strength also. उसके अंदर एक यह है, क्योंकि फैशन, फिल्म, फूट

और फुटवियर ये सभी एफ से संबंधित हैं। मैं समझता हूं कि इसका अन्य कारण फ्यूज़न है। हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी परंपरा में जहां-जहां फ्यूज़न हुआ, अलग-अलग सोच, विचार, समझ, धारणा एवं चेतना एक जगह आकर मिलती हैं, तो उसका उभार होता है। इसिलए पूरे विश्व में इण्डियन फ्यूज़न, इण्डियन फिल्म, म्यूजिक और इसी तरह से आप देखिए जोधपुर की जूती हो, अमृतसर का अपना फुटवियर प्रोडक्ट हो, दक्षिण भारत का हो, चेन्नई, बंगाल, कोलकाता, आगरा और चाहे कानपुर का हो। इन सब का एक सामूहिक फल है कि हमने फुटवियर इंडस्ट्री में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की हुई है, अपने देश में तो ख्याति प्राप्त है ही।

बरसों तक, सिदयों तक बहुत से लोग ऐसे थे कि उनको पैर में चमड़े की जूती पहनना ही मना था या वे उस साधन को जुटा नहीं पाते थे। तब वातावरण या जाित का जो मामला था कि वे लोग वहां के गाँव, सड़क या कचहरी के सामने से गुज़रेंगे तो चप्पल को हाथ में लेना पड़ेगा। वे पैरों में नहीं पहन सकते थे। आज वह स्थिति नहीं है। अब काफी उत्थान हो रहा है। यहां कहा भी गया कि हमारा डॉमेस्टिक मार्केट यदि डेवलप होता है और यदि सब साधन जुटाते हैं तो हम समझते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी मांग हो जाएगी। हम अगर इंटरनल मार्केट को केटर करते हैं तो हम एक्सटर्नल मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। हम पूरे विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री ऐसा है, जहां हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब हमें वहां से आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। वे तमाम चीज़े, तमाम बातें जो हमें पीछे हटाएंगी, उससे हमे तर्क करना चाहिए और इसी के विपरीत हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा, हमें उसको बल देना चाहिए।

मैं समझता हूं कि जब यह योजना सरकारी तौर पर शुरु हुई और फुटवियर ट्रेनिंग शुरु हुई तो डिग्री की जगह सिटिंफिकेट डिप्लोमा मिलने लगा, लेकिन बाद में मांग बढ़ी। आप हर सरकारी क्षेत्र में देखिए। जब हमारी फूड इंडस्ट्री व कैटरिंग इंडस्ट्री थी, तब मैं टूरिंग, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। हम लोगों ने रिकमेंड किया कि आप डिप्लोमा से बढ़ाकर डिग्री दीजिए, प्राइवेट कॉलेजेज़ दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते। एक ही सिलेबस और एक ही केरीकुलम पकड़ा हुआ था, बाद में पिछली सदी के अंत में उसको सुधारा गया। यह अजीब हालत है कि सरकार डिप्लोमा दे रही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज डिग्री दे रहे हैं। सरकारी प्रतिष्ठान की बात करें तो क्यों मेवाड़ विश्वविद्यालय से नाता जोड़ा है। आपके लिए यह पहले से ही है। वह क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। एक प्राइवेट विश्वविद्यालय से जो डिग्री नहीं दे सकते हैं, इस मामले में नहीं, मैं समझता हूं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को देखना चाहिए, यू.जी.सी. को देखना चाहिए। इस देश में ऐसी बहुत सी डिग्रियां दी जाती हैं। जो डिग्री के कारखाने बने हुए हैं। वे टैक्नोलोजी की डिग्री देते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की डिग्री देते हैं तथा इसी तरह से

मैनेजमैन्ट की डिग्री देते हैं। इस तरह से इसमें स्टूडेन्ट्स, ट्रेनीज को जो परेशानी हुई, उसे मद्देनजर रखते हुए, मैं समझता हूं कि ह्यूमैन रिसोर्स डैवलपमैन्ट करना भी एक बड़ा काम है और आप यह कर रहे हैं। लेकिन यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. में क्या होता है, बीच में यह परेशानी हो जाती है। मुझे याद है, जब मैं बंगाल में टैक्निकल एजूकेशन मिनिस्टर था तो आई.टी. सैक्टर आगे बढ़ रहा था, हम कालेज करना चाह रहे हैं, लेकिन डिग्री नहीं दे सकते। उसके लिए उसे टैक्नोलोजी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी। सबका अपना-अपना विधान होता है और एक जमींदारी सोच होती है कि हमारे अख्तियार के बाहर वे क्यों जायेंगे। मैं अभी डिग्री की प्राब्लम्स बता रहा हूं।

महोदय, मैं समझता हूं कि इस इंस्टीट्यूट के आउटरीच प्रोग्राम और भी बढ़ाना चाहिए। चूंकि हाई एंड की जो ट्रेनिंग होगी, डिग्री, डिप्लोमा और रिसर्च होगी, वहां अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स भी आयेंगे, जो खानदानी तौर पर इस पेशे से जुड़े नहीं हैं, ऐसे लोग भी आयेंगे। क्योंकि अगर उसमें इनकम जनरेट होगी। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलोजी है, हमें याद है इसी सदन में श्री ज्योतिर्मय बसू ने 1970 के दशक की शुरूआत में यह कहा था कि जो दर्जी है, उसके बच्चे कहां जायेंगे। वे पढ़-लिखकर आते हैं, लेकिन उस काम में नहीं जाते हैं। उस वक्त उस सरकार ने फैसला किया कि दर्जी के बच्चों को फैशन डिजाइनर बनाया जा सकता है, इसलिए फैशन टैक्नोलोजी इंस्टीट्यूट होगा। मैं उसको मानता हूं, सराहता हूं, वे बहुत डैवलप कर गये और अभी वर्ल्ड क्लास के फैशन डिजाइनर्स वहां से निकल रहे हैं। लेकिन उस दर्जी का क्या होगा, जिसके लिए वह बना था। हम जिस नीयत से बनाते हैं, जब वह बन जाता है तो फिर जो ऊपर से हावी होते हैं, उनका दखल हो जाता है। मैं समझता हूं कि आउट रीच प्रोग्राम पोलिटैक्निक के जिरये हो तथा जो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना है, उसके साथ टाई-अप करके पंचायती सिस्टम से टाई-अप करके तमाम क्षेत्र में जहां ये खानदानी पेशेवर लोग चमड़े के काम के साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि चमड़े के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें गाली बनाकर किनारे पर रख दिया गया था, उन्हें इसमें जोड़ना पड़ेगा।

सर, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, यह कॉमर्स इंडस्ट्री की बात है, सिर्फ ह्यूमैन रिसोर्स डैवलपमैन्ट से नहीं होगा, बेसिक रॉ मैटीरियल हाइड एंड स्किन है और हाइड एंड स्किन भी चूंकि जो हमारे कैटल्स हैं, जो शीप्स हैं, जो गोट्स हैं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास हाइड एंड स्किन हम दे रहे हैं और आगे भी दे सकते हैं। मैं बंगाल से आता हूं, हमारे क्षेत्र में आप जानते हैं कि ब्लैक बंगाल गोट मीट और उसके चमड़े के लिए बहुत फेमस है, यह वर्ल्ड क्लास है। लेकिन हमारे क्षेत्र में पांजीपाड़ा में एशिया का बिगैस्ट चमड़े का मार्केट है, लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं होता। वह सीधा वहां से चेन्नई, आगरा, कोलकाता चला जाता है और भूटान, नेपाल और बंगलादेश का बार्डर भी है और पूरे एशिया से वह रॉ मैटिरियल हम रिसोर्स कर सकते हैं तो आपकी किम्प्रिहेंसिव स्कीम में लैदर डैवलपमैन्ट के लिए वहां चाहे टेनरी हो, इंस्टीट्यूट हो,

उसमें वैल्यू एडिड प्रोडक्ट तैयार हो। मैं समझता हूं कि पांजीपाड़ा में वर्षों से यह मांग है, वहां आपको जमीन मिल जायेगी, आपको वहां एक इंस्टीट्यूट और एक तरह का काम्पलैक्स बनाना पड़ेगा।

इसी तरह से कई और योजनाएं और क्षेत्र हैं, लेकिन आज जिस तरह से गोवंश के पालन के नाम पर राजनीतिक कारणों से जो लोग कैटल बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें विलेन बनाया जा रहा है। कल जयपुर में, हमारे यहां सांसद है, वह कहेंगे, वह जरसी गाय लेकर जा रहा था, उसका नाम मुसलमान है, उसकी हत्या हो गई। वह दूध के लिए ले जा रहे थे। अगर पूरे देश में ऐसा वातावरण बनेगा, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि कुछ लोगों ने ऐसा कारोबार बनाया है कि वे गुंडागर्दी कर रहे हैं और धर्म की आस्था को उसके साथ जोड़ रहे हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है कि हम अगर इस देश में चमड़े के उत्पादन को रोक देंगे तो लाखों लोग सिर्फ बेरोजगार ही नहीं होंगे, बल्कि पूरे विश्व में हमारी जो चमड़े की सामग्री, लैदर आइटम्स के साधन हैं,...(व्यवधान) आप सरकार चला रहे हो, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारी अर्थ नीति किसी और तरफ चलेगी और राजनीति किसी और तरफ चलेगी, इस तरह से नहीं हो सकता। आप मेरी बात को सुनो और समझो...(व्यवधान) मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय की जो मंशा है, वह ऐसे ...* की वजह से बेकार हो जायेगी।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Any unparliamentary word should be deleted.

श्री मोहम्मद सलीम: इसलिए ह्यूमैन रिसोर्स को भी डैवलप करना पड़ेगा, लैदर इंडस्ट्री को भी डैवलप करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो इस बिजनेस में रुकावट पैदा करते हैं, ये देश के शत्रु हैं।...(व्यवधान) यह मामला धर्म का नहीं है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Unparliamentary words will be removed.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: That will be expunged. Unparliamentary words will be removed.

... (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM: What I intend to say is this. This is our strength. Do not convert it into our weakness. Forward linkage of this growth in industry and development of human resources are as necessary as the production of leather, hides and skins. These people are taking us backward. These people are taking

_

^{*} Not recorded.

this country towards backwardness. So, I think, for advancement, these people must be contained. Thank you. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Already, I have given the ruling that unparliamentary words will be expunged and they will not be recorded.

Shri Sher Singh Gubaya, be brief. We have to pass this Bill before 4 p.m. as the House will take up discussion under Rule 193 at 4 p.m. So, be very brief.

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): Hon. Deputy Speaker Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on an important bill – "The Footwear Design and Development Institute Bill, 2017".

HON.DEPUTY SPEAKER: Please be brief. We have to pass this bill before 4 p.m. So, be brief.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA: Sir, surely, this bill will go a long way in providing relief to the footwear industry. Our young men and women will go and study in this institute and learn new techniques. Diplomas and degrees will be provided and research work in the relevant field will be done by the students. It will give a fillip to this sector and provide boost to the footwear industry.

Sir, our country has made rapid strides in various sectors. The footwear industry caters to the rich, the middle class as well as ordinary citizens. I do not want to dwell at length on this subject as erstwhile speakers have already discussed threadbare most of the issues.

Hon. Deputy Speaker Sir, our past experience shows that thousands of students, who have taken diplomas and degrees in technical education, find themselves unemployed. Prime Minister Modiji has taken up various projects under "Skill Development".

I urge upon the Government to make these schemes employment-oriented. The degree and diplomas holders should not be left in the lurch. They must be bailed out and provided jobs by the Central Government.

Sir, large industrial houses in this field are earning profits. Employment is also being provided to youth by these industries. However, the rural artisans and leather-workers do manual work. Their talent must be saved and relief provided to them. I hail from Fazilka area and the footwear of this region is very famous in Punjab. Aged people and young men work in this cottage industry. Embroidery work in leather is the hallmark of Fazilka footwear. This must be saved. Sir, if the Government ensures that the makers of Fazilka footwear get remunerative

_

^{*} English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

prices for their product, it will help the leather-workers and benefit the local footwear industry. The unemployed will get employment too.

Sir, ours is a large country. Opening up one institute of this kind will not serve the purpose. It will be like a drop in the ocean. The need of the hour is to set up several such institutes at the district level in states so that a large number of students gain out of it. Well-trained students can set-up their our small industries and provide further employment to the needy. While they are studying, the students should be financially supported with stipends and scholarships.

Sir, I thank the Hon. Minister and the Central Government for this landmark bill and whole-heartedly support this bill that will benefit the footwear industry. Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदय, आपने फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017 पर बोलने की अनुमित दी है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्याद। जो फुटवियर की बात है, इसका इस्तेमाल आदिकाल से हो रहा है और आज तो हम लोग फैशन, डिजाइन और एयर कंडीशन का जूता पहनते हैं। जूता एयर कंडीशन में रहता है और हम लोग धूप में घूमकर एयर कंडीशन में जूता खरीदने के लिए जाते हैं यानी उसकी इज्जत इन्सान से ज्यादा है। इस पर हमें अपनी राय रखनी है। इन्सान और जूते की खरीददारी और डिजाइन, इसे हम जाकर के अपनी रोटी से जोड़ते हैं, अपने रोजगार से जोड़ते हैं, अपने हुनर से जोड़ते हैं, अपने कौशल से जोड़ते हैं कि कैसे हम इसको विकसित करें और बेहतर बनाने का काम करें।

माननीया मंत्री जी ने उसके लिए एक बेहतर कौशल संस्थान, उसकी डिग्री, डिप्लोमा के लिए भी चर्चा की है। यह अच्छी बात है। जो जूते का व्यापार करते हैं या जूता बनाते हैं, अच्छे से अच्छा जूता बनाते हैं, उनको भी प्रमाण-पत्र मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, यह हर कोई चाहेगा। आज इसीलिए हमने कहा था कि पुराने लोग गाँव में अपने जूते में अंडी का तेल डालते थे। जब उन्हें अपने कुटुम्ब के यहाँ जाना होता था तब वे जूता पहनते थे। आज तो एक से एक डिजाइन का जूता बन रहा है, उस समय भी बनता था और कुशल मानव को हम बेहतर फुटवियर देने का काम करेंगे। हमारा बाजार दुनिया में तीसरे नम्बर पर है। हम जरूर चाहेंगे कि बिहार में एक फुटवियर डिजाइन का संस्थान खुले। इसके साथ-साथ इससे रोजगार के अवसर बनने चाहिए। इसके लिए बैंक से कर्जा मिलना चाहिए। विद्यार्थियों को इसके प्रशिक्षण के लिए कम रेट में संसाधन मिलने चाहिए। इसकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं उन बातों की चर्चा करना चाहता हूँ कि इन्सान और इन्सान में दूरी नहीं होनी चाहिए। इन्सान और इन्सान में भेद नहीं होना चाहिए। हम कोई रोजगार करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, हम कोई भी रोजगार या व्यापार कर सकते हैं। हम श्रम शक्ति लगाते हैं। अब तो थोड़ा-थोड़ा बदलाव आया है। लेकिन, चमड़े के व्यापार करने वाले को पहले बहुत अपमानित किया जाता था। यही सामाजिक ढांचा है। जब-जब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं तो कई लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है कि हम आरक्षण की बात क्यों करते हैं? वे कहते हैं कि क्या सब आरक्षण इन्हीं लोगों को दे दिए जाएं, क्या दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े को सभी आरक्षण दे दिए जाएं? जो पीछे छूटा हुआ है, जो बैकबेंचर हैं, उन्हें हम राष्ट्र की मुख्यधारा में लाएंगे। जातियां हैं, यह सच है। जातियां धर्म आधारित बनती हैं। हम तो हिन्दू भी बन जाते हैं, लेकिन जब हम हिन्दू बनते हैं तो हमारे लिए एक बैरियर खड़ा हो जाता है कि यह जय प्रकाश नारायण यादव है। यहां के बाद बैरियर लग गया। यह बैरियर कौन तोड़ेगा? इसके बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हर आदमी इन्सान है, हर आदमी मानव है और धर्म और आस्था के नाम पर कोई भी उसे ब्लैकमेल न करे। पर, आज उसे ब्लैकमेल किया जाता है। दलितों को मंदिरों में घुसाइए। अगर देश बनाना है तो देश में दलित भाइयों को मंदिरों में पुरोहित बनाइए, पंडा बनाइए। यह देश बनाने की बात है। लेकिन, इसमें भी लोगों को भीतर से चुलबुली लगती है कि अरे, बाप रे बाप, ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं! जब इसका वक्त आएगा तो हम लोग बोलने का काम करेंगे।

महोदय, आज गरीब सहमा हुआ है। राष्ट्र निर्माण करना है। इसीलिए, आज जो कुछ हमारे सलीम साहब ने कहा, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन, हम इतना जरूर कहेंगे कि नफरत की आग नहीं फैलनी चाहिए। हिन्दुस्तान बनाना है तो हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई, आपस में भाई-भाई। यह मेल मोहब्बत से बनेगा।

यही बात कह कर यह जो बिल लाया गया है, हम उसका समर्थन करते हैं।

श्री कोशलेन्द्र कुमार (नालंदा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 'फुटवियर डिज़ाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017' पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का यह एक सकारात्मक कदम है। इसमें फुटवियर डिज़ाइन और विकास संस्थान को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है। यह देश का महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है, जिसका मुख्य कैंपस नोएडा में है। इसकी शाखाएं फुरसतगंज, रायबरेली, चेन्नई, कोलकाता, रोहतक, छिंदवाड़ा एवं जोधपुर में हैं। िकन्तु, आज की मांग के अनुसार इस संस्थान की कम से कम दस और शाखाएं खोलनी चाहिए। माननीय मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा िक जो दस शाखाएं खोलने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक शाखा बिहार में भी खोली जानी चाहिए, तभी आप कुशल कारीगरों को तैयार कर सकते हैं। इस क्षेत्र में विश्वव्यापी बढ़ोतरी हो रही है और आज कुशल कारीगरों की जरूरत है। फुटवियर उद्योग में दिनों-दिन व्यापार बढ़ रहा है। इससे देश का निर्यात भी बढ़ेगा, जो आज काफी कम है। िकन्तु, आशंका यह है कि जिस प्रकार सरकार बूचड़खानों को बंद करने की नीति अपना रही है, उससे चमड़ा उद्योग पर संकट के बादल छाने लगेंगे। अपने देश में चमड़ा उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसमें खासकर, दिलत और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काफी संख्या में रोज़गार मिला हुआ है। अगर सरकार ने अपने तरीके में बदलाव नहीं किया तो इसका खामियाज़ा यह होगा कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी।

महोदय, यह उद्योग काफी प्रदूषण वाला क्षेत्र है। अतः इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस उद्योग में अधिकतर छोटे और मंझोले कारोबारी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। अगर सरकार एक समूह बनाकर आगरा, कानपुर आदि शहरों में चमझा उद्योग को बढ़ावा देने का काम करती है तो यह क्षेत्र काफी फल-फूल सकता है। अधिक रोज़गार के साथ-साथ इससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा और ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की व्यवस्था भी करनी होगी। इससे पर्यावरण की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। इस उद्योग में अपने देश में अभी भी परंपरागत मशीनों एवं हाथों का इस्तेमाल हो रहा है। आज उच्च तकनीक की दुनिया है। सरकार छोटे उद्योग को अधिक आर्थिक मदद दे कर उसे नई-नई तकनीक के मशीनों का प्रावधान करेगी, तो देश को काफी लाभ मिलेगा। हम दूसरे देशों में निर्यात तभी अधिक कर सकते हैं, जब हमारी क्वालिटी भी विश्व स्तर की होगी। हमारे बच्चे एफ.डी.डी.आई. से पढ़ कर विदेशों में नौकरी पा रहे हैं। यहां के बच्चे अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, चीन तथा सिंगापुर आदि कई देशों में जा रहे हैं। सरकार का यह साकारात्मक

कदम स्वागत योग्य है। इसके साथ ही चीन से हो रहे आयात पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। सरकार का यह अच्छा कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to support the Bill under the nomenclature of the Footwear Design and Development Institute.

This Bill is intending to declare the Footwear Design and Development Institute as an Institution of national importance; establish a governing council and other authorities of the Institute; and empower the Institute to grant degrees, diplomas, certificates or any other qualification to students of the Institutes. It entails that the Institute will enjoy the autonomy and will be eligible of awarding degrees to students.

It is an appropriate legislation that needs to be brought about and the hon. Minister has already brought this legislation. What I would like to say is that between saying and doing, many a pair of shoes is worn out. It is because the Minister here, in the Statement of Objects and Reasons, stated that the opportunity cost of not investing in human resources required for this sector in India at this juncture would result in increased imports, thereby impacting the domestic and exports sector of footwear and leather products. Here, I would like to draw the attention of the hon. Minister – hon. Minister, please listen – to the expenditure Mr. Jaitley and his team have allocated only Rs.0.01 crore to the Footwear Design and Development Institute, compared with Rs.109.99 crore in 2015-16 and Rs. 25 crore in 2016-17. The institute provides skilled human resources and technology development to the leather and footwear industry. The Indian leather development programme (ILDP) gets a higher allotment. But then the ILDP focuses on improving the raw material base for leather units and the Survey actually shows non-leather footwear has achieved higher exports than leather footwear. That means, your Finance Minister is parsimonious towards you while allocating the funds. On the one hand you are talking about the opportunity

cost but on the other hand your Finance Minister has been restraining the supply of fund in this area.

I would like to draw the attention of the hon. Minister towards two or three points because I have a severe time constraints. Already this Institute has been mired into controversy. I do not want to attribute on any Government whether it is true or not. The fact is that the Institute now has been marred by a great controversy. You have told in the Rajya Sabha that an estimated 3,609 students, who are still pursuing the courses or like to go for job hunting, are uncertain about their degree status. What is the present status of those deprived students? What effective measures are you going to take to regularize those students so as to get their degrees?

Madam Minister, I would also like to draw your attention to issues like poor quality of training material; no money for factory visits; and irregularities in admissions and placements. These are some charges that FDDI students have levelled against the authorities. The Footware Design and Development Institute was supposed to have been made the centre of excellence but instead of strengthening it with the latest market, industrial studies and research and development, you have converted it into mere money making or money minting ordinary college. Do you think that with the current situation you stand a chance for acquiring 'institute of national importance' status that you are boasting of and are misguiding us? It is not alleged by me but the students of FDDI are alleging it in such a way. Even they have alleged that fees by the FDDI management were charged irrationally. In the years 2000 to 2005, the average placed salary of the student was Rs. 15,000 a month and the fees of the institute was Rs. 15,000 to Rs. 18,000 per semester, whereas in 2015, after 10 years, the average salary of the students is Rs. 10,000 a month and the fees is Rs. 80,000 to Rs. 95,000 per semester. The average salaries, instead of increasing, have gone down. Naturally, we are all concerned whether your good intention will be diluted in the implementation stage because you know that the implementation partis the most

imperative part of this legislation. "A lie can travel half way around the world while the truth is putting on its shoes."

Madam, I would like to request you that you should ensure supply of raw hide and skin to the industry because nowadays there has been a great constraint of skin and hide supply to the industry because of some bigots in some areas where we are observing competitive fundamentalism. Someone is saying that Gujarat will be turned into a vegetarian State. Someone is saying another thing. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Hariom Singh Rathore.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: But, the leather industry could not be run by vegetarians concept; we need raw hide, skin which could be supplied from butchery slaughter houses. ... (*Interruptions*) I would request you to set up one leather-related Industrial Development Board.

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, 2017 विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से यह चर्चा करना चाहूंगा कि लेदर इंडस्ट्री भारत की एक पौराणिक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रही है और पिछला इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में, विभिन्न जगहों पर इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में यह व्यवसाय कुछ जातियों के अंदर ही सीमित रहा। उन जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में देखा जाता था, जो कि हमारे इतिहास का एक डार्कर साइड है। उसकी चर्चा बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात में कही।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस अंधकारमयी इतिहास में जो उज्ज्वल किरणें थीं, उनकी भी चर्चा हमारे बीच में होनी चाहिए, तािक समाज में एक सकारात्मक सोच बन सके। इस काम में संलग्न जिन जाितयों को हम हेय दृष्टि से या नीची जाितयों के रूप में देखते हैं, उन्हीं जाितयों का इतिहास राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के सामने उपस्थित हुआ, जहां भक्त शिरोमणि मीराबाई ने अपने गुरु के रूप में रविदास को स्वीकार किया। अपने आध्यात्मिक उन्नित का सारा श्रेय उस नीची जाित के रविदास को दिया। यह बताता है कि वहां पर उज्ज्वल पक्ष भी था और इसकी भी कहीं न कहीं चर्चा जरूर हमारे बीच में होनी चािहए।

मान्यवर, फुटवियर डिजाइनिंग विकास संस्थान का संकल्प लेकर निश्चित रूप से हमारी मंत्री महोदया एक ऐसे कदम की ओर अग्रसर हुई हैं, जिसे आज के वक्त की आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। भारत फुटवियर के संदर्भ में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और इतने बड़े बाजार को पौराणिक तरीके से अगर हम आज के कंपटीटिव मार्केट में खड़ा करना चाहेंगे, तो यह हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इस चीज को सरलता से और टैक्नीकली आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमने निर्णय लिया है कि एक ऐसे संस्थान की स्थापना हो जो टैक्नीकली लोगों को साउंड बनाए।

आज की मॉडर्न टैक्नीक के आधार पर लैदर से बनने वाली सारी वस्तुओं का निर्माण करे और वर्ल्ड कम्पीटिशन में अपने आप को स्टैंड रख सके। विश्व के अंदर भारत की जो स्थिति है, उसमें 198.7 बिलियन यूएस डालर की मार्किट भारत में होती है। अगर हम वर्ष 2020 का आंकड़ा अनुमान के रूप में देखें, तो इस व्यवसाय के 220.2 बिलियन डालर तक पहुंचने की संभावना है। अगर हमें इस वर्ल्ड कम्पीटिशन में स्टैंड करना है और हमारी चीज को दुनिया का सामने अच्छे रूप में प्रस्तुत करना है तो ऐसी संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता होगी जहां हमारे बच्चे अपने आप को नई टैक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षित कर सकें।

पूर्व में कुछ जातियों के बीच जो व्यवसाय था, अब जातियों का वह बंधन टूट चुका है। आज उसे उद्योग के रूप में लेकर शिक्षित लोग आगे बढ़ाएंगे, तो हम अपने आपको वर्ल्ड कम्पीटिशन में खड़ा कर पाएंगे। पूर्व में हमारे जितने विद्यार्थी थे, उनका भविष्य अंधकारमय था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी डिग्री और व्यवस्था नहीं थी। जब इस चीज को डिप्लोमा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, तो विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में एक संशय पैदा हुआ। उनके मन में इच्छा प्राप्त हुई कि डिप्लोमा एक बिजनस न होकर पीजी डिग्री और यूजी डिग्री के रूप में विद्यार्थियों के हाथ में आए। उस माध्यम से ट्रेंड विद्यार्थी जब कम्पीटिशन और बाजार में आए, तो उसे पता लगे कि वह एक डिग्री होल्डर है। जैसे पूर्व में कई वक्ताओं ने कहा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के माध्यम से सरकार ने एक एमओयू किया, लेकिन एमओयू करने के बाद भी यूजीसी ने उसे मान्यता नहीं दी और पुन: उन सभी विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में चला गया।...(व्यवधान)

आज इस प्रस्ताव के माध्यम से हमें लगता है कि सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए जिससे टैक्नीकल स्टडी में जो विद्यार्थी आने वाले हैं, उनका भविष्य सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे। ऐसी स्थिति का निर्माण करने के लिए एक संस्थान का प्रस्ताव रखा गया है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इस संस्थान के माध्यम से प्रधान मंत्री जी का स्किल डैवलपमेंट का काम, इम्प्लॉयमेंट का काम और वर्ल्ड लैवल पर कम्पीटिशन में स्टैंड करने का काम हम पूरा कर पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, it is a very good day on which we will be passing this Bill. Today is the birthday of Babu Jagjivan Ram who was the leader of the harijan community known by ... * who were engaged in shoe making. I pay my respect to him. I support the Bill with minor amendments which is brought by the Minister, namely, the Footwear Design and Development Institute Bill, 2017. It is to develop the excellence in footwear and leather products design. It will be very desirable if this becomes a national institute with 12 campuses and at par with the IITs, IIMs and IISERs. So, this will give the profession much respectability. It has been mentioned that the leather market will be 220 billion in the world by 2020. But, may I tell the Minister who must be aware that today, none of Indian brands are global. When you look at footwear, nike, lotto, adidas they are controlling the international market. If you look at leather accessories, gucci, loui vuitton - they are controlling the market. There are Indian brands. Bata is there. It has become very small. Woodland and mochi have no presence in the global market. We must improve the quality of our footwear to really compete globally. We must also give encouragement to our local brands like Kolhapuri and make them an international brand along with patenting the name, Kolhapuri.

Sir, West Bengal is a big centre for leather industry. Now, as you know the raw leather hide is first dried. Then, it is treated with chromium chemicals which are very heavy metals. The problem with these is that they are very polluting. In Kolkata, we had the leather industry in the heart of Kolkata. It has now been shifted to Bantala and we have built a common effluent treatment plant which is most essential to drive out the heavy metals from the situation.

Now, our Kolkata Leather Complex is doing well and the industry has developed very well. One of the campuses of the Institute of Footwear is situated in the Leather Complex at Kolkata. I request the hon. Minister to give it a special attention.

* Not recorded

As I said, I support this Bill. As I said, I also support the demand made by Shiv Sena for making the hon. Minister a full-fledged Cabinet Minister.... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: But, Sir, I have only one question to raise. What is the policy of the Government towards procuring hide and skin of animals because the best leather is obtained from the hide of cow or the calf? Calf leather is known as the best one for this purpose.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

Smt. Anju Bala.

PROF. SAUGATA ROY: I am concluding in a minute. ... (*Interruptions*) Sir, as you know, cow slaughter is banned except in West Bengal, Kerala and the Northeastern States ... (*Interruptions*) My question is, if the ban continues, where will we get the leather from? ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Smt. Anju Bala, please continue your speech.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक लेकर आयी हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि वे इतनी अच्छी सोच लेकर यह बिल लेकर आयी हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए दो पक्तियां कहकर अपनी बात शुरू करना चाहूंगी --

कि घोर निराशा, तिमिर घिरा है, विश्वासों के दीप जलाओ, सब कुछ टूटे-टूट गिरे, पर मत अपना विश्वास गिराओ, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है, कार्य हेत् यदि कमर बांध लें, तो सब संभव हो सकता है।

हम सबको एक साथ इसमें आना चाहिए। मैं किसी की बात नहीं दोहराना नहीं चाहती। मेरा फुटवियर से बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि हमारी इसकी एक शॉप भी है। इस सदन में जब मेरी पहली स्पीच थी, तब मैं इस संबंध में बात कर चुकी हूं कि मेरे पापा ने जब एक छोटा सा शोरूम खोला था, तो उस पर नाम लिखा था -रविंद्र नाथ एंड डॉटर्स। वह दुकान फुटवियर की थी।

मैं वर्ष 2004 की बात कर रही हूं। उस समय मैं कालेज की स्टूडेंट थी। उस समय हम डिजाइन और इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इस संबंध में मेरे मन में यह बात आती थी।

आज जब मैं यहां बैठी, तो भारती बेन बोल रही थी। उसी समय मैंने सोचा कि मैं भी अपनी बातें यहां जरूर रखूं। भारती बेन ने आज अपनी बहुत अच्छी स्पीच दी है।

मैं वर्ष 2004 में पापा के साथ थी। जब बेटे नहीं थे, तो हमें ही पापा के साथ बिजनेस में हाथ बंटाना पड़ा। हमें लुधियाना, चंडीगढ़ सामान लेने के लिए जाना पड़ता था। पापा हमें इसलिए ले जाते थे, क्योंकि हमें पता है कि लड़कियों को कैसा डिजाइन पसंद आयेगा। वह डिजाइन पसंद करने के लिए हमें जरूर लेकर जाते थे। हम खुद भी सामान लेने के लिए जाया करते थे। जब कभी पापा कहीं गये होते थे तो हम दुकान पर भी बैठते थे। मुझे इस बात को कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती, बल्कि खुशी होती है कि हम पापा की बेटियां हैं। अगर हम जूते की दुकान चलाते हैं तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं है।

मैं इस बिल के समर्थन में इसलिए खड़ी हुईं कि आप इतनी बड़ी बात को आगे लेकर जा रही हैं और छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट्स को एक बड़ा रूप देने जा रही हैं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे लोक सभा मिश्रिख, कानपुर जो एक बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहां भी आप एक इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में सोचें, तािक वह प्रदेश भी आगे बढ़ें। हम इसमें एक समाज को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। बिल्क हमारे प्रधान मंत्री देश के वे प्रधान मंत्री हैं जो किसी जात-पात में भेद नहीं करते हैं। उन्होंने जब झाड़ू पकड़ा, स्वच्छता अभियान चलाया, तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं प्रधान मंत्री हूं, बिल्क उन्होंने स्वच्छता अभियान इसिलए चलाया, तािक हिन्दुस्तान दुनिया में नम्बर एक पर आये। सबने हर वर्ग ने झाड़ू पकड़ा। आज हम यह बिल लेकर आये हैं, जो किसी एक जात के लिए नहीं है। पहले यह सिर्फ एक जात पर ही आधारित था। रैदास जी चमड़े का काम करते थे। वे उस समय कैसे चमड़े का जूता बनाते थे, कैसे जात-पात का दायरा था? उस जात-पात के दायरे से आज समाज ऊपर उठ चुका है। आज हम फुटवियर को लेकर चमड़े की बात कर रहे हैं, तो आज हम उससे ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी की यह सोच है कि युवाओं को हमें एक नये स्तर पर ले जाना है। यह भी एक बहुत अच्छा काम है। युवा इस इंस्टीट्यूट में ज्यादा से ज्यादा आयें और आगे बढ़ें। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हए, इसका समर्थन करती हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहंगी:

"जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीं पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए।"

जय हिन्द। जय भारत।

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Hon. Deputy Speaker, Sir, first of all, I would like to welcome and support this important Bill for the promotion and development of FDDI. This institute should be at par with IITs and IIMs with specialised technology on footwear products. Like the IITs and IIMs, from the current 12 campuses, this is my humble request, one campus each should be established in all States.

I have been personally trying to get one such institute established at Kozhikode, Kerala because Kozhikode has the largest footwear industry in the state and an institute of this repute will add to the technological advancement of the industry. The industry here employs over 15,000 employees, earning over Rs. 1,500 crore by exporting beautiful products. I wish to bring to the notice of the hon. Minister that with advanced technology and research available, the local industry can be benefited with intense interaction between the industry and the institute.

Sir, the FDDI authorities have had several interactions with the Government of Kerala on various occasions and the team from FDDI had also inspected suitable available land sites for setting up an institute in Calicut. The Government of Kerala has also agreed to provide the required 20 acres of land in Knowledge Park at Calicut, which is around 10 minutes drive from the Calicut Airport.

I would humbly submit to the hon. Minister that with the enactment of this Bill, the Government should simultaneously take measures to establish at least one campus in each State immediately.

Sir, I would also like to make some suggestions on this Bill. Below clause 4(3)(h), it may be added that a representative from the footwear industry from within the State, where the campus is established, should also be member who shall be nominated by the State Government.

It may be added below clause 13 (g) that a Member of Parliament from within the State of the campus, nominated or elected by the House shall be on the Senate

It may be added below clause 16(1) that the Managing Director shall also be the Principal of the Institute who shall be an eminent person from the industry and having a teaching experience of over 15 years.

In clause 17 (1), it is mentioned that the Secretary of the Institute shall be appointed by the Central Government for a tenure of five years. It should be substituted with 'three years'. This will give more opportunity for changes, if required. Moreover, the Managing Director is recommended to have five years term.

Clause 18 is relating to appointment of an Executive Director. This clause may be deleted as the job can be handled by the Managing Director-cum-Principal. The creation of this post will only double the lengthy process of administration and multiply it with an additional power centre.

Clause 28(a) speaks about admission of students. However, it is silent on the mode of admission. Therefore, it should clearly indicate that the students would be admitted on all India basis through a Common Entrance Examination as in the case of IITs and IIMs.

Clause 30(2) mentions that the decision of the Tribunal cannot be challenged. This needs to be amended as this view is arbitrary. The aggrieved should have to right to approach a Civil Court at least at the level of the High Court, if not below, as it violates our Fundamental Rights.

While concluding, I wish to say that I support the bill with the request that one institute should be established at Kozhikode for which too much of spade work has been carried out both by the Central Government and the State Government.

HON. DEPUTY SPEAKER: We have to take up Discussion under Rule 193 at 4.00 p.m. If the House agrees, we can first finish this Bill and then, take it up.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Yes, Sir.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

PROF. SAUGATA ROY: Sir, let the Minister reply. We would like to know where the institute will get hide and skin from.

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, it will be taken up after the reply.

Shri Rahul Shewale.

SHRI ANANTHKUMAR: We can take up the discussion under Rule 193 after consideration and passing of this Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

The next speaker is Shri Rahul Shewale.

16.00 hours

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फुटवियर डिजाइन और डेवलपमेंट अधिनियम, 2017 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

फुटिवयर और लेदर सैक्टर भारत में बहुत पुराने समय से कायम है और समय के साथ-साथ इसका समुचित विकास भी हुआ है। भारत के लेदर का सामान और फुटिवयर एक्सपोर्ट करने में चीन और वियतनाम के बाद तीसरा स्थान है। चूंकि यह एक लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इसिलए भी यहां लेबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से इस इंडस्ट्री के विकास का बहुत अधिक मात्रा में स्कोप है और विकास भी हुआ है। चूंकि भारत में लेदर इंडस्ट्री के विकास के लिए इंस्टीट्यूट्स की कमी है, इस कारण डिजाइन और डेवलपमेंट में कई स्थानों में इसका उचित विकास नहीं हो पाया है, जैसे महाराष्ट्र या मुम्बई में इस तरह का कोई संस्थान आज तक नहीं बना है। देश के अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर तथा मध्य एवं दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में इंस्टीट्यूट्स उपलब्ध हैं, परंतु महाराष्ट्र एक अकेला राज्य है जहां ऐसा संस्थान नहीं है, जबिक मुम्बई में लेदर और फुवियर इंडस्ट्री सबसे अधिक है। एक समय था जब मुम्बई अपने लेदर फुटिवयर और टैक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध थी और आज भी है। यह एक तरह से नेगलेक्ट किया हुआ है।

मुम्बई में धारावी क्षेत्र, जो मेरा चुनावी क्षेत्र है, जो देश भर का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, यहां लेदर का सामान और फुटवियर बनाने की सबसे अधिक फैक्ट्रीज लगी हैं। लगभग 7 लाख से 10 लाख लोग यहां रहते हैं। इनमें से 30 प्रतिशत लोग लेदर फुटवियर की फैक्ट्री में कार्यरत हैं। लेदर के सामान और फुटवियर के डिजाइन पर ये अपने-आप काम करके उसे इम्प्रूव करने का प्रयत्न करते हैं। धारावी से लेदर का सामान और फुटवियर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल और अन्य सामान भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। धारावी से एक्सपोर्ट सामान अमेरिका, यू.के. और यूरोप में स्टोर होकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। इस क्षेत्र के लोग देश की विदेशी मुद्रा बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान करते हैं और भारत सरकार की ओर से उनकी शिक्षा और विकास करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जाते। आंकड़ों के अनुसार धारावी के एक्सपोर्ट का टर्नओवर 500 मिलियन यू.एस. डॉलर से लेकर बिलियन यू.एस. डॉलर तक है।

महोदय, धारावी का जिक्र करने से मेरा आशय यह है कि धारावी में लेदर प्रोडक्ट्स और फुटवियर के सर्वमुखी विकास के लिए बहुत कार्य किया जाता है। यदि इनसे भी ट्रेंड वर्कर्स के लिए एक उचित शिक्षण संस्थान की व्यवस्था की जाए तो लेदर तथा फुटवियर के डिजाइन और विकास को एक नई दिशा मिलेगी और इस इंडस्ट्री के चहुंमुखी विकास में बड़ा योगदान होगा, जिससे धारावी स्लम के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और स्लम एक शानदार क्षेत्र के रूप में उभरकर आएगा।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मुम्बई के धारावी क्षेत्र में एक लेदर फुटवियर डिजाइन और डवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए जिससे यहां भी लेदर एंडर फुटवियर इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिल सके और इस क्षेत्र का विकास भी भलीभांति हो सके। इस क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की काफी जमीन है जिस पर यह शिक्षण संस्थान बनाया जा सकता है या फिर बी.एम.सी. से टाइ-अप करके जमीन अधिग्रहण का काम किया जा सकता है। लेदर इंडस्ट्री एवं फुटवियर विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

में एक बार फिर इस तरह के शिक्षण संस्थान के मुम्बई के धारावी क्षेत्र में स्थापना हेतु मांग करते हुए एक और विषय की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जैसे जिक्र किया गया कि बाबू जगजीवन राम जी का जन्मदिन है और वर्ष 1996 से 2016 तक लोक सभा के माध्यम से यहां पर बाबू जगजीवन राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन इस साल लोक सभा के माध्यम से वह जन्मदिन नहीं मनाया गया है, यह दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि बाबू जगजीवन राम जी का लोक सभा के माध्यम से जन्मदिन मनाया जाए। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to reply on this important Bill to give institute of national importance stature to the Footwear Design and Development Institute.

We have had about 20 hon. Members speaking in detail. The discussion has continued from the day we began when three Members had spoken and the rest of them have spoken today.

I thank each and everyone of the hon. Members. We have had very useful suggestions. Of course, it is only natural that this Bill which strictly talks about giving a very important stature to twelve such institutions which eventually will provide certificates, degrees and post-graduate degrees, and will also offer opportunity for research into footwear design and development.

Several other issues of contemporary relevance and importance have also been raised which are not a subject of discussion for this Bill but because it is leather and it is now of great importance and interest, those have also been added to the debate. I will try to confine myself first to the matters which pertain to the Bill, although it might be useful also to address directly or indirectly some of the questions which have been raised by the hon. Members.

First of all, the need for giving the stature of institute of national importance is something to which I would like to draw the attention of every hon. Member. This institution which till today has only seven centres - some of them are in the pipeline, the rest five will be completed soon - has an all-India presence and has strived hard to provide very good quality content of curricula, as a result of which, students, even if they took certificates initially or degrees later, have been placed in very good jobs and our rate of recruitment has always been high, as a result of which, people have sought admission. Although it is observed by some of the hon. Members that the courses were very highly charged in the sense of the fees as compared to many other institutions considered to be expensive, yet people are willing to join it because it has opportunities at the end of the course.

In the campus recruitments, we have always found very many employers coming in or people with international brands coming in and also giving them the opportunity for high-end jobs straightaway. No wonder even as we heard a few words of criticism while some are happy that all of you have spoken and supported the Bill. Here and there, we did hear concerns expressed by some of the hon. Members asking why is it so expensive, is it really dealing with leather, is this really going to be rural based, are we going to draw students from the rural areas and if you are drawing students from rural areas, how can you price yourself so high. These are the voices which we have heard.

The course is, when I said, self-financed, I mean this. I am not saying that the capital expenditure for building the institutes will be taken from the students, not at all. It is the fee which is going to be the course's fee which is going to be taken from the students and in that, it is fully self-financing. Since the nature of the course has been such and the job opportunities have been so very well knit, the cost of the course has never deterred students from coming and joining, and that itself proves that today, many of the States which want these centres to be present, which the last of the hon. Members who spoke, wanted it in Kozhikode. There are many other States which have asked for it. I know the Chief Minister of Jharkhand and I fully support his thought. He has been repeatedly asking that for a State like Jharkhand, to give an FDDI would make sense. We have friends from Mumbai who have spoken. Hon. Members who have raised the voice as to how Dharavi on its own has brought in that specialism of cottage-based nature of work, but also providing high-class leather goods, thereby earning a lot of foreign exchange. So, this sector has had a lot of emotional connect.

We had Kumari Anju Bala, hon. Member of Kanpur, so vividly narrating her experience, when she had gone even as a young Member handling her household and also running the shop for her father. This is a sector in which a lot of Indians can directly relate.

You also heard our Kataria Ji speaking about himself and he spoke with a sense of honour and respect on how he has learnt the skill himself from his aged father, but not very many have been fortunate to learn it from anybody for that matter, leave alone their fathers. The setting up of the Institute, therefore, was not to lose out on a skill which will touch upon the lives of so many people, who desperately need modern ways of making footwear.

I earnestly heard the Member, Shri Vishweshwar Reddy talk about going to his village and try to make the *mochi* do his *chappals* which he is wearing, which has a recycled tyre in it and how that has also got to be promoted. He also said equally that today the market for such things is dying and today the market is for branded footwear which comes with a designer label. We have heard several Members also say that if you have a high design in Puducherry, it still does not occupy the same level of market globally. Global brands dominate and there is no Indian brand as yet in it.

But if we do not give that kind of a modern skill, that skill which is very much linked with tastes and fashion, we are not going to be able to have the manpower which can, on its own, either using Mudra loans or by associating themselves with good brand providers can provide that kind of a skill and technology to capture the global market for which India has, in every way, the advantages, be it the leather which is available; be it the tanning industry which, over the centuries, has done a lot of good work.

I heard one of the hon. Members talk about how local tanning things like natural residues have been used in India and that has spread all over the country and as a result, today India's tanning techniques are considered to be very good. International shoemakers or international leather product makers have always wanted Indian raw-materials. Even today, I deal with requests from classical leather tanning sector from Ambur and Vaniyambadi.

Hon. Deputy Speaker, Sir, you are from Tamil Nadu. You would know that in that area there is a lot of leather which is being tanned using *Kadukkai*, which is

a particular seed of a tree which is used for leather tanning. *Kadukkai* is one of the very famous components with which tanning has happened and that is considered to be environment-friendly. So, for all those Members who wonder as to where the leather is going to be coming, this country -- not today but over the centuries -- has had leather tanning and it has given a steady flow of leather. That has never obstructed our own cow protection movements, about which each one of us will have to be proud of and that has been a part of our freedom movement's call.

There is nothing new which is happening in Uttar Pradesh. I would like all of them, particularly the Members of the Indian National Congress, to recognize that cow protection was part of our freedom movement. There is nothing new in it. Why are we suddenly so agitated about what is happening in Uttar Pradesh? The hon. Chief Minister is only doing what was very much the spirit behind our freedom movement itself. So, I would want the Members to be very clear that it is not one thing during the freedom movement and another now. ... (*Interruptions*) SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Your Government is exporting, and promoting the beef revolution; Rs. 28,000 crore of meat is being exported now.

HON. DEPUTY SPEAKER: I have not given him permission, Madam. So, you may continue.

On the one hand, you are promoting exports. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you. The Chair has asked me to continue, Shri Adhir Chowdhury. I tried hearing you, but I think the point has to be made that we should not exaggerate a situation where a genuine attempt is being made by a Chief Minister in a State to legalize the matter and to not encourage illegal practices. ... (*Interruptions*)

I am sure that none of us is worried about when an elected Chief Minister is doing his job.... (*Interruptions*) By just disrupting my answer, nothing is going to change. By disrupting my answer, the facts are not going to change. Our freedom movement has been fully encouraged and spirited by the cow protection movement. We have had such movements also being part of our freedom

movement. I do not want that to be forgotten, much before we criticize what is happening in Uttar Pradesh, which is the legitimate duty of an elected Government and that is what the Chief Minister is doing there. That should I suppose put aside every doubt which people have raised about where will you get your leather from? This country has given legitimate leather for the leather industry and that would continue. There is a question. What would happen to women? Will they strengthen women? Will there be opportunities for women, and so on? I just want to underscore the point that in the existing seven campusus, the male-female ratio between students is almost equal. Noida has 50 per cent men and 50 per cent women; Rohtak has 60:40; Jodhpur has 50:50; Fursatganj has 60:40; Kolkata has 55:45; Chennai has 65:35; and Chhindwara has 70:30. So women students have been given enough attention and place in our campuses. Everybody who is trained, mind you, gets a job from the campus itself. There is no worry which Members need to entertain; there will be enough representation of women in the centres.

As regards reservation, questions were asked. Will there be reservations? Will the reservation policy of the Government be honoured or not? Sir, I would state that 100 per cent existing laws on reservations for SCs, STs, BCs will be implemented even in the FDDI. It would not be any different from any other institute in India. So, on reservations, I don't think we should have any worry that we would have a different reservation policy because it is going to be recognised as an institute of national importance. This shall not be any different but it would be like any other institute of national importance.

There were questions. What is happening to the admission needs of the centre? What policy would we follow? As it is, the running seven centres are admitting students on the basis of a Common All India Selection Test, the AIST. Sir, 10 plus 2 level students take the entrance test for admission to the Under Graduate Course. For the PG Programme, students apply after they finish the first degree. It is already an all India level test because that level of recruitment is

happening. We don't have hesitation coming before you for recognition to be given as an institute of national importance.

There has been a lot of voice about skill and skill imparting. I would like to add other than the courses which give degrees, certificates and diplomas, there are 96 centres in the country, which are called training centres, which train trainers. They tell people about design, the making of leather, leather accessories, cutting and using computer-based designs, and so on. So, the 96 centres are spread all over India. They are not only in those places where the centres, the institutes of FDDI exist but also in places in States where the institute does not exist.

Other than that I think broadly these were the issues. There were inputs about how some Members would want to have the institute in their respective States. At the moment, we are talking of the current seven, and already proposed five, totalling 12. We do not expect to expand more than 12 at this stage because if an institute is going for recognition as an institute of national excellence, we do not want to be starting of with rampantly proliferating campuses, we would like to limit it at 12 but prove our standards. In the future, if at all, anytime, the Parliament considers worth it, they can always talk about it. But at the moment, we are limiting it only at 12. ... (*Interruptions*)

SHRI M.K. RAGHAVAN: Will there be a centre in Koshikode?

HON. DEPUTY SPEAKER: She has already replied.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I have stated that it would be seven plus five. Kozhikode is not one of them.

With these words, I thank each and every Member who has spoken about this Bill. I appreciate the inputs. We would try as much as possible when we design the contents or the recruitment or the campus activities to involve the inputs which each one of Members had given us. I would now request the Members to kindly pass this Bill, and give the due credit that the Institute deserves.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill to establish and declare the Footwear Design and Development Institute as an institution of national importance for the promotion and development of quality and excellence in education, research and training in all disciplines relating to footwear and leather products design and development and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Declaration of Footwear Design and Development Institute as an Institute of national importance

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita, are you moving amendment No. 2?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): I beg to move:

Page 2, line 1,--

after "Footwear"

insert ", Leather and Allied Fashion Wears and Accessories,". (2)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 2 moved to clause 2 by Dr. Mamtaz Sanghamita to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving amendment No. 13?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I beg to move:

Page 2, line 1, --2

for "the Footwear"

substitute "the National Footwear". (13)

I want to be sure that there will be no shortage of it.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 13 moved to clause 2 by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Definitions

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving amendment No. 14?

PROF. SAUGATA ROY: I am not moving.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran – not present

The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Establishment of Institute

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita, are you moving amendment No. 3?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: I beg to move:

Page 3, line 35, --

for "two times in a year"

substitute "four times in a year".

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 3 moved to clause 4 by Dr. Mamtaz Sanghamita to the vote of the House.

(3)

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving amendment No. 15?

PROF. SAUGATA ROY: I beg to move:

Page 3, *after* line 29, --

insert

"(i) one person representing the trade unions in The Footwear Industry to be nominated by the Central Government.". (15)

There are many employees who ought to be represented.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 15 moved to clause 4 by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran – not present.

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

Clause 7 Functions of Institute

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving amendment No. 16?

PROF. SAUGATA ROY: I beg to move:

Page 4, line 26, --

after "products"

insert ", accessories,". (16)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 16 moved to clause 7 by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 Powers of Governing Council

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran - Not present.

The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 to 13 were added to the Bill.

Clause 14 Functions of Senate

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita, are you moving amendment No.4?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: I beg to move:

Page 6, line 44, --

after "for admission"

insert "by entrance examination and interview". (4)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 4 moved to clause 14 by Dr. Mamtaz Sanghamita to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

The question is:

"That clause 14 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clauses 15 and 16 were added to the Bill.

Clause 17 Secretary

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita, are you moving your amendment No. 5?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: Yes, Sir. I beg to move:

Page 7, line 35, -

for "five years"

substitute "three years which may be extended up to another two years". (5)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 5 moved by Dr. Mamtaz Sanghamita to clause 17, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 17 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18 Executive Director

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita, are you moving your amendment No. 6?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: Yes, Sir. I beg to move:

Page 7, line 43, -

for "five years"

substitute "three years which may be extended up to another two years". (6)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 6 moved by Dr. Mamtaz Sanghamita to clause 18, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 18 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 18 was added to the Bill.

Clauses 19 to 27 were added to the Bill.

Clause 28 Ordinances

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita, are you moving your amendment Nos. 7 and 8?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: Yes, Sir. I beg to move:

Page 10, lines 9 and 10, -

for "and other backward categories of persons;"

substitute ", other backward categories of persons and

minorities;". (7)

Page 10, after line 17, -

insert "(ea) access to scheduled government scholarships by

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minority

students;" (8)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos.7 and 8 moved by Dr. Mamtaz Sanghamita to clause 28, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 28 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 28 was added to the Bill.

Clause 29 Ordinance how made

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita, are you moving your amendment Nos. 9 and 10?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: Yes, Sir. I beg to move:

Page 10, line 30, -

after "succeeding meeting"

insert "later to be approved by visitor of the

Institute". (9)

Page 10, line 33, -

after "as the case may be"

insert "later to be approved by visitor of

the Institute". (10)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos.9 and 10 moved by Dr. Mamtaz Sanghamita to clause 29, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 29 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 29 was added to the Bill.

Clause 30 Tribunal of Arbitration

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita, are you moving your amendment No. 11?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: Yes, Sir. I beg to move:

Page 10, for lines 38 and 39, -

substitute "(2) In case of grievance against the decision of Tribunal of Arbitration, either party can go to High court of the State where the institution is situated.". (11)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No.11 moved by Dr. Mamtaz Sanghamita to clause 30, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 30 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 30 was added to the Bill.

Clauses 31 to 39 were added to the Bill.

The Schedule

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, are you moving your amendment No. 22?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Yes, Sir. I beg to move:

Page 13, in column (3), after line 14, -

insert "Footwear Design and Development Institute, Murshidabad (New Campus).". (22)

Sir, the Minister herself already acknowledged in an abrasive manner that the Footwear Development Institute is not accessible to poor people because it is already self financed. Murshidabad District is recognized as a backward District in the country. Therefore, I would urge upon the Minister to take note of it.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No.22 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the Schedule, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1 Short title and commencement

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Mamtaz Sanghamita, are you moving your amendment No.1?

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: Yes, Sir. I beg to move:

Page 1, line 4, -

after "Footwear"

insert "Leather and Allied Fashion Wears and Accessories". (1)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No.1 moved by Dr. Mamtaz Sanghamita to Clause 1, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your amendment No.12.

PROF. SAUGATA ROY: I am not moving it, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran is not present.

The question is:

"That Clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.30 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193

Sustainable Development Goals – Way forward for health and well being for all - Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up item no. 16- Discussion on Sustainable Development Goals under Rule 193.

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एसडीजी पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा अनुराग जी ने शुरू की थी। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा हम कर रहे हैं। हमारी अध्यक्ष महोदया ने हर सन्न में एक विषय ले कर उस पर चर्चा करने की बात कही है। आज स्वास्थ्य के विषय में देखा जाए तो एसडीजी में भारत का स्थान 188 में से 143 है। यह हमारे लिए एक गंभीर बात है।

16.31 hours (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

आज भारत में स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा होता है, उसमें 184 देशों में से 178वें स्थान पर हमारा देश है। निम्न आय वाले जो देश हैं जैसे - बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि इन देशों से भी हम पीछे हैं। आज अपनी जीडीपी का तीन प्रतिशत स्वास्थ्य के ऊपर चाइना खर्च करता है। अमरीका में जीडीपी का 8.3 प्रतिशत खर्च होता है, जबिक ब्रिटेन 9.6 प्रतिशत पर पहुंचा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी यह कहना है कि जीडीपी की पांच प्रतिशत राशि स्वास्थ्य के ऊपर खर्च की जाए, लेकिन आज हमारे देश में जीडीपी का 1.2 प्रतिशत ही खर्च होता है। यह गंभीर बात है।

सभापित महोदय, हम नई स्वास्थ्य नीति लाने जा रहे हैं। कैबिनेट ने भी उसे मंजूरी दी है। दोनों सदनों में भी यह विधेयक पेश किया गया है। सन् 2002 में इस नीति को बनाया गया था और सन् 2016 में फिर से इस नीति को लाया गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में है, उसकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के पास जो भी सुविधाएं हैं, वे कम हैं। क्या उसे देखते हुए निजी क्षेत्र में पीपीपी मोड से हम हॉस्पिटल्स बनाने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ऐसा करने की आवश्यकता है। जैसे दिल्ली के एम्स में पीपीपी मोड पर अस्पताल चलाए जाते हैं, उसी तरह से चंडीगढ़ में भी पीपीपी मोड पर एक सरकारी अस्पताल चलाया जाता है और उनकी रिपोर्ट समाधानकारक है।

दूसरा ज्वांट वेंचर, राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल बैंगलोर है। अपोलो के साथ टाइअप कर के राज्य सरकार उसे देख रही है। यह राज्य सरकार का प्रकल्प है। मुझे लगता है कि इसमें ज्वाइंट वेंचर भी करने की आवश्यकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड में बीओटी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तो क्या हम बीओटी पर भी जाना चाहेंगे? मोबाइल हैल्थ यूनिट की भी हमें बहुत आवश्यकता है। गांवों में जब हम जाते हैं तो गांवों में लोगों में हैल्थ के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। बीपी होता है, शुगर होती है, ये छोटे-छोटे दिखने वाले रोग जरूर हैं, लेकिन उसके कारण स्वास्थ्य की बड़ी समस्या का निर्माण होता है तो मैं समझती हूँ कि मोबाइल हैल्थ यूनिट भी देने की आवश्यकता है और वह एनजीओ की तरफ से या निजी क्षेत्र से भी हो सकता है। मैं समझती हूँ कि यह नीति जो हम ला रहे हैं, इसमें चाइना ने अपनी जीडीपी का जितना पैसा खर्च किया है, उतना ही, तीन प्रतिशत पैसा खर्च करने की आवश्यकता हमें भी है।

टेली मेडिसन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि जिला अस्पताल में हमें सुविधा तो मिलती है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य की पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। इसिलए जो शहरों में एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, जैसे मुम्बई में हम जे.जे. अस्पताल देखेंगे, टाटा हॉस्पिटल देखेंगे, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य की सुविधा के लिए आते हैं। गाँव में उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए हमें टेली मेडिसन की भी आवश्यकता है, क्या उसे सरकार अपनी नीति में समाविष्ट करने जा रही है?

महोदय, प्राथमिक आरोग्य केन्द्र देखते हैं, उप-केन्द्र देखते हैं, आर.एच. है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जब हम प्राथमिक आरोग्य केन्द्र में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं। प्राथमिक आरोग्य केन्द्रों पर नर्सेज उपलब्ध नहीं होती हैं। कोई मेडिसिन वहाँ पर ठीक तरह से लोगों को मिलती नहीं है और मिलती है तो दो प्रकार की गोली देकर उनको भेज दिया जाता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्हें रेफर किया जाता है। मैं समझती हूँ कि यह बहुत चिन्ता का विषय है। मेरा एक सुझाव है कि अगर हम ब्लॉक लेवल पर, हमारा जो आर.एच. है, जो ग्रामीण रूग्णालय है, उसे पूरा फैसिलिटेट करके, अगर 40 किलोमीटर का वह ब्लॉक होता है या 60 किलोमीटर का वह ब्लॉक होता है, वहाँ से मरीज लाने के लिए एम्बुलेंस सेवा हम शुरू कर सकते हैं और उस एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से ब्लॉक लेवल पर मरीज पहुँचेंगे और पूरी सुविधा उन्हें वहाँ ब्लॉक लेवल पर ही मिलेगी। उन्हें डिस्ट्रिक पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि हम 6-6 करोड़ रुपये देकर पीएचसी का निर्माण करते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स न होने के कारण उस पीएचसी का कोई फायदा हमारे ग्रामीणों को होता हुआ नहीं दिख रहा है। डॉक्टर्स की संख्या की कमी है। हमारे यहाँ आज हम देखें तो 55 हजार एम.बी.बी.एस. सीट्स हैं और 25

हजार पी.जी. की सीट्स हैं। मैं समझती हूँ कि ये सीट्स पर्याप्त नहीं हैं। जैसे मेडिकल काउन्सिल है या डेन्टल काउन्सिल है, नर्सिंग काउन्सिल है, इनके माध्यम से निजी कॉलेजों को हम परमीशन देते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो काउन्सिल्स हैं, खासकर जो मेडिकल काउन्सिल है, उस पर गवर्नमेंट का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है या उनको ठीक तरह से चलाने के लिए जितना कन्ट्रोल होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि उतना कन्ट्रोल सरकार का उनके ऊपर नहीं है। आज निजी कॉलेजों के माध्यम से भी बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। वे हमारे बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और वहाँ वे लोगों को हेल्थ की सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन एनआरआई का 15 परसेंट का कोटा निजी कॉलेजेज का बन्द करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है या वह बन्द कर रही है। मैं यह भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि उसे बन्द न किया जाये।

महोदय, यहाँ पर जेनरिक औषधि का उल्लेख किया गया है। इस साल में करीबन तीन हजार जेनरिक औषधि स्टोर्स हम देने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा कदम सरकार ने लिया है। जेनरिक औषधि स्टोर्स में हमें बहुत कम दर पर कैन्सर, बी.पी. आदि सभी तरह की बीमारियों से सम्बन्धित दवाइयाँ मिलेंगी। इसकी वजह से गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही अच्छी और सस्ती दिखाई दे रही है। इसका लाभ बहुत सारी जगहों पर लिया जा रहा है। यह बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। आयुष डिपार्टमेंट के बारे में में बोलना चाहूँगी कि यह पहले फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के तहत आता था, उसे अलग करा दिया गया है। आयुर्वेद हमारी परम्परागत औषधि है, आयुर्वेद के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य बनाने की कोशिश करते हैं और यह परम्परागत है। इसलिए इसको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विशेषकर के योग को बढ़ावा देने का काम हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने खुद किया है। जब भी यहाँ पर जो भी योग के शिविर होते थे, उन शिविरों में वे खुद गये हैं। अगर हम आयुर्वेद का उपयोग करेंगे, योग का उपयोग करेंगे तो हमारे पास सालों-साल तक कोई बीमारी ही नहीं फटकेगी। इस प्रकार से इसका बहुत अच्छा उपयोग होने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वर्ष 2030 तक हम एसडीजी का गोल प्राप्त करने जा रहे हैं।

महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि वर्ष 2030 तक हमें यह गोल पूरा करना है, लेकिन अगर हम अपनी बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोक पाये तो वर्ष 2030 तक हम यह गोल कैसे पूरा कर पायेंगे? मुझे लगता है कि मंत्री जी सक्षम हैं, सरकार भी सक्षम है, जैसे नोटबंदी का निर्णय हमने लिया है, उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि जो लोक संख्या का कन्द्रोल है, उसे भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के लिए शुरू करने की आवश्यकता है।

सभापित जी, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं, जैसे हर बारह मिनट में एक गर्भवती महिला की मौत हो रही है, क्योंकि उसे पूरी जो सुविधा होती है, वह नहीं मिल रही है, हर एक मिनट में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत हो रही है, इसलिए उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझती हूं। बाकी जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे पंतप्रधान स्वास्थ्य योजना, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि बहुत अच्छे-से चल रही हैं। टी.बी. का प्रोग्राम देखिए, पल्स पोलियो प्रोग्राम को देखिए, आप देखिए कि पोलियो का कोई बच्चा आज हमें नज़र नहीं आता, इतनी अच्छी मुहिम छेड़ी गयी है। लेकिन, अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को ये सारी बातें बताएं तो मुझे लगता है कि इसका उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए इसमें स्वास्थ्य के ऊपर विशेष महत्व देने की आवश्यकता है।

सभापित जी, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, वहां पर महाराष्ट्र के यवतमाल क्षेत्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और आपने 100 करोड़ रुपए वहां पर एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल के लिए दिए हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छी सुविधा देने का काम यहां पर सरकार ने और मंत्री जी ने किया है। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और मैं समझती हूं कि सारे गोल्स को निश्चित करने के लिए हमें और अच्छी तरह से प्लानिंग करने की आवश्यकता है।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे 'एस.डी.जी. गोल - 3' पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी माननीय लोकसभाध्यक्ष महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तीन वर्षों में यह पहला डिस्कशन है, जिसे खुद उन्होंने इनिशिएट किया। यह बताता है कि हम स्वास्थ्य के प्रति कितने ज्यादा किमटेड हैं, यह पूरी-की-पूरी संसद कितनी ज्यादा किमटेड हैं। इतना ही नहीं, मैंने 17 फरवरी को हिन्दी दैनिक 'अमर उजाला' में उनका एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें उन्होंने 'सतत विकास लक्ष्य और भारत' के नाम से जो लेख लिखा है, वह अपने आप में इतना कॉम्प्रीहैन्सिव है कि अगर उसे पढ़ा जाए तो हमें इसे कैसे एचीव करना है, इसके बारे में भी उसमें गाइडलाइंस माननीय लोकसभाध्यक्ष महोदया ने लिखी हैं। इसके अलावा, 'अध्यक्षीय शोध कदम' में उन्होंने जो सस्टेनेबेल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जो मीटिंग कराई थी, वह भी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्षा जी को एक बात कहना चाहता हूं कि जो स्पीकर्स इनिशिएटिव की मीटिंग है, उसे दस बजे किया जाए या एक बजे किया जाए, क्योंकि शाम को हमारे संसदीय कार्य मंत्री लोग... "कुछ ज्यादा हो गए हैं और हम लोगों को उस मीटिंग में बैठने का मौका नहीं मिल पाता है। इसीलिए, आज मैं यह अपॉर्च्यूनिटी लेता हूं कि स्पीकर्स इनिशिएटिव की मीटिंग का समय या तो आफ्टरनून में किया जाए या मॉर्निंग में किया जाए तो हम लोगों को भी बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिलेगा।

किसी भी देश की उन्नित के लिए तीन चीज़ों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। एक है, दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सक्षम नेतृत्व, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है लक्ष्य। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के तहत और माननीय श्री नड्डा जी के साथ काम करने का मौका मिला है और जिस दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ, चाहे वह जी.एस.टी. हो, नोटबंदी हो, मेक-इन-इंडिया हो, स्टार्ट-अप इंडिया हो, मुद्रा योजना हो, इन सब चीज़ों के द्वारा जो देश के विकास पर ध्यान दिया गया है, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है।

इसके साथ ही, मैं माननीय नड्डा जी के प्रति बहुत ही आभारी हूं कि हमारी जी.डी.पी. में हेल्थ का जो शेयर है, उसे 1.5 परसेंट से बढ़ाकर 2.5 परसेंट करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। वैसे तो हमारी यू.पी.ए. सरकार ने भी वर्ष 2005 में लक्ष्य रखा था कि हम वर्ष 2012 तक जी.डी.पी. में इसे 2.5% करेंगे। लेकिन, कुछ नहीं हुआ और हम 1.15 परसेंट से हम 0.1 परसेंट भी आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय जी.डी.पी. का 2.5% खर्च

_

^{*} Not recorded.

करेगा, क्योंकि पैसे खर्च करने पर भी योजनाएं सफल न हों, यह हो सकता है, लेकिन बिना पैसे के योजनाएं सफल हो जाएं, यह नहीं हो सकता। इसीलिए, मैं बहुत आभारी हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एचीव करने के लिए 2.5% का जो लक्ष्य रखा गया है, वह बहुत ही अच्छा है।

में माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आज तक स्वास्थ्य विभाग का केवल एक ही मतलब था कि कितने अस्पताल खुले हैं, दवाइयों पर कितने पैसे मिले, इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में और कोई बात ही नहीं चलती थी। एस.डी.जी. अचीव करना है तो केवल दवाई तथा अस्पताल से ही अचीव नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां पंद्रह सालों के बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान स्वस्थ नागरिक अभियान को दिया गया है, न कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए पैसे को दिया गया है। यह पूरा का पूरा एक कंप्रिहेंसिव लिट्रेचर है, जिसमें पूरा ध्यान स्वस्थ नागरिक अभियान पर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पूरे सात प्वाइंट्स दिए गए हैं, उनमें सबसे पहला प्वाइंट स्वच्छ भारत अभियान है।

जब तक हम भारत को खुले में शौच से मुक्त नहीं कर पाएंगे, जनता को स्वच्छ पानी नहीं दे पाएंगे, प्रदूषण मुक्त एनवायरमेंट नहीं दे पाएंगे, तब तक स्वास्थ्य पर करोड़ों रूपये खर्च करने के बावजूद भी हमें कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने घरेलू प्रदषण के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह निदयों की सफाई के लिए 'नमामि गंगे' योजना हो, चाहे स्मार्ट सिटी योजना हो, विगत दस सालों से जो कैंपा फंड यूज नहीं हो रहा था, चाहे उसका सही से उपयोग होना हो, कोयले पर चार सौ टन से अधिक पर सेस का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किया जाएगा, ये सारी चीजें कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर की तरफ इंडीकेट करती है। हमारी सरकार का यह प्रयास बताती है कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य के हर क्षेत्र के प्रति कितनी ज्यादा डिटरमाइंड है। हम व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान देंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। इस देश की 6.30 करोड़ आबादी प्रत्येक साल ए.पी.एल. से बी.पी.एल. फैमिली हो जाती हैं और इसका कारण केवल उनका हेल्थ का बजट है।

आज तक जितने भी मूल्य वृद्धि सूचकांक हैं, उसमें अगर किसी भी चीज का पैसा बढ़ जाता है तो हम सब लोग महंगाई की बात करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। इस पर प्रत्येक साल सदन में चर्चा भी होती है, लेकिन इस देश के सवा छह करोड़ व्यक्ति जो प्रत्येक साल ए.पी.एल से बी.पी.एल परिवार में चले जाते हैं, हम लोग उनका थोक मूल्य सूचकांक से कोई रिलेशनशिप ही नहीं रखते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि दवाइयों की भी एम.आर.पी. फिक्स होनी चाहिए।

आज मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दवाइयों का भी एम.आर.पी. फिक्स किया जाए। जब हम साबुन, तेल, चावल तथा दाल आदि वस्तुओं का एम.आर.पी. फिक्स करते हैं तो दवाइयों पर एम.आर.पी. क्यों नहीं फिक्स होती है। इसके अलावा, मैं आभारी हूं कि इस कार्यक्रम में संतुलित भोजन तथा नियमित व्यायाम की व्यवस्था भी रखी गई है। इसके लिए आई.सी.डी.एस. के तहत महिलाओं को स्पलीमेंट्री न्यूट्रीशन तथा सबला कार्यक्रम आदि जैसी बहुत सारी चीजों का लक्ष्य रखा गया है।

में बधाई देना चाहूंगा कि जो सस्टेनेब्ल डेवलपमेंट गोल है, उसको अचीव करने के लिए कालाजार, टी.बी., लैप्रोसी जैसी बीमारियों को समयबद्ध खत्म करने की बात की जा रही है, जो नॉन-कम्युनिकेवल डिजिजेज़ हैं, उनमें प्री-मैच्योरड डेथ आज के मुकाबले 25 प्रतिशत कम हो जाएं, इसका भी लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। इसी तरह से आज एक हजार की आबादी पर एक बिस्तर भी उपलब्ध नहीं है, उसको बढ़ाकर दो बिस्तर प्रति एक हजार की आबादी के लिए रखा गया है। वर्ष 2025 तक पी.एच.सी. को 50 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, पाँच वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर 23 है। हमारी सरकार इन सब पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। मैंने खुद देखा है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों की जान बचाने का काम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है, वह बहुत ही ऐतिहासिक है। मेरे जिले में 35 पर्सेंट बच्चों का ही इम्युनाइजेशन होता था, लेकिन आज वह 63 पर्सेंट हो गया है। यह केवल मिशन इंद्रधनुष का ही देन है। इस तरह के कन्संट्रेटेड वर्क करने से ही हमें लाभ मिलेगा। मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहुंगा कि अभी नए प्रोजेक्ट में पेंटावैलेंट वैक्सिन तो लिया ही है, अब वे पी.सी.वी. वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यह पहली बार है कि कोई पायलट प्रोजेक्ट बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। आज तक यह मानसिकता थी कि कोई भी नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना होता था तो वह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में कर दिया जाता था, जहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर देना है और सारा काम खत्म हो गया। कोई भी नयी चीज बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के डिफीकल्ट टेरेन्स में इंट्रोड्यूस करना अपने आप में इस सरकार की क्षमता बताती है कि वह कितनी डिटरमाइंड है।

एक पी.सी.वी.वैक्सीन प्राइवेट क्षेत्र में एक बच्चों के लिए दस हजार रूपये से भी ज्यादा की कॉस्ट पड़ती है। इन्होंने इस चीज को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिया है। इसके लिए में बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आज देश में प्रतिवर्ष पौने दो लाख बच्चे तो केवल निमोनिया से मरते हैं। इन दोनों के इंट्रोडक्शन से बहुत ही फायदा होगा। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के दो मानकों से संतुष्ट नहीं हूं। एक, जीवन प्रत्याशा जो 67 से 70 वर्ष रखी है, यह लक्ष्य अगर 2014 में रखते, तब तो अच्छा लगता, क्योंकि उस समय जिस ढंग से स्वास्थ्य सेवा चल रही थी, आज स्वास्थ्य मंत्री

जी ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को जिस ढर्रे पर ला दिया है, यह तो अपने आप ही 70 वर्ष पहुंच जाएगी। अगर लक्ष्य रखना है, तो इस देश को बढ़ाने के लिए एक एंबिशियस लक्ष्य होना चाहिए, जिसकी मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूं। ...(व्यवधान) यह कम से कम 73 हो, जो कि श्रीलंका का है। मैं कोई अमेरिका और इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं।

इसी प्रकार से हमारा 2.1 टीएफआर है। पॉपुलेशन स्थिरीकरण के लिए 2.1 प्रति परिवार टीएफआर का लक्ष्य है। मैं इससे भी संतुष्ट नहीं हूं। पूरे के पूरे एसडीजी गोल्स अगर एचीव करने हैं, तो जैसा कि भावना जी ने कहा कि बिना जनसंख्या नियंत्रण किए हुए हम लोग किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। जो पॉलिसी डाक्यूमेंट है, उसमें मैंने देखा पॉपूलेशन स्टैब्लाइजेशन में केवल पांच लाइनें लिखी हुई हैं और एक ही साफ लक्ष्य रखा गया है कि नसबंदी को 5 पर्सेंट से 30 पर्सेंट करना है। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध होगा कि हमें च्वॉइस का बास्केट बढ़ाना होगा। आज मलेशिया जैसा देश 1.9 पर खड़ा है। हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। न जाने क्यों, संसद हो, चाहे बाहर हो, हम जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में साफ-साफ बात नहीं करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) पढ़े-लिखे लोगों के बच्चे कम हो रहे हैं, यह जाहिर बात है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि बांग्लादेश हर तरह से हम लोगों से पीछे है, फिर भी वहां जनसंख्या स्थिरीकरण एचीव कर ली गई है। वहां पर जुमे की नमाज के बाद मौलाना बोलता है कि दो बच्चे से ज्यादा मत पैदा करो। हमारे यहां क्या परम्परा है। हमारे यहां यह हो रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, कोई और बोलता है कि वे 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम 8 बच्चे पैदा करो। क्या इससे देश चलेगा? हमें इस बात पर बहुत सीरियस बहस करनी होगी। मैं आज मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हर धर्म के गुरुओं को बुलाकर इसके बारे में भी बात करें। इस देश की भलाई के लिए हर रिलीजन के लोगों को समझाना होगा। अगर मंत्री जी चाहें, तो मैं अपने लोक सभा क्षेत्र में, यह गांधी जी का सत्याग्रह का सौ साल है, मैं इनीशिएटिव ले सकता हूं, मैं अपने यहां सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर इस बारे में बात कर सकता हूं, क्योंकि पूरी की पूरी जनसंख्या की स्थिति बिगड़ रही है। आज 24 प्रदेश अपना लक्ष्य एचीव कर चुके हैं। जो तथाकथित बीमार राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। पूरे देश की आबादी 352 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, बिहार 1,180 पर है और उसके बाद हम 3.3 के हिसाब से भागे जा रहे हैं। हमारी संस्कृति की नीति है, सर्व धर्म समभाव, लेकिन आज क्या हो रहा है? पारसियों की संख्या घटती जा रही है, जैनियों की संख्या घटती जा रही है, तो अगर हम 2.1 एचीव भी कर लिए और समाज के सभी तबकों को एक बराबर हिस्सेदारी नहीं मिली तो यह सफीशिएंट नहीं है। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि बिहार को, यूपी को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को जैसे इन्होंने मिशन

इंद्रधनुष के तहत स्पेशल पैकेज इम्युनाइजेशन के लिए दिया, उसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर भी जो राज्य पीछे छूटे हुए हैं, उन पर एक्शन लें। उन राज्यों के लिए अलग से व्यवस्था हो।

आज बच्चे पैदा करने पर हम 6 हजार रुपये दे रहे हैं, लेकिन नहीं करने पर उसको 5 सौ रुपये मिलते हैं। हमें पूरी की पूरी प्रोत्साहन नीति बदलनी पड़ेगी। अगर कोई एक बच्चा पैदा करता है, तो उसके लिए यह घाटे का सौदा है, क्योंकि उसको आज पीडीएस से 15 किलो अनाज मिलेगा और जिसके दस बच्चे हैं, उसको 60 किलो मिलेगा। हम नहीं कहते हैं कि इसमें कोई कड़ा कानून बनाया जाए, पर जो एक बच्चा पैदा कर रहा है, उसको तो इंसेंटिव दीजिए।

आज शिक्षा में नीति है कि 25 बच्चों को हम प्राइवेट स्कूलों में फ्री एजुकेश्न देंगे। हम यह क्यों नहीं करते कि जिसका एक बच्चा है, उसको सबसे पहले उस 25 प्रतिशत शिक्षा वाले स्कूल में हिस्सा मिलेगा, क्यों नहीं हम करते कि हम 35 किलो अनाज देंगे, तुम्हारे 2 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, यह तुझ समझो।

सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होने का क्या कारण है? लोगों को डर लगता है कि मेरा बच्चा मर गया तो क्या होगा। ... (व्यवधान) यह सही बात है, गांव में यही स्थिति है। जो एक बच्चा पैदा करे, क्यों नहीं हम शुरू से उसको इंश्योरेंस दें। आप आरएसवीवाई करते हैं, अन्य दूसरी योजनायें करते हैं, कितनी सरकारी सब्सिडी बचाता है, अगर वह एक या दो बच्चे पैदा करता है। उसके तहत मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग एक बच्चा पैदा करते हैं, उन्हें भी इस तरह की नीतियों में लेना चाहिए।... (व्यवधान) बहुत सारे प्रदेशों ने दो बच्चों का कानून पंचायती राज में लागू किया है। उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे प्रदेश बिहार में सन् 2008 में कानून लागू हुआ कि नगरपालिका में कोई दो बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं करेगा। उसका नतीजा हुआ कि वर्ष 2010 के चुनाव में बिहार के हर शहर में एनडीए का विधायक बना था। यह कहना कि जनसंख्या की बात करने या नियम बनाने से कोई दिक्कत होगी, सही बात नहीं है। मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी जनसंख्या के बारे में जरूर विचार करें।

एसडीजी गोल को एचीव करने के लिए क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने लक्ष्य भी रखा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे। अगर सरकार ऐसा करती है तो एक डिस्ट्रिक्ट कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का खर्च 1600 से 1800 करोड़ रुपये पड़ेगा। आप खुद कहते हैं कि प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरिशप को ऐनकरेज कीजिए। एसडीजी गोल ऐचीव करना है तो हम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को क्यों नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ऑफर करते हैं। जैसे हमने सोलर में किया था, रिवर्स बिडिंग करें कि अस्पताल लें, 25 करोड़ रुपये लीजिए, जो जितना कम में ले ले, उसे मिले। उसका फायदा होगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक कानून है कि 75

प्रतिशत इंडोर पेशैंट्स का इलाज आपको फ्री में करना है। मेडिकल कॉलेज के लिए 500 वार्ड्स चाहिए। कोई डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं है, जहां 300 से ज्यादा बैड हों। अगर उस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएगा, तो 300 से ज्यादा बैड फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे जो आज के अस्पताल के जिला मानकों से ज्यादा अच्छे होंगे। मैंने पूरा खर्च जोड़ा है कि अगर आप 25 करोड़ रुपये का इंसैंटिव देते हैं तो 50 अस्पताल खोलने का खर्च 1250 करोड़ रुपये आएगा। आज पुडुचेरी में 9 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और बिहार, यूपी के कितने जिलों में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि जिस जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है, उनके लिए भी इंसैंटिव दिया जाए।

उसी तरह हैल्थ पॉलिसी में इन्होंने यात्री सुरक्षा रखी है। गडकरी जी एक बिल लाए थे। हम सब सांसद कहीं न कहीं दोषी हैं कि हमने उस बिल को दस महीने से लटकाकर रखा है। रोज ट्रैफिक ऐक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री जी ने एक हफ्ते पहले इसी लोक सभा में कहा था कि हम पूरे ब्लड बैंक्स को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। जब हम डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर दे सकते हैं, तो जो व्यक्ति दो बोतल ब्लड दान करे, उसे एक बोतल ब्लड का सैर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसैंस के साथ मिल जाए, जिससे वह उससे दिखाकर कहीं से भी ब्लड ले सके, क्योंकि रोड ऐक्सीडेंट में व्यक्ति सबसे ज्यादा ब्लड की कमी से मरता है। अगर उसके ड्राइविंग लाइसैंस के साथ ऐसा कार्ड हो कि उसे कहीं से भी ब्लड मिल सकता है, तो अच्छा होगा। प्राइवेट अस्पतालों में ऐसी सुविधा है, मैं बहुत अजीब बात नहीं कर रहा हूं। जब आप पूरे ब्लड बैंक्स को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, अगर व्यक्ति की पॉकेट में लाइसैंस के साथ ब्लड बैंक का कार्ड होगा तो हम कितनी जानें बचा सकते हैं।

ऐसे ही हमें हैल्थ मॉडल के लिए अमेरिका और इंग्लैंड देखने की जरूरत नहीं है, हमारे यहां आरोग्य श्री, आरएसवीवाई, तिमलनाडु का हैल्थ मॉडल हो, एक से एक अच्छे हैल्थ मॉडल्स मौजूद हैं। आरएसवीवाई में सरकार का प्रति व्यक्ति खर्च 1200 रुपये पड़ता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध होगा कि वे इस बात पर विचार करें कि 1200 या 1400 रुपये करके मध्यम वर्ग वालों का भी इंश्योरैंस कवरेज करें। जितना ब्रॉड कवरेज होता है, यह सिद्धांत है कि उतना कम पैसा लगता है। हम मुफ्त में दे रहे हैं, हम मध्यम वर्ग के लिए भी करें कि आप 1400 रुपये दीजिए और आरएसवीवाई में आइए। जैसे सीजीएचएस का खर्च 6,000 रुपये प्रति वर्ष होता है। हम 8,000, 10,000 रुपये में मिडिल क्लास को ऑफर कर सकते हैं कि आप सीजीएचएस के अंडर आइए और उसके पैसे पे कीजिए। केवल फ्री में एवेलेबल हो, पेमैंट पर उसे काफी हाई इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है कि सारे लोग इंश्योरेंस प्रीमियम से जा सकते हैं। अगर उनके खर्च को प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरिशप से जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा कदम रहेगा।

मैं डाक्टरों के लिए दो बातें अच्छी और बुरी कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान) महोदय, मैं सिर्फ पांच मिनट और लूंगा। मैंने और अनुराग जी ने डिबेट इनिशिएट की है। मुझे सिर्फ पांच मिनट और बोलने दीजिए। जब केन्द्र में कोई कानून मॉडल बनता है तो हर प्रदेश उसे लागू करते हैं। आज डाक्टरों के लिए 8 राज्यों से ज्यादा सुरक्षा का कानून मौजूद है।

17.00 hours

केन्द्र सरकार क्यों नहीं डाक्टरों की सुरक्षा का कानून लाती? मेरा इस बारे में भी अनुरोध रहेगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा का केन्द्रीय कानून भी बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि दवाओं पर एमआरपी होना चाहिए। मैं खुद एक डॉक्टर परिवार से आता हूं। मैंने डॉक्टरों में बहुत चेंज होते देखा है। मुझे याद है कि बचपन में जब कोई रिप्रेजेंटेटिव आता था, तो उसे चाय पिलायी जाती थी, तािक उससे नयी दवाओं के बारे में पता चल सके।

सभापति महोदय, मैंने 80 का दशक भी देखा है, जब डॉक्टर्स ने दवा कंपनियों से पैसा लेना शुरू किया और बाकी डॉक्टर्स उसे घृणा की नजर से देखते थे। मैं आज का समय भी देख रहा हूं, जब डॉक्टर कहता है कि मेरे पास छः प्रिस्क्रिप्शन्स हैं, जिनमें से पांच प्रिस्क्रिप्शन्स बुक हैं और एक स्लॉट खाली है। अब तुम बोलो कि तुम्हारी कंपनी क्या ऑफर करेगी, तब हम दवा लिखेंगे। इस तरह की घटिया मानसिकता से डॉक्टरों को संभालने की जरूरत है। सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए, जिससे जो भी डाक्टर इस तरह का काम करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम लोग देख रहे हैं कि जिसे कीमोथैरेपी की जरूरत नहीं है, डॉक्टर उसे भी कीमोथैरेपी करने के लिए कह देते हैं। मैं आभारी हूं कि यहां स्टेंट का बिल आया। लेकिन जैसे हम साबून, तेल आदि सबका दाम फिक्स कर रहे हैं, उसी तरह आप दवाइयां का भी एक मैक्सिमम प्राइज फिक्स कीजिए। वह प्राइज, जो नीचे की दवाइयां बिक रही हैं, जो लोकल कंपनियों की बिक रही हैं, उनसे तुलना कीजिए। पिछली सरकार ने एक कानून बनाया था, जिसमें सबसे ऊपर दवाइयों के मुद्दे को लिया। आज हालत यह है कि सिट्रिजन 20 पैसे की मिलती है, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो आप 200 रुपये एमआरपी लिखवा कर छपवा लीजिए, तो इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इसका सबसे कारण स्वास्थ्य विभाग के तीन-चार माई बाप होना है। अगर फार्मा फैक्टरी खोलनी है, तो आप इंडस्ट्रीज में जाइये। अब दाम कितने तय करने हैं, तो यह केमिकल फर्टिलाइजर तय करेगा। दवा कैसी होगी, तो वह हैल्थ में तय होगी। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने रोड ट्रांसपोर्ट में सबको मर्ज करके एक कर दिया, यानी पावर, कोल, एमएनआरई को मर्ज करके एक कर दिया। मेरा आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध होगा कि स्वास्थ्य की जितनी सेवाएं हैं, उन सबको एक डिपार्टमैंट के तहत लाया जाये। ईएसआईसी का अस्पताल अलग चलता है और वूमैन एंड चाइल्ड डिपार्टमैंट का अलग चलता

है। इन सब चीजों को मर्ज करके हम एक साथ हैल्थ मिनिस्ट्री में रखें, तो कितना प्राइज तय होगा, किस तरह की ऐफिकैसी है, किस तरह की फैक्टरीज लगें, उसकी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी।

मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि रोड और पावर की तरह सबको एक डिपार्टमैंट के तहत लाया जाये। ...(व्यवधान)

सभापित महोदय, आप बार-बार इशारा कर रहे हैं, तो अंत में, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गांधी जी के चम्पारण सत्याग्रह को सौ साल हो गए हैं। ... (व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि चम्पारण सत्याग्रह को सौ साल हो गये हैं। गांधी जी का यह सपना था कि स्वच्छ, स्वावलंबी और सक्षम भारत का निर्माण हो। इसमें हम कितनी भी बड़ी पालिसी बना ले, उससे आम जनता को कोई मतलब नहीं रहता। आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की जरूरत होती है। यही तीन चीजें हैं, जिनके सहारे हम सब चुनकर आते हैं। यहां जो भी पालिसीज बनती हैं, उनके बारे में मेरे यहां किसी ने नहीं पूछा कि आपने कौन-कौन से कानून बनाये हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सौ वर्ष चम्पारण सत्याग्रह के हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कम से कम हमारे यहां, यानी चम्पारण में स्वास्थ्य मेला बेतिया में लगायें। वहां पर भी स्वास्थ्य के मानक बढ़ सकें, इसके लिए माननीय मंत्री जी बेतिया के लिए जरूर कुछ करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this very important subject.

There was a time when health care was not available in remote parts of India primarily because of poor connectivity, lack of roads and not enough funds for creating hospitals. If people wanted good quality health care, they would have to walk for kilometres and travel for days in order to reach even a place where there was a doctor. But a lot changed when in the previous decade the Government of India launched the National Health Mission and the National Rural Health Mission. A lot of funds were pumped in through the National Rural Health Mission. What did this achieve? It made health care accessible to large parts of India's population. Because of the funds made available through the National Rural Health Mission, hospitals, sub-centres and Primary Health Care Centres were created in those villages and areas in which they had never seen a hospital before. So, one of the major achievements that our policy did was creating the health infrastructure.

Now, having built the hardware of hospitals, Primary Health Centres, etc. we must focus on the quality issue, the quality of health care. Often what is happening is that because of too many patients lining up outside the clinics, doctors are in a rush to prescribe antibiotics. Within two minutes, without making a proper diagnosis, the doctors say, "you have headache, here is the antibiotic". As a result of which what is happening is that the common infection, like the common viral, viral fever, viral cold, etc. are developing this huge resistance to antibiotic. Now, we have this phenomenon of superbugs. This is exceptionally dangerous. The same happens in agriculture. When we use too much of pesticides in the fields, the pests develop resistance to these pesticides and it takes that much more pesticides to kill the same pest.

The same thing is happening in the human system. Superbugs, these days, are becoming more and more dangerous. There is even a term called 'New Delhi - NDM' which is creating a bad image in the world health community. So, I urge

the Ministry of Health to look at this issue of superbugs. Train the doctors and facilitate these doctors. This is becoming a huge risk that even a common cold can become fatal. But is the Government doing enough? Is the Government serious?

I remember reading a Press headline. When the ease of doing business ranking of India just improved by one – you know the ease of doing business ranking is a huge priority for this priority – the PMO was so concerned that they organised a Cabinet meeting, wrote letters and gave instructions to Chief Secretaries of all the States.

There is another ranking. It is called the Global Hunger Index. In that the ranking of India fell from 83 to 97. It fell by almost by 14 spots. But was there a similar meeting? Was a Cabinet meeting called? We have heard this statistics on malnutrition. Around 50 per cent of India's children are vulnerable to malnutrition. Has there ever been a Cabinet meeting? The Government pays so much attention to the ease of doing business, but completely forgets about hunger and malnutrition.

I will give you another example. Recently we saw in Gujarat, the Maternal Mortality Rate rose from 72 to 85. Now, how did that happen? When we want to decrease the Maternal Mortality Rate why in a developed State like Gujarat, which has access to enough funds, the MMR increased from 72 to 85? Has there been an inquiry? Has there been a Cabinet meeting? Not a beep, not a word, not an instruction from this Government which claims that health is a priority for them.

There is one example to which I want to draw the attention of the House. It is the way the UPA Government eradicated polio from our country. Polio was a debilitating disease. The way we eradicated polio is a lesson in health care. There was door to door movement of ASHA workers, there was door to door movement of community health workers. Polio drops were administered on a specific time schedule. The entire population of India had to be trained on this particular schedule. The Government flooded the public health advertisements. That is the way we should do it. We need a movement if we really want to improve the health

scenario. A discussion in the Parliament is very good. But if there is a lesson to be learnt there needs to be a healthcare movement like the way we did earlier when it came to eradication of polio.

Right now we have to focus on our Anganwadi workers. They are the extension of the Government. They are the ones who work in the field, delivering the best practices, and helping people to understand about the best health practices. We have to work with them. Anganwadi workers today are not being sufficiently paid. Anganwadi workers and ASHA workers do not get funds on time from the Centre. Their funds are being delayed. You must be having the same problem. When the children of poor families go to Anganwadi centres, the money that gets released for their food should be such that there should be enough money in one Anganwadi centre to buy 100 days of food. But what is happening? For example, in my constituency, they have money only to buy food for 58 days. These are the most deprived families, these are the most deprived communities. Why is there such a delay in the release of the Central funds? Why is there no better coordination between the Centre and States so that Anganwadi workers not only have enough money to buy 100 days of food but have a surplus so that they are not so dependent upon the Centre?

Sir, I want to talk about malnutrition. The World Bank Report says that malnutrition is a silent emergency. We must wake up to this problem. Our children are going to schools, there is mid-day meal, but they are still suffering from malnutrition. As a result of that, they are falling sick, they are not paying attention in school, they are dropping out and their attendance is suffering. I know various State Governments are doing a lot. Maharashtra is doing a lot, Tamil Nadu is doing a lot, in Assam, and in my constituency also we are trying to do a lot. There are many other States that are doing very well in this regard. So we must try to collect a database as to what are the best practices that are being followed across the States.

17.11 hours (Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

For example, in my State, we have come up with a Nutrition Toolkit, a toolkit which helps teachers explain best nutritional practices to children. It is very simple. In the same way as we are using teachers to help educate children about hand washing, we can work with teachers to help educate parents and their children about better nutritional practices. One of the simplest things is to eat green leafy vegetables which are indigenous, which do not have to be bought from a distant market, but which are locally grown and locally procured.

In my constituency, what we are doing is, we are helping children in schools to develop School Nutrition Gardens through creating Organic Farming Clubs. The children are being taught as to how to grow green leafy local varieties of vegetable on their school playground. When they produce such vegetables, they are selling that to the Mid-Day Meal authorities because they have to procure these vegetables and then, these vegetables are being consumed by children as part of their Mid-Day Meal Programme. It is a huge success. Children are learning the basics of organic farming, of healthy eating practices, they are able to identify as to which are the local varieties of vegetables and by selling them to the local Mid-Day Meal authorities, whatever money they earn, they put it in their own individual account. What we have done is, for each student, we have opened a Minor Savings Account. So, when a child grows vegetables and sells them to the local Mid-Day Meal authorities, the money that the child earns does not go to the parent or to the headmaster, but it goes to his own Minor Savings Account. So, from a very young age of 13 or 14 years, a child is learning the basics of agricultural entrepreneurship. This is a very interesting model. A lot of States are experimenting with this School Nutrition Gardens. The UNICEF is working on this in Delhi as well. I urge upon the Health Ministry to look at this concept. It requires a synergy between the Ministries of Women and Child Development, Health and Family Welfare, Education and Agriculture. But this is the way we need to work. We have to work in a series of convergence.

I have gone through the summary of the New National Health Policy. It is difficult for me to understand as to what is the priority of this Government, what is the one theme that this Government is going to focus on. For instance, in education it is very clear. In education, over the last decade, the focus of education programmes and projects was access of education. So, through SSA, Mid-Day Meal Programme, the focus of previous Governments was to make education accessible to a large population. Now, over the last couple of years, now that schools have been set up, the focus is on quality of education, learning outcomes, making sure the students are able to understand what is being taught in classroom. But when I look at the Draft National Health Policy, it seems to be a hash of what already exists. What is the core thrust area? It talks about setting various targets, but does not give a clear road map. So, I want the New National Health Policy to give a clear thrust area and tell us as to how we are going to measure this.

Madam, I think that we need right now is a new idea towards healthcare. We have talked a lot about it. I do not think we should blame anyone. We should not blame the doctors, nurses etc. Our people do not have enough awareness. What we really need right now is political leadership. If the Chief Minister of every State, if every MP, MLA, not just the Health Minister, but the PMO and the Prime Minister himself makes healthcare a priority, gives it the requisite funds and say that we are going to focus on the quality of healthcare, that is how we are going to achieve our SDGS. It is good to have this discussion, it sensitizes us, but we have to back to the field and, through this discussion, I do hope that MMR, the way it has increased in Gujarat gets reviewed. We hope to reverse the slide, not go from bad to worse. We must take lessons from the eradication of polio that was done under the UPA regime and we must come out with more funds for the National Rural Health Mission but not with decreased funds.

With that I end my speech here. Thank you very much.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): सभापित महोदया, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सस्टैनेबल डेवेलपमेंट गोल्स पर इस महान सदन में चर्चा हो रही है। सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें अपनाया। इससे पहले सितम्बर, 2000 में एमडीजी अपनाये गये थे। मुझें बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जब एमडीजी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनाये गये थे, तब हमारे मार्गदर्शक, मेरे रोल मॉडल परम श्रद्धेय अटल बिहार वाजपेयी जी ने यूएनओं में भारत का नेतृत्व किया था और जो भी गोल्स उस समय तय हुए थे, भारत ने उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। कुछ हद तक भारत उन गोल्स को प्राप्त करने में भी सफल रहा। उसके पश्चात सितम्बर, 2015 में, जननायक, हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र सभा में गये और जब सस्टैनेबल डेवेलपमेंट गोल्स का एजेंडा वहां पर आया तब आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने बढ़-चढ़ कर इन सभी डेलिब्रेशंस में भाग लिया और भारत की कमीटमेंट के रूप में, एक संकल्प के रूप में सस्टैनेबल डेवेलपमेंट गोल्स को लिया।

मैं भी संगठन के उन भाग्यशाली कार्यकताओं में से हूं। जब वर्ष 2000 में एमडीजी अपनाये गये, तब मुझे भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का मौका मिला था। इसी तरह से जब वर्ष 2015 में सस्टैनेबल डेवेलपमेंट गोल्स अपनाये गये थे तब भी मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आशीर्वाद से संयुक्त राष्ट्र सभा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और इन सभी मुद्दों पर डेलिब्रेशेंस में भाग लिया। यूएन में वर्ष 2000 में आदरणीय गीते जी के साथ हम उनके डेलिगेशन में थे, जब एमडीजी अपनाये गये थे।

आज हम देख रहे हैं कि इस दुनिया से भुखमरी दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, जो चर्चा हो रही है, मैं उसके लिए अपने लोक सभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन जी का अभारी हूं, जो इनिशिएटिव लेकर सस्टैनेबल डेवेलपमेंट गोल्स पर लोकतंत्र के इस मंदिर में चर्चा करवा रही हैं। आज हमारे बहुत ही लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस सदन में विराजमान हैं और जो भी सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, वह उन सभी के नोट्स ले रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी इस वर्ष ही सस्टैनेबल डेवेलपमेंट गोल्स पर कार्रवाई करते हुए भारत ने जो कदम उठाये हैं, वे सारी दुनिया से दो कदम आगे हैं।

महोदया, जो कदम मंत्री जी के नेतृत्व में उठाए गए हैं, उनमें हमने संकल्प लिया है कि वर्ष 2025 तक भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 67.5 से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 70 साल तक करने की सोच है। इसी तरह से नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीजिज हैं, जैसे हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक के कारण हमारे देश में करीब पांच लाख अस्सी हजार लोग हर वर्ष मर रहे हैं। टीबी से भी कई लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। देश में शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट नीति बनाई है। इन

बीमारियों के वर्तमान स्तर को वर्ष 2025 तक घटाकर 25 परसेंट तक लाएंगे। इसी तरह से हम अपने देश के नागरिकों के लिए हैल्थ पालिसी के तहत वर्ष 2025 तक 50 परसेंट सुविधाएं देंगे। इसी तरह से एचआईवी (एड्स) से ग्रसित लोगों की वर्ष 2020 तक मोनिटरिंग करेंगे। सतत् विकास का जो लक्ष्य है और पैदा होते समय बच्चों की मृत्यु होती है और गांवों में ट्रेंड नर्स न मिलने के कारण महिलाओं की मौत होती है, इसकी भी मोनिटरिंग की जाएगी। देश में शिशु मृत्यु दर को भी ढाई परसेंट तक लाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। तम्बाकू भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो देश में टीबी की बीमारी को बढ़ावा देता है। आदरणीय मंत्री जी ने इस बारे में भी राष्ट्रव्यापी नीति बनाई है और हमने वर्ष 2025 तक इस बीमारी को 15 परसेंट तक लाने का लक्ष्य रखा है।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रत्न लाल कटारिया: महोदया, मैंने अभी बोलना शुरू किया है। मैंने कई बार प्रार्थना की है कि मुझे बोलने की लय में आने में ही चार-पांच मिनट का समय लग जाता है।

फैमिली प्लानिंग के बारे में वर्ष 2025 तक बहुत अच्छे कदम उठाने की बात कही है। आज विश्व में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं हमारा देश, जो कि विकसित राष्ट्र तो नहीं है, लेकिन देश को मोदी जी के रूप में एक स्ट्रांग लीडर मिला है, जिनका अपना विजन है, जिनकी अपनी कमिटमेंट है, जिनकी अपनी क्रिएटीविटी है, जिनका अपना एक मिशन है। जब देश को इतना मजबूत नेता मिल जाता है, जो अपने देश की समस्याओं को समझता है। हिन्दुस्तान में वर्षों से कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण बहुत-सी बीमारियाँ थीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान दुनिया में हेल्थ इंडेक्स में भी पिछड़ गया। ...(व्यवधान)

"हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें, तो चर्चा नहीं होती।"

इन्होंने 60 वर्षों तक देश का बुरा हाल किया। अगर उन सभी समस्याओं से कोई व्यक्ति भारत को निकालने की कोशिश कर रहा है और स्वास्थ की दृष्टि से जो कदम उठाये जा रहे हैं, यह केवल हेल्थ का मसला नहीं है, इसके साथ दर्जनों मिनिस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं और को-ऑर्डिनेशन के लिए भी आदरणीय नड़ड़ा जी ने एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनायी है और इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप में विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चाएं होती हैं। हम अपनी उपलब्धियों को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, ताकि सितम्बर में यू.एन. की मीटिंग होगी, तो उसमें भारत अपना सीना चौड़ा करके बता सके।

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

श्री रत्न लाल कटारिया: भारत दुनिया को यह बता सके कि यून.एन. द्वारा जो सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स तय किये गये थे, भारत उन सभी गोल्स को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अपने देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस चर्चा का स्वागत करता हूँ।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you Madam for giving me this opportunity.

Madam, I would like to remind the House about the definition of health as defined by the WHO. Health means not only free from diseases. Health means physical, mental, psychological and spiritual well-being also. Entirely it is called good health. Just because somebody is free from diseases, we cannot say that he or she is healthy.

Another thing is there. The geographical location of India in our globe is such when you see the longitudes, when you see the tropics, tropic of Capricorn, tropic of cancer, equator and longitudes, our country is situated geographically in such an area where 24x7 all weathers are there and all amoeba, all virus, all bacteria are always active. That is why, we are particularly prone. The geographical location of India is particularly susceptible to catch tuberculosis, to catch leprosy and also to have amoebiasis.

Madam, you are also aware of these things. You are a doctor. Our country is susceptible and prone to certain disorders, certain personalities, certain races which are inhabited and which are inhabiting in this Indian sub-continent. It is also one of the reasons for the health hazards. Therefore, when you talk about sustained development and its maintenance of the health, we should keep those things in mind. We have successfully eradicated polio and we have successfully eradicated a lot of other diseases but we are still struggling with the diseases resulting from ill-health, under-nutrition and malnutrition.

For example, tuberculosis is nothing but under-nutrition and malnutrition. Anaemia, filarial and even MCD – malaria, chikungunya, dengue – are all the

signs and symptoms of these tropical countries. This particular zone is prone for these types of disorders – amoebic or viral or bacterial disorders. That is why, we should keep in mind our geographical conditions while framing the health policies.

17.30 hours (Hon. Deputy Speaker in the Chair)

I am happy that hon. Deputy Speaker has come in the Chair. ...* Sir, I was dwelling on the issue of health in respect of Sustainable Development Goals. I was mentioning about the Indian geographical location on the globe and how we are disadvantageously placed as far as certain diseases like Tuberculosis, Leprosy, Malaria, Chikungunya, Dengue etc. are concerned. Above all, health cannot be treated or considered alone. It has to be understood always from the socioeconomic considerations.

The country is a developing economy. So, ours is a poor country with Anemia as a bigger issue. Malnutrition, Undernutrition and Chronic Malnutrition are making people susceptible to Anemia. For example, let us take infant mortality rate and maternal mortality rate. They are directly related to poverty; they are directly related to economy and they are directly related to the standard of living.

Let me give you an example. Suppose a patient of Tuberculosis or some patient suffering from Scabies, which is a disorder that comes up because of unhygienic conditions, comes to a doctor. डॉक्टर ट्यूब्रक्लॉसिस पेशेंट को सलाह देते हैं कि वे अच्छे से खाना खाएँ, नॉन-वेज खाएँ, अंडा खाएँ, दूध पिएँ, साफ-सुथरी जगह पर रहें, साफ कपड़े पहने और अपने घर में साफ-सफाई रखें। This is the treatment of Tuberculosis. This disease affects only poor people. उसका इलाज यही है। इसको कैसे किया जाएगा? When the basic reason for Tuberculosis is poverty and when the treatment of it is removal of poverty itself, then how is it possible? That is one paradox.

Then, there is another paradox – Scabies. It mostly affects the people who live in an overcrowded place with unhygienic conditions and unhygienic food

^{*} Not recorded.

habits, particularly slum areas. किसी को स्केबीज़ होने पर हम उसे सलाह देते हैं कि वह उस जगह पर दवा लगाए, रोज साबुन लगाकर नहाए, साफ कपड़े पहने, साफ बेड पर सोए और हर दिन बेड-शीट चेंज करे आदि। हम उसे यह सलाह देते हैं, परंतु वह हँसता रहता है और हमारी सलाह नहीं मानता है। वह हमसे यह पूछ सकता है कि यदि उसके पास ये सारी सुविधाएँ होतीं, तो वह बीमार ही क्यों होता। So, this is the paradox. While dealing with the health issues, certain paradoxes will come across. Directly dealing with health means removing the diseases from human beings, which is not the issue. There are many interrelated things. For example, let us take modern epidemic. You can call it pandemic. Diabetes mellitus is a pandemic. Every third or fourth person in Asia, especially in India is suffering from it.

Then, the phenotype of Indian physical personality is spindle shaped, which has automatically developed in 40 to 50 years' span. The longer is the waist length the shorter the life span. Wherever the waist length of the people is large, they are particularly prone to Diabetes Mellitus. The fat deposits in the central abdomen and causes Diabetes. At the moment, every third or fourth person in India is prone to Diabetes.

Let us see what the treatment for Diabetes is. We have to do exercise everyday; we have to change our lifestyle and we have to change our food habits. But what happens? Of late, the computers have come. The economy is developing. The families are becoming nuclear. We are moving towards fast foods like pizzas, burgers, pastas, etc. They are all readymade foods. These are all junk foods. जंक फूड में फैट होता है। Fat will lead to Diabetes Mellitus. The people will be sedentary and they like to be sitting in the chair looking at their laptops doing nothing else. Their parents also do not look after them. So, it is because of such type of occupations that certain diseases have come into our life.

In Indian context, where people are not prone to these diseases and disorders, of late we are acquiring these disorders. There are other disorders like hypertension, diabetes, hyperlipidemia – which means a lot of cholesterol in the

blood – and sudden cardiac arrest. In Indian medical history, females getting heart attack was very uncommon. We never came across any myocardial dysfunction or heart attack in females till recently, till the year 2000. Of late, with the introduction of modern-day living, computers, so-called junk food and sedentary lifestyle without any exercise, even females are also undergoing massive heart attacks and dying in the hospitals. Therefore, lifestyle is also linked to health. There are many factors linked with health – geographical location, economic condition, lifestyle etc – which are inter-related. In view of this, taking health *per se* as a single thing or a single goal may not be successful.

I would like to request the hon. Minister that our approach towards health should always be integrated. Therefore, let us not consider health just as free from disorder; health means physical well-being, psychological well-being; and above all, spiritual well-being. Then only, the country will be better off.

When the citizens of our country are happy, our country will be a happy country and our Happiness Index will also be very high. That is how health has to be viewed always. I urge upon the concerned authorities to have an integrated approach to have better health of the citizens and the youth of the country. They should also look at changing the lifestyles of people because there are many things which are coming up as occupational hazards due to occupational environment and practices.

Jai Hind, Jai Telugu Desam.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Sir, *vanakam*. I thank you for giving me this opportunity to speak.

I would like to thank my friend, Shri Anurag Thakur, for initiating the discussion on this issue of Sustainable Development Goal and also the hon. Speaker, Madam, for her indulgence so that this issue can be discussed threadbare and participated in by Members from all quarters.

Here, we have been discussing about the health. While most of our learned Members were participating, almost everyone was saying that there should be more AIIMS-like hospitals and more super speciality hospitals. Of course, it is required, but what is the Sustainable Development Goal? It is not only health; there are many other aspects. The SDG has targeted 17 goals, 169 targets and 230 indicators. There is one health goal and within that goal are 13 targets and 26 indicators.

Here, in this august House, particularly the physician and doctor Members have contributed a lot from the medical point of view, telling how different kind of diseases can be arrested or contained. Either it is health or other various kinds of social goals. Unless, in totality, our economy or social environment does not change, these goals cannot be achieved the way they are desired to be.

If we see in our country today, what is the position in India? According to the Human Development Index, out of 194 countries, India's position is 131. There are particularly some health related issues.

Coming to tap water, I am not talking about safe or pure potable drinking water. Only 28 per cent of our countrymen have access to the tap water, both safe and unsafe. The next thing is sanitation. Of course, there is Swachh Bharat Mission. It is initiated not today; it was there even before also. Still, in our country, 47 per cent of our countrymen have access to sanitation.

As regards nutrition, it is 38.7 per cent of our population. If we talk about children to whom we should provide not only nutrition but all the other favourable conditions also, it will be more. The female literacy rate was a very important

segment of our society, but it is only 61.5 per cent. Longevity of life at birth is still 68.3 per cent, and 70 per cent of our women are suffering from anaemia. If we have to address these issues and achieve the goals, then yes, super-speciality hospitals, more AIIMS, more doctors, more paramedical are required, but there are certain other social parameters whose condition has to be changed. Unless it is ensured or achieved, whatever economic or health goals we set, it would be very difficult and cannot be achieved.

Hence, I would like to suggest that as my previous speaker was telling that health means not only food and nutrition, but there are many other things involved in it. So, in our country, until and unless the public distribution system is made universal where each and every citizen of our country either poor or rich have access to food, the food security cannot be achieved and you cannot maintain the level of health and other parameters.

If we compare our country with China, then in many aspects China is far ahead of us. I am not talking about their political system and our political system, but it is true and we have to admit it. China has achieved their Independence two years after India. China's population is more than what we have in our country, but though area-wise China is bigger than India, but China's cultivable land is less than India. But, today, in terms of agriculture produce; in terms of industrial expansion; and in every aspect China is far ahead. Why is it so? I am not talking about the secondary or tertiary side. In the primary sectors like agriculture they have given that kind of access to the farmers; farmers means not just giving land, but together with all kind of conditions have been created that they get the seeds and all other things and their produce can be sold to the Government.

In our country also, we are having much of the land and India has got a number of rivers, but that land reform of actually giving land to the tillers has not been given. Hence, the slogan of our freedom struggle that 'give land to the tillers' has not been achieved.

Of course, as regards education, it is not only required to produce Graduates, Post Graduates, Doctorates, but impart education to build capacity of the human being / common citizen. So, universal education is not achieved. Of course, now, *Sarva Shiksha Abhiyan* and *Madhyamik Shiksha Abhiyan* are there, but still if we see in comparison to the other advancing countries as to how much we are really spending for education, it is very less. If we see our Budget, there are a number of such goals being declared, but the Budget for food security, agriculture, education, etc. are not being enhanced in that way.

So, if we compare the economy in our country of these two-three years during 2014, the corporate media's write-ups showed that one per cent rich of our Indian people in 2014 were owning 49 per cent of our total wealth. After two years, now, in 2016, it is 58.4 per cent, which means all the wealth is being accumulated in the hands of the very handful people. It is not being distributed that way. So, it is not to give any kind of expert's views here but for self-retrospection, as to why this is happening, why India is lagging behind. Even we are far behind Sri Lanka and some other very poor countries in this aspect. So, this aspect should be taken care of.

Today, on this Health Budget also, it is being said here that our public spending should be increased. How much should be our public spending? Two years ago, it was 1.15 per cent. This year, it is around 2.5 per cent. I think, not only the Health Budget, but the other sectors should also be taken care of.

Here, I would like to cite another fact that under the initiative of the Speaker's Office, there has been one Workshop recently. The Ex-Secretary of Health was giving the presentation. She mentioned as to what the disparities are between the countries and among the districts in our country. In the most backward district of Kerala, safe water access is 94 per cent. And in Bihar and U.P, in the most advanced districts, that is 98 and 96 per cent. The Most backward district of Kerala and the most advanced districts of Bihar and UP are almost the same. That is why, Kerala and your own State, Tamil Nadu, in terms of safe

drinking water, nutrition and in other aspects are so advanced. Your most backward districts are highly advanced because they have a good social system and you have given importance for education, health, etc. and in other aspects also. That is why, today, it is coming up. So, until and unless this aspect is taken care of, just by increasing the number of AIIMS or having more doctors, nothing is going to be achieved. That is the participation on my part. I think, the Hon. Minister will take care of not only the setting up of the super-specialty hospital but also other conditions of the society.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I would actually like to thank the Speaker's Office and the SRI Foundation, which is the Speaker's researched initiative which had a detailed discussion last week with all the hon. MPs briefing them on SDGs and especially health. They had called all the hon. MPs. SRI has done a wonderful job to brief all of us on this health issue.

Sir, the hon. Minister has been an exceptionally fine Minister. Even if I am in Opposition, I must compliment for all the achievements that he has got. He has been exceptionally supportive especially for our tobacco campaign. I am eternally grateful for him and I hope he sustains the support and makes sure that all the States also fight the challenges of tobacco control. I come from a tobacco-caused cancer surviving family. I really know the challenges that a family goes through when there is cancer in the family. It is a very difficult thing for a family to go through plus the cost of cancer and the availability of doctors is also an issue.

I come from a State where probably India's best doctors are available. I did mention to the hon. Minister and he was very considerate last time when I brought it up to him that Maharashtra has had some difficult issues regarding doctors. The health SDG can be achieved only if we have very fine doctors.

Unfortunately, in my State, we had a very bad incident about two weeks ago where an Orthopaedic doctor, who was asked to help relating to somebody's brain haemorrhage issue and the doctor could not help or give proper healthcare. In an accident, one patient was brought to the hospital in Dhule District and he passed away. The doctor was attacked. The doctor kept telling them that it was not his specialisation, that he was an Orthopaedic doctor and that he was trying to do the best that he could. Unfortunately, the patient's family got very emotional. They broke the hospital. They hurt the doctor. The doctor today is fighting for his life in the Dhule Hospital. He has had a haemorrhage; he has a broken skull and is on a respirator as we talk.

The hon. Minister was very kind at that time saying that he would definitely address the issue of doctors' security. I do not understand and respect the emotions of the family or the agony that the family went through. It was an exceptionally unfortunate incident. But I do not think it is really fair to beat up doctors. Then, all the doctors in Maharashtra went on strike. It was very unfortunate that the hon. Chief Minister of Maharashtra was not very kind to our doctors, and almost had to take action. It, unfortunately, Sir, turned very ugly.

I think doctors do a great service in this country. They are the people who eventually will take us to this SDG which we all dream of. Technology makes a difference. Earlier speaker, Shri Jitendra Chaudhury talked about it; our Member from TDP talked about a lot of technology. India is changing. There are plenty of hospitals. The Government aspires to have an AIIMS everywhere. I also come from a District, which is Pune District, which has great public health centres also. We have a lot of good doctors; we have very good technology. But do we really have the technicians to run like a sonography machine? There are sonography machines all over, but can they really be used? Are our technicians trained for it? It is bought by the Government and it is sitting idle with dust on it, and that money is completely wasted. That is something about which we all really need to ponder over.

Sir, I really come from an old school of thought. Technology is very good; it is definitely helping our lives get better. But at the same time, it is unfortunate that the concept of a family doctor does not exist any more. There was one time when you could walk into a doctor's clinic and the old fashioned doctor would say, "This is wrong with you; just take this medicine and go away", and there was really not such a big deal. But today, whenever you go, the clinical diagnosis is not something that really we see in the new generation doctors because technology has taken over. So, really, the cost of going to a doctor and the treatment has become so expensive that the minute you walk into a doctor's clinic, it is like going into a court now. Every time you climb steps of a court, you are scared that you are stuck

for 25 years. Unfortunately, if you go to a multi-specialist hospital anywhere in this country today, the bills are so scary that an average Indian today cannot afford even if he wants that service and doctors want to give it. So, it is a vicious circle that we are caught into.

I will ask the hon. Minister that what we really need is a universal healthcare provision. How do we go forward with it? Is it about just reducing of costs or is insurance a big thing? That is something for this whole House to debate. Insurance, health and education are not issues that the House disagrees on at all. What are these? These are all programmes of continuity. Nobody is going to disagree on any health services. Nadda Ji, the hon. Minister, has come up with a very good immunisation programme, a vaccination programme in India. I would request him to add a very important vaccine which has come in India, which his office should probably go through it and see, is the cervical cancer vaccine, which is given to young girls. A lot of research has been done on it. Should we really add it to Mission Indradhanush or not is an optional thing; it is not compulsory. But we do see cervical cancer issues, especially amongst women. It is exceptionally high these days. A lot of people talked and even Jitendra Ji talked about anaemia; I think our Member from TDP talked about diabetes; and he also talked about hypertension.

There was a time in India when India was not so advanced. There was a time we used to only have communicable diseases like Malaria, about which we had talked. But today the times have changed. We have managed to eradicate many of these communicable diseases. Today because of the lifestyle changes, we have non-communicable diseases like hypertension, diabetes, etc. Prof. Saugata *Babu* is right here, who is a diabetic himself. I see the challenges that he go through because of the lifestyle. It is a silent killer. Today the whole world is really looking for a solution for diabetes. Nobody knows from where it comes from. Is it necessarily genetic? We have no solution for it. These are issues that we need to talk about.

Prevention is better than cure. Is awareness really there? Nadda *ji* just, last week, came out with an outstanding Mental Health Bill. These were not topics which were ever discussed in society. We were ashamed to say if a woman was depressed she was just shunned out or even there was a time when there was postnatal depression. I myself being a woman, even I used to at one time laugh about it. No, there was nothing like post-natal depression. But there is. Some women go through issues like menopause; all women don't go through it. These are issues which nobody talks in our society. But through the Mental Health Bill, and a lot of other Bills that are coming up today with the Health Ministry, a lot of issues which were swept under the carpet are coming up for discussion.

I am very happy that there are men in this Parliament who are talking about the social issues. The only unfortunate part is, there are lot of Governments which are not addressing like my own Government in Maharashtra has cut today the health budget by about five per cent, which is a substantial amount of money. It is really sad. We used to run a very nice health programme on malnutrition. Earlier, a lot of speakers had spoken about malnutrition in India. We have a group called Citizens Alliance, which has been working for the last seven year. We play a role of a catalyst. We play between the Government and the States to bring in awareness because the root cause of most health problems is nutrition. If we can address the issue of malnutrition, it would really help our next generation. Maharashtra has done a wonderful programme called the Health Mission, which has substantially helped to bring down the number of malnutrition children, especially in tribal areas. If he could intervene, it would be better. We are also requesting the Maharashtra Government to run it. Various other States are looking at it. But if we could take that programme to another level, I think, that would be one of the best services we could do to our next generation.

The other issue is about doctors. There is a new degree that the Department is coming up with, the B.Sc. in Health – Bachelor in Science. There was a time in 1948 when the Prime Minister Jawaharlal Nehru *ji* has banned the degree called

RMP. That was like a parallel degree. The thought of that Government was - why have two degrees for doing the same job? That was a time when we had only 11 medical colleges, and still this was banned. Today, we have over 400 medical colleges. I would like the hon. Minister to explain in his reply as to what would the role of B.Sc. in Health be. Would this be like a health guardian or would he have the powers of a doctor? How does a layman know the difference between a doctor and a B.Sc. Health? If you could clarify that, it would be of great help. Nobody is stepping on each other's role and their role is completely clear.

It is like our ASHA workers. ASHA workers are really foot soldiers. Even during the debate on the Mental Health Bill, I had requested the hon. Health Minister if he could strengthen the ASHA workers, empower them with more training. Simple things like depression or health issues that women have and who have no access to any public health centres, they are not aware of mental health at all or for that matter, any of the issues concerning women. Even anaemia for that matter is extensively discussed. Anaemia tablets are given when there is a camp. Nobody knows whether the woman consumes the tablet or not. She puts them away; she really does not bother about her own health. It starts with anaemia, anaemia into under-nourished child, under-nourished child into malnutrition. That is again back into a vicious circle.

So, I would urge the hon. Health Minister to look into this issue as well. If he could connect it all, and bring in, it would be of great help. There are very good ad campaigns going on television. Health was not an issue at one time which was discussed or even glamourised but today, with very good ideas through the Health Ministry, they have brought in very good initiatives by getting good Indian icons to say that TB is an issue, it can be resolved; there is a solution; go and take tablets and it will help. It is really a wonderful initiative – be it vaccination, be it TB or even sanitation issues.

Maharashtra was the first State which started with sanitation issues. Late R.R. Patil, who was our Rural Development Minister 17 years ago, implemented

a programme of Health and Sanitation. At that time, the Maharashtra Government had got an award for Health and Sanitation. Providing water and ensuring sanitation today, however the modern Maharashtra is, in pockets, are still a challenge. As a matter of fact, you will be surprised to know that our Zila Parishad has started a new initiative of cleanliness. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want you can continue your speech tomorrow. SHRIMATI SUPRIYA SULE: I can just finish in one minute.

I would just ask the hon. Minister to look into the ASHA issues, strengthen them and make more health workers to have a good India. In the 21st century, we need a healthy India. I am sure, with Shri Naddaji at the helm of affairs, we will see a positive difference.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Thursday, the 6th April, 2017 at 11.00 a.m.

18.00 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 6, 2017/Chaitra 16, 1939 (Saka).